खण्ड-314, अंक-4
बुधवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(19 मार्च, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 19 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--363

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां, (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री

गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरेलाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी,श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर,श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल,श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू.
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवत चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलताम सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राधवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री

राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रति विन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री

लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 19 मार्च, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षकों के प्रदर्शन पर लाठी चार्ज

****1--श्री हरि केवल (जिला देवरिया) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--**

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 4 मार्च, 1975 को उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर विधान भवन, लखनऊ के सामने पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और सैकड़ों अध्यापकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा दर्जनों शिक्षक घायल हुए ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी नहीं, माध्यमिक शिक्षकों का प्रदर्शन जब तक शान्तिपूर्ण रहा तब तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परन्तु जब प्रदर्शनकारी उग्र एव उत्तेजित होकर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए तथा प्रशासन की चेतावनियों की उपेक्षा करते हुए पुलिस के घेरे को तोड़कर विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए बलात बढ़े तभी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को न्यूनतम बल का प्रयोग करना पड़ा जिसमें दो अध्यापकों को चोटें आईं और 115 अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया जो 6-3-75 को जेल से रिहा हो चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षकों की मांगे संलग्नक में अंकित हैं। उन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 473-474 पर)

श्री हरि केवल --

जिन दो शिक्षकों के चोटें आई हैं, उनके नाम क्या हैं और डाक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट क्या है ? और किस अधिकारी के आदेश से लाठी चार्ज हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जिन दो शिक्षकों के चोटें आईं उनके नाम श्री सुरेन्द्र मोहन सिंह और राधेश्याम परिहार हैं। एक कानपुर के हैं और दूसरे इटावा के हैं। जेल में डाक्टरी मुआयना हुआ है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, मंत्री जी ने उत्तर दिया है। उसमें गोलमटोल बात है, और वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। शिक्षकों का यह प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था, और विधान सभा की जो परिधि है, उसके बाहर वे प्रदर्शन कर रहे थे, तो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई, कौन सी घटना घटी जिससे पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और उसका आदेश किस अधिकारी ने दिया ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो शिक्षकों का जुलूस था, उसे पहले दयानिधान पार्क में जमा होना था और अपना जलसा करना था और भाषण करने थे। जब वह वहां पहुंचे तो जो भाषण हुये वे उत्तेजनात्मक थे और कहा गया कि सरकार ने शिक्षकों के आंदोलन को दबाने के लिये दफा 144 लगाई है। लेकिन हकीकत यह थी कि चेहल्लुम था और पिछले साल शिया-सुन्नी झगड़ा हो चुका था और कई जानें जा चुकी थीं। टीचर्स के जुलूस को रोकने के लिये दफा 144 नहीं लगाई गई थीं। इसके बाद जब वहां स्पीचेज हुई तो उन लोगों ने वहां से आगे जाने का, विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। सरकार विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देती है। जब ये लोग बड़े डाकखाने की ओर से बढ़े तो पुलिस ने इनको रोका और कहा कि आगे न जाइये लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। जब वे आगे आ गये और ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों की जानमाल का खतरा हो गया तो पी० ए० सी० की एक टुक ी ने उनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन वे नहीं रुके और ईंटें तथा पत्थर चलने लगे तो पुलिस को जो कम से कम फोर्स इस्तेमाल करना चाहिये था वह किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि किस अधिकारी के आदेश से लाठी चार्ज हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो अधिकारी मौजूद थे जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तो उसको रोकने के लिये कम से कम पुलिस फोर्स इस्तेमाल किया गया किसी से आदेश लेकर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जो संलग्नक दिया है उसमें एक मांग है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय और सरकार इसको सिद्धान्ततः स्वीकार भी कर चुकी है तो ऐसी दशा में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक अंतिम रूप से वे निश्चय लेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण का जहां तक संबंध है सरकार उसके महत्व से पूरी तरह से सहमत है और इस संबंध में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया, जिसने 10 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। रिपोर्ट विचाराधीन है। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, इतनी जल्दी उसके ऊपर कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है। हम लोग उसको देख रहे हैं। जब भी कोई निर्णय होगा तो सम्मानित सदस्य को सूचित किया जायेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, जो 144 दफा लगी हुई थी और जब उन्होंने जुलूस निकाला तो उन लोगों ने जुलूस निकालने की परमीशन तो लिया था। मान्यवर, जब परमीशन लिया था तो क्या परमीशन लिया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जुलूस निकालने की इजाजत लिया था ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, क्या उन लोगों ने विधान भवन के सामने जाने की अनुमति लिया था ? उनके प्रार्थना-पत्र में लिखा था कि वे अपना जुलूस विधान भवन के सामने ले जायेंगे और उनको परमीशन दी गई थी ? मान्यवर, उनकी दरख्वास्त क्या थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, दरख्वास्त तो कोई भी दे सकता है और दरख्वास्त में कुछ भी लिख सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी क्या राय है कि दरख्वास्त में क्या लिखा था ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

जी हां, मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दरख्वास्त परमीशन के लिये दी गई थी उसमें क्या लिखा था ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न नहीं समझ में आया ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उस दरख्वास्त को छिपाना चाहते हैं। जो दरख्वास्त माध्यमिक शिक्षकों की ओर से आई, उस दरख्वास्त में क्या लिखा था ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उस दरख्वास्त में यह था कि उनका जुलूस विधान भवन के सामने जाना चाहता है, परन्तु जुलूस को दया निधान पार्क तक जाने की इजाजत थी। यह बिलकुल स्पष्ट बता दिया गया था।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जिस दिन की यह घटना है, उस समय हम सचिवालय के भारतीय लोकदल के दफ्तर से देख रहे थे। जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि केवल दो आदमियों को चोटें आई हैं, बिलकुल असत्य है। मान्यवर, उसमें 10–12 आदमी घायल हुए थे। मास्टरों की तरफ से कोई लाठी, ढीला, कंकड़ नहीं चलाये गये थे। पुलिस ने जो आपको सूचना दिया है, गलत है। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी हमारी बात को सूचना मानकर जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न है कि आपकी जानकारी को आधार मानकर क्या जांच करायेंगे ?

श्री अम्भार रिजवी—

माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक व्यक्तियों को बता दें जो जख्मी हुए हैं, तो जरूर जांच कर लूंगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, जो ईंटें, पत्थर चले, उसमें कितने आदमी घायल हैं और उनको कहां–कहां और कितनी चोटें आईं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 9 आदमी घायल हैं। पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने शुरू में पूछा था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मेरा यह सवाल था कि उस जुलूस पर किस अधिकारी के आदेश से लाठी चार्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष—

गोली चलाई जाती है तो उससे मतलब होता है। आपका मतलब है कि किस मजिस्ट्रेट की इजाजत से हुआ।

श्री अम्मार रिजवी—

कोई आक्रमण नहीं किया गया। वहां पर तो उस समय डिफेन्स का सवाल था। जब जलूस विधान सभा की ओर बढ़ रहा था तो खतरा पैदा हो गया था। जो यात्री वहां पर थे, उनको खतरा पैदा हो गया था। इस लिये पुलिस को जुलूस रोकना पड़ा। किसी के आदेश की जरूरत नहीं थी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज अपने मन से किया है, क्या इसकी जांच आप करायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

लाठी चार्ज तो उस तरह का हुआ नहीं। इसलिये उसकी जांच की आवश्यकता नहीं है।

बाराबंकी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

**2—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज के कर्मचारियों को माह जनवरी, 1975 से बार-बार अधिशासी अभियन्ता से मिलने पर भी उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

जी हां।

बाराबंकी के प्रान्तीय खंड के वर्क चार्ज कर्मचारियों को जनवरी, 1975 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

उक्त प्रान्तीय खंड की कैश क्रेडिट सीमा समाप्त हो जाने के कारण बाराबंकी के ट्रैजरी ने इस खंड के चेकों का भुगतान 3 फरवरी, 1975 से बन्द कर दिया है। इस कारण इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान माह जनवरी, 1975 से नहीं किया जा सका है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि परमानेन्ट इम्प्रेस फन्ड रखा जाता है, वह जनवरी और फरवरी के महीने में कितना खर्च किया गया और ठेकेदारों को कितना भुगतान उससे किया गया।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमारी कैश क्रेडिट 18,98,700 रु0 थी। यह सीमा समाप्त होने के बाद चेक कैश नहीं हुए। 23 लाख 60 हजार खर्च हो चुका है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि वर्क चार्ज के कर्मचारियों का 2-3 महीने से और मस्टर रोल के कर्मचारियों का 6-7 महीने से भुगतान नहीं किया गया है, और सार्वजनिक निर्माण विभाग का संघ भूख हड़ताल पर बैठ गया है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि उनको कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जहां तक इन कर्मचारियों का प्रश्न है, इनमें कुल 184 कर्मचारी थे जिनमें 133 की छटनी हो गयी है और 51 रह गये हैं। 10 लोगों का 2,000 रु0 वेतन दिया जा चुका है। ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि 3 दिन के अन्दर इनका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि कैश क्रेडिट लिमिट खतम हो गयी थी तो क्या सरकार के पास पैसा नहीं था ? इसके पहले क्या यह सही है कि आपने इन मजदूरों को भुगतान नहीं किया और ठेकेदारों को भुगतान कर दिया। तो इन मजदूरों के भुगतान के लिये मजबूरी क्या है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

ऐसा तो है नहीं। जहां तक इन कर्मचारियों की बात है, सिर्फ 41 आदमियों का वेतन बाकी रह गया है और उसके लिये 3 आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या यह सही है कि ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया और बड़े-बड़े अफसरों को भुगतान कर दिया और इन मजदूरों का भुगतान क्यों नहीं किया ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

अगर आपकी जानकारी में हो तो आप लिख कर पूछें, उसका मैं उत्तर दूंगा।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

सार्वजनिक निर्माण विभाग में डामर और कोलतार के पीपे होते हैं। वे पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा बेचे गये हैं, और उससे विभाग को हजारों रुपये की आमदनी हुई है, लेकिन फिर भी जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको उनका वेतन नहीं दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि जब से विभाग में सार्वजनिक निर्माण सेवा संघ बन गया है, तब से अधिशासी अभियन्ता वगैरह द्वारा तंग करने की वजह से इनको वेतन नहीं दिया गया है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जहां तक ड्रम बेचने की बात है ये ड्रम हर साल खाली होते हैं। इनके आक्शन का एक समय होता है। जितने ड्रम खाली और बेकार हो जाते हैं, उनका आक्शन कर दिया जाता है। पिछली बार जो ड्रम आक्शन किए गये, उनसे जो रुपया प्राप्त हुआ, उससे 10 कर्मचारियों की वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

श्री हिम्मत सिंह--

जिन वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों की छटनी की गई है, उनमें से 3 वर्ष की सेवा से अधिक के कितने लोग हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

ऐसा कोई नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

कैश क्रेडिट की लिमिट हमेशा बनी रहेगी और आगे भी चलेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि आगे जो कैश क्रेडिट लिमिट हो, उसमें से अल्प वेतन-भोगी कर्मचारियों का वेतन पहले दे दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं, या कल्पना कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या, भविष्य में जो कैश क्रेडिट लिमिट होगी, उसमें से पहले ऐसे कर्मचारियों को भुगतान किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो भविष्य के लिये आप प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

भविष्य में जब कभी कोई कार्य होगा और उसमे जो सम्बन्धित वर्क चार्ज्ड कर्मचारी होंगे, या मजदूर होंगे, उनका जो पैसा होगा, वह दिया जायगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला जौनपुर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

**3---श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित), श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर), (अनुपस्थित) श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा), श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच), श्री उमानाथ (जिला जौनपुर), श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी), कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर), श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) तथा श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर) ---

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध हरिजन छात्रों को अनुदान में दिये जाने वाली कापियों को बेच देने, हरिजन छात्रों की छात्र-वृत्ति का दुरुपयोग करने, दलबन्दी को बढ़ावा देने और जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान देनेमें घपला करने सम्बन्धी शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 13 फरवरी, 1975 से 16 फरवरी, 1975 तक की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप सही पाये गये और उनके विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां। जांच रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का उल्लेख है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भिक रूप मे अध्यापकों के भविष्य निधि का रुपया समय से न जमा करने, हरिजन छात्रों के लिये क्रय की गई अभ्यास पुस्तिकायें वितरित न करने, जूनियर हाई स्कूल राजेपुर को एक ही अनुदान दुबारा स्वीकृत करने, स्कूलों से प्राप्त शुल्क का कोई हिसाब न रखने आदि के आरोप सही पाये गये।

श्री अच्युतानन्द त्रिपाठी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर का स्थानान्तरण एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन यह जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के पद पर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमानाथ--

जब इतने-इतने गम्भीर आरोप हैं, तो उस अधिकारी को निलंबित करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जब जांच की गई तो पाया गया कि इनसे पहले जो अधिारी थे, वहां के हेड क्लर्क आदि थे वे भी दोषी हैं, कई अनियमिततायें पाई गई। तो स्पष्ट रूप मे यह मालूम नहीं हो सका कि श्री अच्युतानन्द त्रिपाठी के ऊपर कौन-कौन से ऐसे आरोप हैं, जिनकी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। इसलिये उनको वहां से स्थानान्तरित कर दिया है। जैसे ही वह चीज स्पष्ट हो जायगी, तो जो भी दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उत्तर से स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति और स्कूल को मिलने वाली ग्रान्ट का कोई हिसाब किताब नहीं है, उन्होंने उसका एक तरीके से दुरुपयोग किया है तो जब गबन का मामला एक तरीके से सिद्ध होता है और सही पाया गया है तो धारा 409 ताजीरात हिन्द के अन्दर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया है, उनके खिलाफ ?

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया इस वक्त 17 आरोप हैं। इन सब की जांच करायी गयी। उनमें से बहुत से सही पाये गये और सम्बन्धित अधिकारियों के बारे में मालूम हुआ कि वह भी उसमें दोषी हैं। तो जब तक यह बात पूरी तरह से नहीं साबित हो जाती कि कौन-कौन दोषी है उस वक्त तक कार्यवाही करना उचित नहीं होगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैंने यह पूछा था.....

श्री अध्यक्ष--

जो मुख्य है उस पर तो आप जाते नहीं, पढ़ कर तो आते नहीं। जो खास बात पूछनी है उसको तो पूछेंगे नहीं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

13-2-75 से 16-2-75 तक ज्वाइंट डायरेक्टर एजूकेशन ने जौनपुर के शिक्षा अधिकारी, श्री अच्युतानन्द त्रिपाठी की जांच की थी और क्या यह सत्य है कि हरिजन छात्रों के लिये निःशुल्क वितरण की जाने वाली अभ्यास कापियों का गोलमाल किया गया और क्या जब जांच शुरू हुई तो जैसा कि रिपोर्ट में है कि अध्यापकों की भविष्यनिधि का रुपया समय स न जमा करना, हरिजन छात्रों के लिये क्रय की गयी अभ्यास पुस्तिकाएं वितरित न करना, जूनियर हाई स्कूल, राजेपुर को एक ही अनुदान दुबारा स्वीकृत करना, स्कूलों से प्राप्त शुल्क का कोई हिसाब न रखना आदि आरोप सही पाये गये, तो यह सारा रूपया क्या जांच करने के बाद जमा किया गया? और दूसरे कानून यह कहता है कि जो पैसा सरकारी हो वह सरकारी कोष में जमा हो जाना चाहिये और जबतक वह जमा न हो तबतक वह गबन की बात मानी जायेगी टैम्पोरेरी एम्बेजिलमेंट की संज्ञा दी जाती है। तो क्या इस सारे मामले को देखते हुये आप गबन का केस उन पर चलायेंगे, उन्हें अविलम्ब निलम्बित करेंगे और जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को पदमुक्त किया जाता है, क्या उस पर भी आप विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो अनियमिततायें बताई, वह सब मेरे पास हैं, और जांच आख्या भी मेरे पास है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप हैं, और बाज बातें सही पायी

गयीं, लेकिन, फिर मुझे दोहराना पड़ता है कि उसमें प्रधान लिपिक और एस0 डी0 आई0 का भी हाथ मालूम होता है। इस वजह से यह बात स्पष्ट हो जाने के बाद अगर श्री अच्युतानन्द त्रिपाठी दोषी हैं तो सिर्फ निलम्बन या मुक्त करने का ही सवाल नहीं है, जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही उचित होगी वह की जायगी।

श्री माता प्रसाद--

शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उन पर 17 आरोप हैं। तो ये आरोप कौन-कौन से हैं, उन्हें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आपने तो उत्तर में कह दिया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। अब आप दूसरा बयान देते हैं कि दूसरों के बारे में सोचा जा रहा है कि उनका कितना दोष है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

एक ही सवाल मुझे कर लेने दीजिये मालूम हो जायगा कि कितना दोष है।

श्री अध्यक्ष--

(तीन, चार सदस्यों के खड़े होने पर) आपकी मदद हम कर रहे हैं तब भी आप नहीं कहने देते। सवाल यह है कि इस प्रश्न को मंत्री जी साफ समझ लें। जवाब में लिखा है कि अधिकारी को सह जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के पद पर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

रामायण राय (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा भी एकाउन्टेन्ट व क्लर्क आदि भी दोषी हैं, तो जो अन्य दोषी लोग है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

रुपये पैसे की गड़बड़ी जो होती है, उसमें एक आदमी ही संबंधित नहीं होता है, अन्य लोग भी होते हैं, अब शासन के अधिकारी इस बात को देख रहे है कि कौन-कौन उसमें दोषी हैं। श्री अच्युतानन्द तिवारी के संबंध में प्राइमाफेसी जो चीज साबित हुई है उसके अनुसार चार्जशीट फ्रेम की जा रही है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि श्री अच्युतानन्द तिवारी ने आज तक चार्ज नहीं दिया है ? वे अभी भी लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनका स्थानान्तरण रुक जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

कौन लखनऊ का चक्कर लगा रहा है, इसकी भी जानकारी हमें रहे, यह तो सम्भव नहीं है, लकिन इतनी बात जरूर है कि जब वे नहीं पाये गये तो उनकी अनुपस्थिति में ही चार्ज दिलवा दिया गया।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

3-12-74 को श्री अमूल्य चन्द्र भट्टाचार्य, जो एक राजनीतिक पीड़ित भी हैं, को चार्ज लेने के लिये कहा गया, फिर 7-12-74 को टेलीफोन पर जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि पुराने श्री अच्युतानन्द तिवारी को ही कार्य करते रहने दिया जाय। फिर 11-12-74

पुनः रेडियोग्राम द्वारा श्री भट्टाचार्य को कार्य करते रहने देने के आदेश दिये और श्री तिवारी को वाराणसी शीघ्र प्रस्थान करके कार्यभार ग्रहण की सूचना 1 दिन के अन्दर देने का आदेश भी दिया गया, क्या यह सही है ? फिर इस प्रकार 4-12-74 से 21-12-74 तक श्री तिवारी ने कहीं भी काम नहीं किया किन्तु वे वेतन प्राप्त करते रहे, इसका कारण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी--

आप का प्रश्न शायद यह है कि बीच में जो स्थानान्तरण हुआ था वह क्यों रद्द किया गया ?

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मंत्री जी ने कहा कि रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जा रही है, मेरा कहना है कि रिस्पांसिबिलिटी तो पहले से हर अधिकारी की फिक्स रहती है। तो जिस वक्त यह कापियां खरीदी गयीं तो उस वक्त कौन अधिकारी था जिसने यह कार्य किया ? उस समय जो भी अधिकारी था उसी की जिम्मेदारी थी ? किस अधिकारी ने 5 हजार 22 रुपये की कापियां खरीदीं ? श्रीमन्, मौजूदा शिक्षा अधिकारी ने रियलाइज किया। समय जो निर्धारित है उसके अन्दर सरकारी काम को अंजाम न देने वाले सारे जो लोग उसके लिये जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इस पर व्यवस्था का प्रश्न इसलिये है कि जो सवाल किया गया और उसका जवाब दिया गया उससे यह स्पष्ट झलक मिलती है कि वह बहुत पौवे वाला आदमी है। यानी बहुत सोर्स वाला आदमी है। (व्यवधान) यह सारी घटना जो आपके सामने आयी कि हरिजन छात्रों के लिये जो अनुदान दिया गया उसमें गड़बड़ी की गयी, भविष्य निधि के पैसे में गड़बड़ी हुई, उसके बाद आज तक उसके लिये किसी की भी रिस्पांसिबलिटी फिक्स नहीं हुई, इसलिये उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। मेरा कहना यह है कि यह स्थानान्तरण जो हुआ है। . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

प्रश्नों के अन्दर अभी कहा गया है कि अमुक-अमुक व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप पूरी पत्रावली देख लीजियेगा। जवाब में बतलाया तो गया कि कार्यभार दूसरे को दिला दिया गया है, तो वे सेवा में कहां हैं ? आप सवाल पूछिये कि सेवा में हैं तो कहां पर हैं ? (व्यवधान) काम का सवाल आप नहीं कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें तीन-चार और अधिकारी लिप्त हैं जिनमें से कुछ का ट्रांसफर कर दिया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस बात की जांच की जा रही है कि रिस्पांसिबिलटी किसकी थी तथा रिस्पांसिबिलटी फिक्स करने के लिये फिर से इनक्वायरी करायेंगे ? जांच जो हुई है वह किसके द्वारा हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री हरी किशोर लाल थे, जिनकी सेवा 5-7-74 को खतम हो चुकी, वे रिटायर हो गये। इससे पहले श्री शिव शंकर सिंह, भूतपूर्व विद्यालय निरीक्षक थे, जिनका हाथ इसमें पाया गया है। तो यह बात सही तरीके से नहीं कही जा सकती है कि इसमें किसका कितना हाथ है। लेकिन प्राइमाफेसी के आधार पर जिन पर केस बनता है उन पर चार्ज लगाया गया है और उनको वहां से हटा दिया गया है। उसकी ऐबसेंस में चार्ज दूसरे को दिला दिया गया है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

इसका जवाब नहीं आया कि किस अधिकारी ने जांच की ?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

13 फरवरी को जांच करने के लिये जो अधिकारी वहां गये उन्होंने जांच में डी0 आई0 के खिलाफ लाखों रुपये की गड़बड़ी पायी। तो क्या उन तथ्यों को छिपाने के लिये ही यह तारांकित प्रश्न किया गया है। श्री शिवशंकर सिंह डी0 आई0 के खिलाफ उसी दिन की रिपोर्ट है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)

आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। माननीय तिवारी जी को पूछने दें।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर तिवारी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि, और जैसा जवाब आया कि 13 फरवरी को कोई अधिकारी जांच करने गया था और 16 तारीख को जांच पूरी हो गयी। तो क्या यह सही पाया गया कि श्री शिव शंकर सिंह, डी0 आई0 के खिलाफ लाखों रुपये के आरोप पाये गये और क्या इसी जांच को छिपाने के लिये अल्पसूचित प्रश्न कर परदा डालने का प्रयास किया गया है ?

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

एक-एक करके कहिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जैसा कि पूछा गया था कि किस ने जांच की, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक, श्री रामहित ने 13-2 से 16-2-75 तक जांच की। इसके अलावा जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा कि इस पर परदा डालने की बात है तो किसी बात पर परदा नहीं डाला जा रहा है। इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, वह इसलिये कि इसमें सही आदमी को सजा दी जा सके। कहीं पर परदा डालने का प्रयास नहीं किया गया है।

श्री उमानाथ--

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि 72-73 में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 5 हजार 22 रुपये 70 पैसे की कांपियां जो खरीदी थीं, उन कापियों को 7 हजार रुपये में स्थानीय पुस्तक बेचने वालों को बेच दिया ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि डी0 आई0 और बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में डिप्टी डाइरेक्टर ने सिफारिश की थी कि इन दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाय। डी0 आई0 का ट्रांसफर तो किया गया पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया गया, तो क्यों इनका ट्रांसफर नहीं किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय श्री शिव शंकर डी0 आई0 के खिलाफ जो शिकायतें थीं, उनकी जांच हो रही थी। उस समय इनके ट्रांसफर का सवाल नहीं था, यह था कि जांच कम्पलीट हो जाय तो उस वक्त इनको हटाया जाय। इसी वजह से ट्रांसफर रोक दिया गया ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, एक सवाल मेरा है। हमारे आजमगढ़ का सवाल है, मौका दें दे।

श्री अध्यक्ष--

आजमगढ़ के जो विधायक हैं, उनको चिंता है ।

(हंसी)

श्री राम अधार--

मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ के विधायकों को क्यों चिंता है ? हम लोगों ने पहले भी कितना लड़ा है, भ्रष्ट अधिकारियों के लिये। मान्यवर, इन्होंने इतना बड़ा घपला किया है। मान्यवर, ऐसा घपला करने वाला अधिकारी

आजमगढ़ को भेजा जा रहा है, तो क्यों भेजा जा रहा है, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? आजमगढ़ को ही क्यों चरागाह बनाया जा रहा है ? अभी डी० पी० ओ० के खिलाफ हम लड़े हैं।

श्री ऊदल—

और कहीं, दूसरे जिले में क्यों नहीं भेजा जा रहा है?

(अनेक सदस्य, खड़े हो कर साथ-साथ बोलने लगे) (शोर)

अध्यक्ष—

(हंसते हुये) मजबूत एम०एल० ए० आप लोग हैं, इसलिये भेजा गया है।

(हंसी)

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, नियम 49 में चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

नियम 49 में देंगे, तो देखेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, अभी देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अभी नहीं। आप लिख कर दे दीजियेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

श्री अध्यक्ष—

जब इस पर चर्चा के लिये कहा है.....

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, सरकार का बयान करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा महत्वपूर्ण है, नियम 49 में चर्चा दें, यह जब लिखकर आयेगा तब देखेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बहराइच जिले की सरजू पम्प कैनाल योजना का निर्माण

*1—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या शासन को ज्ञात है कि जनपद बहराइच में सरजू पम्प कैनाल योजना करीब 4 करोड़ की दो वर्ष से चल रही है परन्तु अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण 1 करोड़ रुपया भी खर्च हो गया है परन्तु अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन तत्काल अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने व योजना को जल्दी पूर्ण कराने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगा ?

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

सरजू पम्प नहर को 4.84 करोड़ (चार करोड़, चौरासी लाख) रुपया की योजना पर वर्ष 1972-73 में कार्य शुरू किया गया तथा इसके तामीरी कामों पर दिसम्बर, 1974 तक कुल 23.41 लाख (23 लाख, 41 हजार) रुपये की रकम का खर्च खास तौर से अप्रोच रोड, टाई बांध और ग्रामों की सड़क के पुल के तामीरी कार्य और मेन नहर पर मिट्टी के काम पर किया गया।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह योजना 4.84 करोड़ रुपये की है, तो इस पर किस दिन से काम शुरू किया गया है? आपने जो बताया कि एप्रोच रोड, टाई बांध और ग्रामों की सड़क के पुल और मेन नहर पर मिट्टी के काम पर अलग-अलग कितना रुपया खर्च हुआ है और स्टाफ की पे अब तक कितनी दी गयी है यह बता दें?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इसमें से इन चीजों पर काम हुआ है और 7 लाख रुपये बिजली बोर्ड को एडवान्स दिया गया है। 10 लाख रुपये रेलवे को दो पुल बनाने के लिये और 6.41 लाख रुपये एप्रोच रोड पर खर्च हुआ है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

इस मामले में, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यहां पर 23 लाख रुपये की बात कही गयी है, किन्तु करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। सरिया और सीमेन्ट सब ब्लैक किया जा रहा है। अखबार में भी 29 जनवरी को दैनिक मास में छपा है। क्या यह बात सही है कि इस गड़बड़ी के सम्बन्ध में कोई आडिट पार्टी जांच के लिये बिठाई गयी है?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मायवर, हमने 23 लाख 41 हजार रुपये बताया है और माननीय सदस्य ने करोड़ों की बात कही है। 7 लाख रुपये बिजली को, 10 लाख रुपये रेलवे को दिया गया है, और 6 लाख 41 हजार रुपया बचा रहा जो मिट्टी के काम के बारे में है। करोड़ों रुपये का सवाल कहां आया? जिसके लिये आडिट पार्टी बैठे?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

प्रश्न हमारा है और समय दूसरे को मिला है।

श्री अध्यक्ष--

आपको भी समय मिलेगा। आपने श्री राम चन्द्र बक्श सिंह के साथ अपना नाम क्यों जोड़ दिया?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 4 करोड़ रुपये की स्कीम है उसको पूरा करने का कब तक लक्ष्य था और जो 4 करोड़ लक्ष्य पूरा करने का इस्टीमेट है, वह यहीं रहेगा या घटेगा बढ़ेगा?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, अभी तक जो प्रश्न था, उस सम्बन्ध में मैंने उत्तर दिया। कब तक लक्ष्य पूरा करने का जो सवाल है, उसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, जिलाधिकारी, बहराइच के अनुसार लगभग एक करोड़ रुपया व्यय हो चुका है, और वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो यदि आपका जवाब सही है तो जिलाधिकारी के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही क्या की है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, जिलाधिकारी ने क्या कहा है, यदि कोई एथारिटेटिव वर्जन हमारे दोस्त दे देंगे, तो निश्चित है कि कार्यवाही होगी। अभी तक एक करोड़ रुपया खर्च करने का सवाल नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, एक करोड़ खर्च हो गया है, और कोई कार्य नहीं हुआ है। मन्त्री जी ने अभी यह तो बताया नहीं है कि स्टाफ के ऊपर कितना खर्च हुआ है ? सब पर कितना रुपया खर्च हुआ है। इसमें स्टाफ का व्यय शामिल नहीं है। यह बतलायें कि स्टाफ पर कितना रुपया खर्च हुआ, टी० ए०, डी० ए० पर कितना खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

यह 23.14 लाख का कुल खर्च बतलाते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

वह कुछ व्यय छिपाना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्टाफ पर कितना खर्च किया ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा --

अध्यक्ष महोदय, मैं बहराइच का रहने वाला हूं। वहां पर कोई एप्रोच रोड नहीं बनी है।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

जो अधिकारी काम कर रहा है उसे तनख्वाह देना भ्रष्टाचार में नहीं आता।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

जो आपने बतलाया है, कोई एक आदमी कर सकता था। मेरा कहना यह है कि सरकार का व्यय हुआ। सरकार ने स्वयं भ्रष्टाचार किया है कि खाते रहो और कमाते रहो।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मेरी सूचना है कि ऐसी कोई बात कलेक्टर ने नहीं कही।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

जो प्रश्न है उसमें भी शब्द है। असरार साहब ने जो सवाल किया, वह ठीक है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैं बहराइच का रहने वाला हूं और जानकारी रखता हूं। आपने कहा है कि एप्रोच रोड पर इतना रुपया खर्च हुआ है। यह बिल्कुल गलत है। कोई एप्रोच रोड वहां नहीं बनी है। क्या मन्त्री जी मेरी इस जानकारी को सही मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, एप्रोच रोड पर पहले अर्थ वर्क का काम होता है। अब अगर माननीय सदस्य यह कह दें कि मिट्टी भी नहीं फेंकी गयी तो अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप 'भी' शब्द के विषय में कह रहे थे।

श्री मधुकर दिघे--

यह था कि 4 करोड़ की दो वर्ष से योजना चल रही है परन्तु अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण 1 करोड़ रुपया भी खर्च हो गया है। परन्तु अभी तक कोई कार्य प्रणाली नहीं हुआ है? इस 'भी' के कारण माननीय मुहम्मद असरार साहब ने प्रश्न पूछा था कि कर्मचारियों और अधिकारियों पर कितना खर्चा हुआ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो ब्योरे का सवाल हुआ।

श्री मधुकर दिघे--

हमारा कहना है कि जितना भी खर्च हुआ वह भ्रष्टाचार में हुआ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इसमें नहीं आता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास काले बाजार में सीमेंट और सरिया बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या जांच करायी?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

अभी तक कोई भी शिकायत इस सम्बन्ध में नहीं प्राप्त हुई है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इस योजना के अन्तर्गत तीन साल से काम हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में कितने रुपयों का काम हुआ है? अभी पता चल जायेगा कि भ्रष्टाचार किस जगह पर है?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इसका ब्रेक-अप मेरे पास नहीं है। जो टोटल खर्चा हुआ था वह मैंने बता दिया। और यह भी बता दिया कि मेरे पास यह सूचना नहीं है कि जिलाधिकारी ने किसी प्रेस कांफेन्स में यह कहा कि एक करोड़ रुपया खर्च हो गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

तो मान्यवर, यह किस आधार पर कहा कि इतना रुपया अभी तक खर्च हो गया है और इतने का कार्य हो गया है?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसमें मैंने कहा कि 7 लाख रुपया बिजली बोर्ड को दिया, 10 लाख रेलवे को और 6.41 लाख रुपया अप्रोच रोड पर मिट्टी फिकवाने पर व्यय हुआ। जहां तक डी0 एम0 के प्रेस कान्फेन्स में एक करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही है, इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री रामायणराय--

मैं माननीय सिचाई मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना को सदन ने कब स्वीकृत किया, इसकी प्रशासकीय, स्वीकृति कब दी गई, इसका प्राक्कलन करते समय कितनी अवधि में इस योजना को पूरा होना था और कितनी धनराशि में पूरा किया जाना था?

श्री अध्यक्ष--

यह बहुत व्यापक प्रश्न है।

श्री रामायण राय--

आर्थिक अपराधों का पता लगाने के लिये यह जानना आवश्यक है कि हमारे सदन ने कब इस योजना को स्वीकृत किया और उसकी प्रगति क्या है?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, 1972-73 में इसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ 84 लाख रुपया आंकी गई और योजना आयोग से इसकी स्वीकृति सन् 1974 में मिली।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अब माननीय मन्त्री जी यह बतायें कि अब यह योजना कितने रुपये की है और कितने दिनों में पूरी हो जायेगी और क्या इसकी जांच के सम्बन्ध में कोई समिति बैठायेंगे जो मौके पर जाकर देखे कि क्या काम हुआ है? क्योंकि मान्यवर, मैंने यह प्रश्न 8 महीने पहले दिया था और 3 बार लैप्स हुआ मैंने फिर-फिर नोटिस दी। तीन दफा एडमिट होकर डिपार्टमेंट में चला गया। मैं इसी वजह से ब्रेक-अप चाहता था कि 1972-73 में, 1973-74 में और 1974-75 में कितना रुपया व्यय हुआ। अगर उनके पास ब्रेक-अप होता तो मैं उनसे सवाल करता। इसको आज आप स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

पहले दिनांक 4 अगस्त, 1974 को यह प्रश्न शासन को भेजा गया और फिर दुबारा नोटिस दी गयी दिनांक 1 मार्च, 1975 को। तो यह सवाल स्थगित क्यों न किया जाय?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, काम जब कोई शुरू होता है तो कंटिनुअस प्रोसेस में होता है और कई स्टेजेज में होता है। कुछ काम हो जाते हैं और उनका पेमेन्ट नहीं होता। तो यह बतलाना कि 6 महीने में क्या-क्या काम हुआ और उसका कितना-कितना पेमेन्ट हुआ, मुश्किल है। फिर एक प्रोजेक्ट को खत्म करने में कुछ समय लगता है। जब तक किसी प्रोजेक्ट पर कुछ समय तक काम नहीं हो जाता है तब तक कास्ट निकालना मुश्किल है इसलिये कि कुछ आउटस्टैन्डिग बिल होते हैं और उनका पेमेन्ट करना होता है। फिर किसी प्रोजेक्ट पर पर्टिकुलर मशीन ने इतने घंटे काम किया उसकी कास्ट निकालनी होती है। लिहाजा हर आइटम पर अलग-अलग कास्ट निकालना मुश्किल होता है, हां पर्टिकुलर स्टेज पर बतलाना आसान होता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

माननीय मन्त्री माइक पर बोलें। सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

एक प्रोजेक्ट के लिये कई करोड़ की मशीनें खरीदी जाती हैं। वह मशीनें उसी प्रोजेक्ट के लिये नहीं होतीं, दूसरे प्रोजेक्ट पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। लिहाजा

यह निकालना मुश्किल है कि अर्थ वर्क कितना हुआ और इस मशीनरी से काम लिया गया तो कितना खर्चा हुआ। कोई मशीनरी जब किसी जाब पर लगाई जाती है तो काम पूरा होते ही दूसरी जगह भेज दी जाती है, फिर तीसरी जगह लगा दी जाती है। लिहाजा मशीनरी का खर्चा उस हद तक नहीं जोड़ा जा सकता जैसा कि असरार साहब चाहते हैं। इसलिये 5, 6 महीने जो प्रोजेक्ट पर काम हुआ उसका ब्योरेवार खर्चा बतलाना मुश्किल है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैंने कई दफा नोटिस दिया था और जवाब मान्यवर, आपने सुन लिया कोई ब्रैक-अप माननीय मन्त्री देने को तैयार नहीं हैं। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति ने हमेशा इस बात की निन्दा की है कि इस तरह से एस्टिमेट्स बनाये जाते हैं जो गलत होते हैं। तो उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

जब मैं कह चुका हूं कि अर्थ वर्क नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, बहराइच, ने जो कहा उस पर मैंने यही कहा कि मैं उसका नोटिस लेता हूं और अगर कोई अर्थ वर्क नहीं हुआ है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में रत्ती भर भी मैं संकोच नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, बहराइच, को संतोष हो गया। अब मैं पुन: यही बात कहता हूं कि अगर एप्रोच रोड पर अर्थ वर्क नहीं हुआ है, तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

यह मामला बहराइच का बहुत संगीन मामला है। न कोई रोड बनी है और न कोई अर्थ वर्क हुआ है। दो अखबारों में भी इस सम्बन्ध में सूचना छपी है कि बहराइच में 1 करोड़ रुपया जाया किया गया। अब सवाल यह है कि सदन में ये बातें आ रही हैं लिहाजा मैं आश्वासन चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस पूरी स्कीम की रूप-रेखा को देखते हुये कि पिछले दो साल से एप्रोच रोड पर कोई अर्थ वर्क नहीं हुआ है इसकी कोई जांच करायेंगे ? और विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको ध्यान में रखते हुये क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मैं कह चुका हूं कि अभी माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है तो उसकी मैं नोटिस लेकर जांच करा लूंगा। अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसकी अवश्य जांच करा लूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुहम्मदपुर के सहायक अध्यापक का निलम्बन

*1--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) --

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुहम्मदपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का कोई सहायक अध्यापक दिनांक 21 अक्तूबर, 1970 को निलम्बित किया गया था और आज तक निलम्बन आदेश समाप्त नहीं हुआ है और कोई भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्राप्त सूचना अपूर्ण होने के कारण और सूचना मांगी गई है।

नोट--[नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

अधिशासी अभियन्ता, नारायणी नहर खंड, गोरखपुर द्वारा मिट्टी के कार्य का भुगतान

*2—श्री किरंती प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री प्रथम सत्र 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 10, दिनांक 26 जुलाई, 1972 के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 जनवरी, 1969 को 5 लाख घनफुट मिट्टी का एग्रीमेंट अधिशासी अभियन्ता ने किया था और इसका रनिंग पेमेन्ट, तीन लाख 30 हजार घन फुट का हुआ तथा अन्तिम पैमाइश दिनांक 30 दिसम्बर, 1969 को 2 लाख 87 हजार घनफुट मिट्टी की हुई। परन्तु सहायक अभियन्ता, तृतीय इसी कार्य हेतु कार्यादेश सं0 50/33, दिनांक 14 मई, 1969 व कार्यादेश सं0 29/10, दिनांक 14 अगस्त, 1969 को किसी अन्य ठेकेदार के नाम पीछे की तारीखों में करके अधिक दर पर भुगतान कर चुका था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि कार्यादेश पर संविदा से अधिक दर पर भुगतान हो चुका था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

अधिशासी अभियन्ता, नारायणी नहर, गोरखपुर द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 1968 को अनुबन्ध संख्या 24/67-68 श्री राम शकल ठेकेदार के साथ 5 लाख घनफुट मिट्टी का कार्य करने के लिये किया गया था। कार्य का रनिंग भुगतान 3,29,038 घनफुट मिट्टी के लिये दिनांक 30 जून, 1968 को किया गया। कार्य में प्रगति न होन के कारण दिनांक 9 अप्रैल, 1969 को अनुबन्ध रद्द किया गया तथा उसके बाद आखिरी पैमाइश जो अप्रैल, 1969 में की गयी, मिट्टी की मात्रा 2,81,654 घनफुट पायी गयी। ठेकेदार द्वारा छोड़े गये कार्य को तीन कार्यादेश जो जनवरी, 1970 में मन्डल की मंजूरी शिड्यूल आफ रेट पर किये गये थे, से पूरा कराया गया। कार्यादेश सं0 50/33, दिनांक 14 मई, 1969 तथा 29/10, दिनांक 14 अगस्त, 1969 श्री राम शकल के उक्त अनुबन्ध में छोड़े गये कार्य के लिये नहीं था बल्कि अन्य कार्यों के लिये था।

मैनपुरी जिले के दयानन्द इन्टर कालेज के व्यवस्थापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

*3—श्री रघुबीर सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिल के दयानन्द इन्टर कालेज, ज्योति के व्यवस्थापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और बेईमानी की शिकायतें जनता ने जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी को 1970 ई0 में की थीं ? उसी आधार पर उन्होंने विभागीय आडिटर द्वारा स्पेशल आडिट 7 जून से 15 जून, 1971 तक कराया और जनता की शिकायतें सही पाई गई थीं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, आडिट कराने में कुछ शिकायतें सही पाई गईं। आडिट आख्या की प्रति संस्थाधिकारियों को भेजी गई तथा विभाग द्वारा अनुपालन आख्या मांगी गई। काफी समय देने पर भी अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई अत: संस्थाधिकारियों को दिनांक 22 जनवरी, 1975 को इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 16डी(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दे दी गई है।

फर्रुखाबाद जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध की गयी जांच

*4—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच दिनांक 15, 16, 17 जुलाई, 1974 में

उप-शिक्षा निदेशक द्वारा की गई? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला? दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। जांच आख्या के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

उन्नाव जिले के बेसिक अध्यापकों के वार्षिक आम स्थानातरण से सम्बन्धित आदेश

*5—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शिक्षा निदेशक अथवा शिक्षा निदेशक (बेसिक) अथवा उप-निदेशक, लखनऊ मन्डल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को दिनांक 11 दिसम्बर, 1974 को कोई ऐसा मौखिक आदेश प्रदान किया है कि उन्नाव जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के अध्यापकों के वार्षिक आम स्थानान्तरण न किये जायं और इस प्रकार के लिखित एवं मौखिक आदेश बेसिक शिक्षा परिषद् गठित होने के पश्चात् बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को कितनी बार और कब-कब किये गये हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

इस विषय में लिखित आदेश 25 मार्च, 1974 को दिये गये हैं।

फर्रुखाबाद जिले के बेसिक अध्यापकों का बकाया वेतन

*6—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1972 में जब राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा का अधिग्रहण किया उस समय जिला परिषद, फर्रुखाबाद को कितनी धनराशि बेसिक शिक्षा अध्यापकों को बकाया के रूप में देनी थी तथा उसमें से कितनी धनराशि 31 दिसम्बर, 1974 तक दी जा चुकी है? शेष धनराशि के शीघ्र भुगतान के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

लगभग 8.60 लाख रुपया।

7.93 लाख रुपया दिया जा चुका है।

विचाराधीन है।

वाराणसी जिले की लऊआरी तथा पथरोल बन्धियों को बारिश से क्षति

*7—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की चकिया तहसील में बन्धी लऊआरी खुर्द एवं बन्धी पथरौल जिसे 1973-74 में बनाया गया था, 1974 की बारिश में टूट गई? यदि हां, तो इन दोनों बन्धियों पर कितना रुपया खर्च किया गया था और टूटने का कारण क्या है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

लोआरी खुर्द बन्धी वर्ष 1973-74 में पूरी नहीं हुई और पैसे की कमी के कारण इसे अगत वर्षा ऋतु से पहले पूरा नहीं किया जा सका। अत: इसके बारिश से टूटने का

प्रश्न नहीं उठता। इस बन्धी पर टैस्ट वर्क के जरिये से मार्च, 1974 तक 95, 852 रुपया खर्च किया गया है ।

पथरौल बन्धी का निर्माण मार्च, 1974 में 24,140 रुपये की लागत से पूरा किया गया व इसके मध्य भाग का कुछ हिस्सा 14 जुलाई, 1974 को हुई नागहानी बारिश के सबब से बह गया।

वाराणसी जिले की पंडी बन्धी में जल सम्भरण

*8--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जनपद के बन्धी पन्डी जिसका निर्माण 4/5 लाख रुपया लगाकर 1973-74 में कराया गया था उसमें उत्तरी हिस्से में 100 फुट बन्धी न बनाने से एक इंच भी पानी नहीं टिकता? यदि हां, तो इस बन्धी का नक्शा किसने अधूरा बनाया था और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और अधूरी बन्धी उत्तरी हिस्से की कब बनाई जायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के किसान इन्टर कालेज, मरहा कटया के छात्रों की हड़ताल

*9--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इन्टर कालेज, मरहा कटया, जिला बस्ती के छात्रों ने दिनांक 25 सितम्बर, 1974 से दिनांक 2 अक्तूबर, 1974 तक अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की थी? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या रहीं? क्या छात्रों ने विद्यालय के 1 लाख रुपये के गबन का मामला भी अपनी मांगों में जांच हेतु सम्मिलित किया था? यदि हां, तो इस मामले की जांच कराई गई या नहीं? यदि कराई गई, तो कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। छात्रों ने निलम्बित अध्यापक, श्री काशीराम मिश्र को बहाल किये जाने तथा छात्र कोषों एवं छात्रवृत्ति आदि के वितरण में की गई धांधली व अनियमितता की जांच कराये जाने की मांग की थी। मांगों में एक लाख रुपये की किसी धनराशि का उल्लेख नहीं है किन्तु कई मदों में काफी बड़ी धनराशि के व्यय में गड़बड़ी का आरोप है ।

श्री काशीराम मिश्र अध्यापक को अधिकारियों ने दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 को बहाल करा दिया। अनियमितताओं की जांच हेतु उप-शिक्षा निदेशक 7 फरवरी, 1975 को गये थे किन्तु विद्यालय अनधिकृतरूप से बंद होने के कारण जांच सम्पन्न न हो सकी। अभिलेखों का स्पेशल आडिट किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

[19 मार्च, 1975 के लिये निर्धारित तारांकि प्रश्न]

*1--श्री बाबू लाल वर्मा--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बहराइच जिले के श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जीवविज्ञान की मान्यता न मिलना

*2—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नानपारा की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 1975 हेतु सरकार जीव विज्ञान विषय की मान्यता प्रदान करेगी जबकि उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने वर्ष 1975 की हाई स्कूल परीक्षा में जीव विज्ञान विषय की परीक्षा की मान्यता दे दी है ? तो सरकार को मान्यता देने में क्या कठिनाई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नानपारा, बहराइच का 1975 की परीक्षा से जीव विज्ञान हाई स्कूल की मान्यता का विषय मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा मुख्यत: हाई स्कूल कक्षाओं की छात्र संख्या न्यून होने के कारण अस्वीकृत किया जा चुका है। अत: उक्त परीक्षा से मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मुख्य संस्तुतियां

*3—श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुये कृपया बतायेगी कि उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

रिपोर्ट का मुद्रण नहीं कराया गया है, इसलिये उसे सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं हो सका। सदस्यगण शिक्षा मन्त्री के कार्यालय में उसे देख सकते हैं। समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें अनुलग्नक में अंकित है। रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 475 पर)

सीतापुर जिले के ग्राम सहादत नगर व कोलहवा को सिंचाई हेतु पानी न मिलना

*4—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

द्वितीय सत्र 1974 के दूसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव कुलहवा, सहादत नगर, जिला सीतापुर में 1085 व 478 एकड़ भूमि में से पिछले चार वर्षों से कुल 290 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये पानी देने के क्या कारण हैं ? सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

ग्राम सहादत नगर व कोलहवा राजबहा इस्लाम नगर सिस्टम के निचले भाग में स्थित है इसलिये यहां पानी की कमी रहती है। इस सिस्टम पर पानी की कमी रहती है। इस सिस्टम पर पानी की कमी को दूर करने के लिये इस्लाम नगर पम्प नहर योजना चालू की जा रही है। इस योजना निर्माण के बाद बताये हुये ग्रामों को ज्यादा पानी मिलने लगेगा।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्यरत प्रसार अध्यापकों का वेतन मान और बकाये के भुगतान की मांग

*5--श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अप्रैल, 1965 में स्थायी घोषित किये जाने के बाद इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले प्रशिक्षित स्नातक, प्रवक्ता तथा सुपरवाइजरों का वेतन मान कम कर दिया गया था? यद्यपि सभी ने डेढ़ वर्ष का एन0 टी0 सी0 आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था?

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री राम जी लाल सहायक)--

जी हां, परन्तु केवल स्नातक वेतन-क्रम के प्रसार अध्यापकों का।

*6--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन-मान दिनांक 1 अगस्त, 1972 से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे अन्य समान स्तरीय कर्मचारियों के वेतन-मान के अनुरूप हो गये? यदि हां, तो अप्रैल, 1965 से 31 जुलाई, 1972 तक वेतन-मान का अन्तर क्या सरकार शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे उपरोक्त कर्मचारियों को देगी?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां, प्रसार अध्यापकों का वेतन-क्रम दिनांक 1 अगस्त, 1972 से वही हो गया जो एल0 टी0 वेतन क्रम के सामान्य अध्यापकों के लिये स्वीकार किया गया था।

1 अप्रैल, 1965 से स्वीकृत वेतन-मान वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों पर तथा 1 अगस्त, 1972 से स्वीकृत वेतन-मान उत्तर प्रदेश वेतन-आयोग (1971-73) की सिफारिशों पर आधारित था। अतएव, उक्त अवधि में आये अन्तर को अब देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षक संघ की विचाराधीन मांग

*7--श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव), श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया), श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर), श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री मोहन लाल कपूर--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ द्वारा प्रेषित मांगों के सन्दर्भ में श्री रमेन्द्र वर्मा, एम0 एल0 सी0, श्री ईश्वर शरण सिंह (भाई जी), एम0 एल0 सी0, श्री मो0 रफी खां, एम0 एल0 ए0 द्वारा 1974-75 में भेजे गये पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की मांगों पर शासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिले के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के एल्कोहल टेक्नालाजिस्ट श्री यू० के० मिश्रा के विरुद्ध गबन की शिकायत

*8--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के एल्कोहल टेक्नोलोजिस्ट, श्री यू0 के0 मिश्रा को गत वर्ष माह मई, 1974 में

संस्थान के परीक्षण हेतु आयी हुई शराब की चोरी करते हुये संस्थान के कर्मचारियों ने पकड़ा था और इसके सम्बन्ध में यहां के कर्मचारियों ने संस्थान के निदेशक तथा शासन को सूचना दी थी ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक संस्थान के एल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट श्री यू0 के0 मिश्रा के बारे में अप्रैल, 1974 में संस्थान में परीक्षण हेतु आई हुई शराब की एक बोतल की चोरी करने की शिकायत संस्थान के निदेशक तथा शासन को प्राप्त हुई थी। इस मामले की जांच के लिये संस्थान के निदेशक द्वारा जांच समिति नियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। चूंकि यह संस्थान स्वशासित संस्थान है अत: इस रिपोर्ट पर संस्थान की प्रशासकीय परिषद् द्वारा निर्णय लिया जायगा।

*9--श्री गंगा स्वरूप--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रधानाचार्य, शिवपति इन्टर कालेज, बस्ती का अनुमोदन एवं प्रशिक्षण योग्यता से दी गई छूट

*10--श्री रामपति (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के शिवपति इन्टर कालेज, शोहरतगढ़ के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध शासन को 1 जुलाई, 1973 से 31 जनवरी, 1975 तक कितने शिकायती पत्र किन-किन लोगों द्वारा कब-कब, गलत अनुमोदन को निरस्त करने तथा प्रशिक्षण से प्राप्त गलत छूट के सन्दर्भ में प्राप्त हुये और उस पर क्या कार्यवाही आज तक की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न के प्रथम भाग में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

इस मामले में जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि श्री मु0 रफीक खां को प्रशिक्षण योग्यता से मुक्ति दिये जाने में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है। नियुक्ति का अनुमोदन नियमानुसार हुआ है अत: उसे निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 476 पर।)

*11--श्री त्रिवेणी सहाय--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बहराइच जिले के कतिपय नालों पर पक्की बंधी बनाने हेतु अतिरिक्त जिलाधीश को तथाकथित प्रार्थना पत्र

*12--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के सिरसिया विकास खंड में स्थित सूर्यकुन्डा एवं गेरुहा हथिया कुन्डा पहाड़ी नाले पर पक्की बन्धी निर्माण हेतु अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग, बहराइच को अक्तूबर, 1974 में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*13--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नलकूप मण्डल अलीगढ़ के अन्तर्गत अमीनों का कथित प्रत्यावर्तन

*14--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, नल-कूप मन्डल, अलीगढ़ के आदेश पत्रांक डी0/4145/टी0डब्लू0ए0बी0/1/1/टी0, दिनांक 25 जनवरी, 1974 के अधीन दिनांक 1 मई, 1974 से उपरोक्त मन्डल के 11 अमीनों के पद कम कर दिये गये हैं और तदनुसार 11 अमीनों को कूप चालकों के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

मिर्जापुर जिले की सधौरा पम्प नहर में विजयपुर ग्राम का कुलावा

*15--श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के सधौरा पम्प नहर में विजयपुर ग्राम के सामने किसानों ने एक नया कुलावा खोलने के लिये 24 जनवरी, 1974 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जियपुर नाम का ग्राम इस क्षेत्र में नहीं है। विजयपुर ग्राम में सिंचाई के लिये एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1974 को मिला था। इस पर विचार कर कुलावा नं0 15 को 4 इंच से बढ़ाकर 6 इंच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

*16--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

सोहन लाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ के अध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन

*17--श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोहनलाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ की प्रबोध समिति द्वारा जे0टी0सी0 वेतन-क्रम में एक अध्यापक की नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 को भेजा गया था ? यदि हां, तो अभी तक अनुमोदन न देने का क्या कारण है ? क्या ऐसी नियुक्तियां वर्ष 1973-74 में हुयी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, कथित प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को दिनांक 4 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुआ था ? किन्तु नियम व सम्बन्धित शासनादेशों के सम्बन्ध में कतिपय भ्रम होने के कारण उनके द्वारा अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया। इसके विरुद्ध उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को अपील की गई है, जिसका निर्णय नियमानुसार हो जायेगा। भ्रम निवारणार्थ आवश्यक आदेश भी जारी किये जा रहे हैं।

इस प्रकार के तीन प्रस्ताव वर्ष 1973-74 में अनुमोदित किये गये थे।

बस्ती जिले के बुद्ध विद्यापीठ इण्टर कालेज की मान्यता

*18--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बर्डपुर बाजार, बस्ती के बुद्ध विद्यापीठ इन्टर कालेज के पास कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है और इन्टर की पढ़ाई डिग्री कालेज की बिल्डिंग में होती है ? यदि हां, तो इन्टर कालेज की पढ़ाई की मान्यता किस आधार पर दी गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

उपलब्ध सूचना के अनुसार बुद्ध विद्यापीठ इन्टर कालेज, बर्डपुर बाजार बस्ती के पास अपना निजी भवन है और इस विद्यालय में इन्टर तक शिक्षण कार्य अपने भवन में ही किया जाता है। डिग्री कालेज का संचालन बर्डपुर से लगभग 9 मील दूर तेंतरी बाजार में होता है।

बांदा जिले की भौरा (जमुना) तथा दौलतपुर (केन) योजना

*19--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला में केन नदी के पश्चिमी भाग की सिंचाई हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित भौरा (जमुना) तथा दौलतपुर (केन) योजनाओं का सर्वे कब हुआ और अब तक कार्यारम्भ न होने का कारण क्या है ? क्या शासन इस कार्य को अब प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न का प्रथम भाग

भौंरा (जमुना) योजना का प्रारम्भिक सर्वे 1970-71 में किया गया था तथा दौलतपुर योजना में सर्वे अभी नहीं हुआ है। भौंरा योजना में कुछ संशोधन प्रस्तावित है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न का द्वितीय भाग

भौंरा योजना की रूप-रेखा तैयार हो जाने तथा इसके स्वीकृत हो जाने के पश्चात् धन उपलब्धि के अनुसार कार्य कराना सम्भव हो सकेगा। दौलतपुर योजना के विस्तृत सर्वे का काम अगले साल में किया जायेगा तथा परियोजना के स्वीकृत होने और धन उपलब्ध होने पर ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों की असिस्टेंट इन्जीनियरों के पद पर पदोन्नति

*20--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में इस समय कुल कितने जूनियर इंजीनियर कार्य कर रहे हैं और 1946 से 1964 तक के कितने ऐसे जूनियर इंजीनियर हैं जिन्हें ए० ई० बनने का अवसर नहीं दिया गया है ? इसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं और इन्हें ए० ई० न बनाने का क्या कारण है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

*21--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के विकास खंड हरिहरपुर रानी, सिरसिया एवं इकौना में कितने प्राइमरी पाठशाला हैं जिनके भवन बने हैं और कितने ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं हैं ? क्या बिना भवन वाले प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*22--श्री इन्द्र लाल--

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 61 पर स्थानान्तरित।]

मुरादाबाद जिले के निष्क्रिय नलकूप तथा नलकूपों के पम्प हाउस का निर्माण

*23--श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में काफी संख्या में राजकीय नलकूप बन्द पड़े हुये हैं। यदि हां, तो सिंचाई विभाग द्वारा वह कब तक चालू कर दिये जायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, ट्रान्सफार्मर की चोरी या खराबी और दूसरी बिजली की खराबी की वजह से बन्द नलकूपों को चालू करने के लिये विद्युत् विभाग से कहा गया है। यान्त्रिक खराबी से दो नलकूपों को जल्द ही चालू कर दिया जावेगा। 4 नलकूप फेल हो गये थे। इनमें से दो नलकूपों का पुनर्निर्माण हो गया है और बिजली मिलना बाकी है। बाकी दो का पुनर्निर्माण होना है।

*24--श्री ओम प्रकाश--

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग के निर्माण कार्यों का ठेका ठेकेदारों द्वारा ही कराया जाता है ? क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा यह कार्य कराने की योजना विचाराधीन है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

पम्प हाउस व गूल बनाये जाने को छोड़कर नलकूप का निर्माण नलकूप विभाग खुद करता है। पम्प हाउस का बनाया जाना अब विभाग के जरिये ही किये जाने का प्रस्ताव है।

वाराणसी जिले के ग्राम घोसिया व माधोसिंह के नागरिकों का सड़क निर्माणार्थ प्रार्थना-पत्र

*25--श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1973 में तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी के ग्राम घोसिया तथा माधोसिंह के नागरिकों ने सड़क एवं पुलिया बनाने हेतु जिलाधीश, वाराणसी के आश्वासन पर कि गांव के लोग जितनी पूंजी लगायेंगे ठीक उतनी और पूंजी सरकार लगायेगी 10,000 (दस हजार) रुपया जमा किये ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक वहां क्या-क्या कार्य किया ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा जिले के सादाबाद इन्टर कालेज के सहायक अध्यापक का निलम्बन

*26---श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के सादाबाद इन्टर कालेज, सादाबाद में एक सहायक अध्यापक 2 फरवरी, 1970 से निलम्बित है ? उनके इतने वर्षों से निलम्बित रहने का क्या कारण है ? क्या सरकार को निलम्बित अध्यापक के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

उपलब्ध सूचना अपूर्ण थी, अत : पूर्ण सूचना प्राप्त की जा रही है।

जौनपुर जिले की टंडना व भैसा लिफ्ट कैनाल के लिये पाइप की खरीद

*27---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टंडना लिफ्ट कैनाल तथा भैसा लिफ्ट कैनाल, जौनपुर में क्रमश : 40 पाइप चालीस इंच की तथा चालीस पाइप तीस इंच की दो-तीन वर्ष से वहां पड़ी हुयी हैं और भैसा लिफ्ट कैनाल की पाइप बैठा दी गयी है। यदि हां, तो इन पाइपों को खरीदने में तथा लिफ्ट कैनाल तक लाने एवं उन्हें फिट करने में कितना रुपया खर्च किया गया है और बिला आवश्यकता के ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जब कि भैसा में दो पाइप पन्द्रह इन्च की तथा टंडवा में एक बड़ी पाइप तीस इंच की चल रही है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता तारीख 7 जनवरी, 1974 का सिंचाई मन्त्री को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय को दिया गया अनुदान

*28---श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय, जोगिया, बस्ती को त्रिसूत्रीय नियम के अनुसार संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक के लिये 1973-74 तथा 1974-75 सालों में अनुदान दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो अनुदान न देने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों क स्थानांतरण की मांग

*29---श्री प्रभु दयाल---

क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के जिन जूनियर हाई स्कूलों में निर्धारित संख्या में छात्र नहीं हैं उन स्कूलों का जनपद के दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर शासन विचार करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजीपुर जिले की देवकली पम्प नहर का निर्माण

*30--श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में निर्माणाधीन देवकली पम्प नहर परियोजना सरकार ने स्थगित कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उसके निर्माण के लिये सरकार क्या कर रही है ? और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं। इस परियोजना पर निर्माण कार्य चालू है। योजना का पहला चरण जून, 1976 में पूरा होने की आशा है?

*31--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मुरादाबाद जिले की रामगंगा फीडर नहर के पानी से गांवों को तथाकथित क्षति

*32--श्री मनीराम (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ नहर जो मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील होकर गंगा नदी में मिलती है उसमें अभी हाल में ही इतना अधिक पानी छोड़ दिया गया कि शेरपुर तथा उनके निकट के गांवों में नहर का पानी भर गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? भविष्य में ऐसी घटना पुन : न हो, इसके लिये शासन ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

रामगंगा फीडर नहर (जिसे कालागढ़ नहर कहा गया है) जो शेरपुर गांव के समीप वाहा नाले में, रामगंगा का पानी डालती है, विगत दिनांक 12 दिसम्बर, 1974 को चलाई गई। इसकी क्षमता 5000 घ0 फु0 फी0 सेकेन्ड है, लेकिन इसमें छोड़े गये पानी की अधिकतम मात्रा अभी तक 4000 घ0 फु0 फी0 सेकेन्ड है, जो टेल पर लगभग 3500 घ0 फु0 फी सेकेन्ड रह जाती है। इस तरह इस नहर से अधिक पानी नहीं छोड़ा गया और न ही इस नहर से शेरपुर व उसके नजदीक के गांवों में पानी भरा। इसीलिये किसी के दोषी होने या उसके खिलाफ कार्यवाही आदि करने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले क विकास खंड उस्का बाजार में कूड़ा नदी की बाढ़ से क्षति

*33--श्री राम रेखा यादव--

क्या सरकार यह बतलायेगी कि बस्ती जिले में विकास खंड उस्का बाजार में कूड़ा नदी के बाढ़ से सरौली इलाका के हजारों ग्राम पानी से हर वर्ष डूब जाते हैं ? यदि हां, तो उन ग्रामों की रक्षा हेतु क्या सरकार रेलवे पुल से गंगधरपुर ग्राम तक बांध बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

बस्ती जिले के उस्का बाजार विकास खंड में कूड़ा नदी के बाढ़ से सरौली रकबे के लगभग 18 ग्राम पानी से मुतास्सिर हो जाते हैं। इस रकबे की हिफाजत के लिये अभी कोई योजना जेरे-गौर नहीं है ? सर्वे के बाद ही इस रकबे की हिफाजत के लिये किसी योजना पर विचार मुमकिन हो सकेगा।

उन्नाव जिले के प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के लिये अध्यापकों की आवश्यकता और की गयी नयी नियुक्तियां

*34--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्रारम्भिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या एवं कक्षाओं के आधार पर इस समय कितने अतिरिक्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति अब कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

उन्नाव जनपद में प्राइमरी स्कूलों में 240 तथा जूनियर हाई-स्कूलों में 103 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता है परन्तु संसाधनों की कमी के कारण इनकी पूर्ति सम्भव नहीं है ?

*35--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की नव-नियुक्तियां कब से नहीं हुयीं और इन नव नियुक्तियों के अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मितव्ययिता के कारण दिनांक 29 नवम्बर, 1973 के उपरान्त उन्नाव जनपद के विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकाओं की नव नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

*36--श्री मूलचन्द राजपूत--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

मुजफ्फर नगर जिले के ग्राम कमरुद्दीन नगर स्थित जूनियर हाई स्कूल को बन्द करने की मांग

*37--श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम राजपुर-छाजपुर के जूनियर हाई स्कूल की कोई ब्रांच ग्राम कमरुद्दीन नगर में चल रही है जहां केवल 20-30 छात्र हैं और इन पर लगभग 1,000 रुपया प्रतिमास खर्च पड़ता है ? यदि हां, तो इस ब्रांच के चलाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इसे तुरन्त बन्द कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

तरबगंज-नवाबगंज सड़क पर दुर्जनपुर घाट के पुल पर आवागमन की पाबन्दी

*38--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि तरबगंज से नवाबगंज जाने वाली सड़क पर नवाबगंज चीनी मिल का गन्ना ट्रक से ले जाया जाता है जबकि दुर्जनपुर घाट पर बने पुल पर से केवल 5 टन वाली ट्रकों को ले जाने की राजकीय आज्ञा है ? यदि हां, तो इस बात को देखते हुये कि पुल बहुत ही कमजोर है ट्रकों एवं भारी गाड़ियों के आने जाने पर कड़ी पाबन्दी जनहित में कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री शिवप्रसाद सिंह—

जी हां। भारी गाड़ियों के आवागमन पर पाबन्दी हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक साइन बोर्ड लगाये गये हैं एवं उनकी रफ्तार धीमी रखने के लिये स्पीड ब्रेकर्स बनाये गये हैं। आदेशों का उल्लंघन करके गुजरने वाली भारी गाड़ियों के प्रति पुलिस अधिकारी भी सचेत हैं।

अतारांकित प्रश्न

बरेली जिले के महिला दीक्षा विद्यालय में अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति

1—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न महिला दीक्षा विद्यालयों की प्रधानाचार्या क्या अन्ट्रेन्ड हैं? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किये जाने का आधार क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

केवल एक अन्ट्रेन्ड (अप्रशिक्षित) प्रधानाध्यापिका है। उनकी नियुक्ति नियमानुसार पदोन्नति द्वारा हुई है।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा निर्मित प्राइमरी स्कूल

2—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस-किस जिले में कितने-कितने प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की द्वारा होने थे उनमें से कितने अब तक बनाये गये और कितने बनना शेष हैं तथा वह कब तक बन जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की के माध्यम से निर्मित अथवा निर्मित किये जाने वाले भवनों सम्बन्धी अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है?

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 477 पर)

विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों का स्थायीकरण

3—श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री (बेसिक) यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने विद्यालय प्रति उप निरीक्षक अननुमोदित हैं? इनमें तीन वर्ष या उससे अधिक सेवा के कितने विद्यालय प्रति उप निरीक्षक हैं? तीन वर्ष या इससे अधिक सेवा के विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों को अब तक न स्थायी किये जाने का कारण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

463 विद्यालय प्रति उप निरीक्षक अननुमोदित हैं, जिनमें से 305 तीन वर्ष की अथवा उससे अधिक सेवा कर चुके हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित न होने से वे अभी तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं।

देवरिया जिले में घाघरा नदी पर भागलपुर में पीपे का पुल

4—श्री हरिकेवल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के भागलपुर में घाघरा पर पीपे के पुल के लिये कुल कितने लाख की योजना बनी थी और राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति कब दी और उसके निर्माण की प्रगति क्या है?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

सितम्बर, 1971 में इस पीपे के पुल का निर्माण 30.10 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया था।

पेन्टून (पीपे) का आर्डर दिया जा चुका है। पुल से सम्बन्धित पहुंच मार्ग, वर्कशाप व भवनों का कार्य प्रगति पर है।

बुलन्दशहर जिले की निर्माणाधीन सड़कें

5--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितनी सड़कों का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्माण करने का लक्ष्य था ? उनमें से कितनी सड़कें बन गईं ? जो नहीं बनीं, उनके न बनने का क्या कारण है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जिला बुलन्दशहर में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 29 सड़कों पर नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण के कार्य करने का लक्ष्य था। इनमें से 8 सड़कें बन गईं हैं और 4 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है। शेष सड़कों के न बनने के कारण निम्नवत् हैं :--

(1) सामान्य धनाभाव।

(2) भूमि उपलब्ध न होना।

(3) संरेखण में विवाद।

सहायक इन्सपेक्ट्रेस आफ गर्ल्स स्कूल के रिक्त पद

6--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सहायक इन्सपेक्टर आफ गर्ल्स स्कूल के तथा रीजनल इन्सपेक्टर्स आफ गर्ल्स स्कूल के कितने पद 1 जुलाई, 1974 को रिक्त थे ? उन पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं तथा उन पर नियुक्ति कब कर दी जायेगी और उसका आधार क्या होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

केवल सहायक इन्सपेक्ट्रेस आफ गर्ल्स स्कूल के 11 पद रिक्त हैं। जुलाई, 1974 में शासन द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिकोण से नये पदों के भरने पर लगायी गयी रोक के कारण ये पद भरे नहीं गये थे। अब यह रोक हट गयी है। अतएव निर्धारित शैक्षिक व प्राविधिक अर्हताओं को दृष्टिकोण में रखकर सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा इन पदों को भरने हेतु कार्यवाही अब की जायगी।

नलकूप मण्डलों के विभिन्न अभियन्ताओं द्वारा खरीदा गया सामान और सिंचाई प्रखण्ड, गाजीपुर में फर्जी तौर पर सामान की खरीद

7-8--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मन्डल कानपुर, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद एवं वाराणसी के अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ताओं ने तथा सहायक अभियन्ताओं ने 1 जनवरी, 1973 से अक्तूबर, 1974 तक कितने रुपये का सामान खरीदा एवं माहवार भुगतान किया ?

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई प्रखण्ड, गाजीपुर में अप्रैल, 1974 से नवम्बर, 1974 तक सामानों के खरीदने हेतु माहवार कितने रुपये का भुगतान किया

गया ? क्या वह बात सत्य नहीं है कि बिला सामान के खरीदे फर्जी तरीके पर मई, 1974 से नवम्बर, 1974 तक 10,65,000 रुपया का भुगतान सामान खरीदने का किया गया है ? तो कौन-कौन सामान किन-किन फर्मों से क्या लिया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न अध्यापकों का वेतन मान

9--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत भाषा, कला एवं व्यापार शिक्षकों के लिये घोषित नवीन संशोधित वेतन-मान लागू करने हेतु राजाज्ञा प्रसारित कर दी गई है ? यदि हां, तो राजाज्ञा कब जारी की गई तथा वेतन-मान कब संशोधित किये गये थे ?

श्री अम्मार रिजवी--

कला एवं व्यापार शिक्षकों के नवीनतम वेतनमान क्रमशः 3 अक्टूबर, 1974 तथा दिनांक 24 जनवरी, 1974 की राजाज्ञा द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 1973 से संशोधित किये गये हैं। भाषा अध्यापकों के वेतन-मानों के संशोधन का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

देवरिया जिले के बेसिक तथा सीनियर बेसिक पाठशालाओं में अनुसूचित जाति के अध्यापक

10--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका परिषद्, देवरिया में कितने बेसिक और सीनियर बेसिक पाठशालायें हैं ? और उनमें कितने अध्यापक नियुक्त हैं उनमें अनुसूचित जाति के अध्यापकों की क्या संख्या है और उनकी पदोन्नति की क्या व्यवस्था है ?

श्री अम्मार रिजवी--

6 सीनियर तथा 21 जूनियर बेसिक पाठशाला हैं। इनमें 156 अध्यापक/अध्यापिकायें नियुक्त हैं। जिनमें से 7 अनुसूचित जाति के हैं। पदोन्नति की व्यवस्था ज्येष्ठता पर आधारित है जब तक कि अभ्यर्थी अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

फर्रुखाबाद जिले के प्राथमिक शिक्षकों का अवशेष वेतन और बेसिक शिक्षा अध्यापकों का प्रावीडेंट फंड

11--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का अगस्त, 1972 से जुलाई, 1974 तक का नवीन वेतन-क्रम का एरियर बकाया तथा अन्तरिम सहायताओं का एरियर आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है। पूरी होने पर प्रस्तुत की जायेगी।

12--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा अध्यापकों का प्रावीडेन्ट फन्ड का हिसाब 1964 से नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है। पूरी होने पर प्रस्तुत की जायेगी।

मिर्जापुर जिले के विभागीय निर्माण संगठन, राबर्ट्सगंज के अधीन निर्माणाधीन सड़कें

13--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले के विभागीय निर्माण संगठन राबर्ट्सगंज के अधीन इस वर्ष किन-किन सड़कों का निर्माण होने जा रहा है तथा उन पर कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 478 पर)

मिर्जापुर जिले में कनहर नदी पर कोटा घाट व दुद्धी तथा केतकी पाण्डु नदी पर पुल निर्माण की कथित योजना

14--श्री सूबेदार प्रसाद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के कनहर नदी के कोटा घाट व दुद्धी पर तथा केतकी पाण्डु नदी पर (विन्ढमगंज कोन रोड) पुल निर्माण कराये जाने की कोई योजना है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी नहीं।

विन्ध्य विद्यापीठ, मिर्जापुर इन्टर कालेज के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

15--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य विद्यापीठ, मिर्जापुर इन्टर कालेज के खिलाफ कई व्यक्तियों ने उन्हें तथा विभाग को गलत कार्यों के सम्बन्ध में तथा उसकी जमीन को बेचने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था और प्रश्नकर्ता ने तारीख 25 सितम्बर, 1974 को मुख्य मन्त्री को शिकायती प्रार्थना-पत्र के साथ पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, जांच कराई जा रही है।

वाराणसी जिले के भवन विहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल

16--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मंगारी झगौर, मगौतीपुर, बितौरा तथा जूनियर हाई स्कूल हिरामनपुर, ब्लाक बिढ़रा, जिला वाराणसी के कुछ स्कूलों के पास इमारतें नहीं हैं और जिनके पास हैं तो वे रद्दी, टूटी-फूटी हालत में हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने जो मुख्य मन्त्री को एक पत्र 19 सितम्बर, 1974 को लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बरेली जिले के राजकीय इन्टर कालेज के छात्रों की योग्यता छात्रवृत्ति का भुगतान

17--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बरेली के राजकीय इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य ने गत वर्ष की योग्यता छात्रवृत्ति अभी तक छात्रों को नहीं बांटी है जिसमें छात्रों को आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो अब तक योग्यता छात्रवृति न बांटने के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

राजकीय इन्टर कालेज बरेली के हाई स्कूल/इन्टर स्तर के कुल 92 छात्रों को गत वर्ष योग्यता छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। इनमें से 81 छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई। शेष 11 छात्र समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये उपस्थित नहीं हो सके। उनके नाम की पोस्ट आफिस की पास बुक में उनकी छात्रवृत्ति जमा कर दी गई है। छात्रों के उपलब्ध होते ही उनकी पास बुक उन्हें सौंप दी जायेंगी।

बिजनौर जिले के जूनियर हाई स्कूल, सहसपुर के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

18--श्री अब्दुल वहीद--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल सहसपुर, जनपद बिजनौर में इस समय कितने अध्यापक हैं और उनको वेतन कब से नहीं मिला ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मेरठ जिले के माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासक की नियुक्ति

19--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के कितने माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध समितियों में आपस में झगड़े के कारण कितने विद्यालयों में इस समय शासन की ओर से प्रशासक नियुक्त हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

ऐसे तीन विद्यालयों में प्रशासक/माधिकार नियन्त्रक नियुक्त हैं।

देवरिया जिले के छितौनी बन्ध पर प्रतिमाह व्यय होने वाली धनराशि

20--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बने छितौनी बन्ध पर इस समय कुल कितने इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं। (सभी श्रेणियों के) और उनको कितने रुपये वेतन और भत्ते प्रतिमाह सरकार को देना पड़ता है ? उक्त इंजीनियरों की जीपों में पेट्रोल आदि पर जुलाई व अगस्त, 1974 म कितने रुपये खर्च हुये ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इसका ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 479 पर।)

राजकीय तथा जिला परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों की अध्यापिकाओं को स्वीकृत वेतन क्रम

21--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत चलने वाले राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल तथा जिला परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में क्रमश : वेतन-क्रम क्या हैं और दोनों के वेतन में यह अन्तर क्यों है ?

श्री अम्मार रिजवी--

राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों में दिये जा रहे तथा जिला परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों की अध्यापिकाओं को स्वीकृत वेतन-क्रम निम्नवत् हैं --

राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों के वेतन-क्रम

1--प्रधानाध्यापिकायें--

(क) रु० 300-10-350-द०रो०-12-470-द०रो०-16-550,

(ख) रु० 250-7-265-द० रो०-9-375-द०रो०-10-425,

(ग) रु० 230-6-290-द० रो०-8-330-द०रो०-10-380।

2--सहायक अध्यापिका --

(क) रु० 250-7-285-द० रो०-9-375-द० रो०-10-425, (इन्टरमीडियेट ट्रेण्ड),

(ख) रु० 200-5-250-द० रो०-6-280-द० रो०-8-320 (हाई स्कूल ट्रेण्ड),

(ग) रु० 175-3-295-द० रो०-4-225-द० रो०-5-250 (जूनियर हाई स्कूल ट्रेन्ड) ।

परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों के वेतन-क्रम

1--प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकायें--

रु० 240-5-300-द० रो०-8-340-द० रो०-10-390,

2--सहायक अध्यापक/अध्यापिकायें--

रु० 210-5-260-द० रो०-6-290-द० रो०-8-330 (हाई स्कूल प्रशिक्षित),

3--सहायक अध्यापिका/अध्यापक--

रु० 195-3-225-द० रो०-4-245-द० रो०-6-275 (जूनियर हाई स्कूल ट्रेन्ड) ।

उक्त दोनों प्रकार के स्कूलों के वेतन-क्रमों की भिन्नता के विषय में छानबीन की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले की सहायक निरीक्षिकाओं (बालिका विद्यालयों) के टी० ए० बिल का भुगतान

22---श्री अनवार जमील--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनपद फर्रुखाबाद में कार्य कर रही सहायक बालिका विद्यालयों की निरीक्षिकाओं हेतु मार्च, 1974 में 4,000रु0

की ग्रान्ट उनके टी0 ए0 बिल्स के भुगतान हेतु भेजी गयी और उसे वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 31 मार्च, 1974 तक सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के टी0 ए0 बिल के भुगतान में इस्तेमाल नहीं किया तथा ग्रान्ट लैप्स हो गयी? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आबंटित धनराशि की स्वीकृति 29 मार्च, 1974 को मिली। फिर भी टी0 ए0 बिलों के भुगतान का प्रयास किया गया, परन्तु भुगतान नहीं हो सका। 34 टी0 ए0 बिलों में से 9 टी0 ए0 बिलों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में हो गया है।

फर्रुखाबाद जिले के मान्यता प्राप्त जूनियर एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों का क्षतिपूर्ति अनुदान

23--श्री अनवार जमील--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के मान्यता प्राप्त जूनियर एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों का क्षतिपूर्ति अनुदान 1973-74 व 1974-75 का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच जिले में जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव

24--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बहराइच ब्लाक के अनुसार कितने बेसिक स्कूल, कितने जूनियर हाई स्कूल, कितने हाई स्कूल नये सरकार ने खोलने का निश्चय किया है और ये स्कूल कब तक खोले जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी--

पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जनपद बहराइच में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 143 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 17 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इसमें से वर्ष 1974-75 में 46 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 2 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने के लिये आदेश नवम्बर, 1974 में भेजे जा चुके हैं। इन स्कूलों की ब्लाक अनुसार संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि जनपद की मांग तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष स्कूल खोलने के प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है। बहराइच में नये हाई स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है?

गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों के विभिन्न अध्यापकों की पदोन्नति

25--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में 5 वर्ष से अधिक प्रशिक्षण पूरा किये जे० टी० सी०, सी० टी०, एल० टी० अध्यापकों की प्रोन्नति मई, 1974 से सितम्बर, 1974 तक अलग-अलग जनपदों में की गयी है तथा जिलेवार अध्यापकों की संख्या क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, जिलेवार अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है:—

जिले का नाम	प्रोन्नत किये गये अध्यापकों की संख्या		
	जे० टी० सी० से सी० टी०	सी० टी० से एल० टी०	एल० टी० से प्रवक्ता
1	2	3	4
गोरखपुर ..	56	..	1
बस्ती ..	27	7	4
आजमगढ़ ..	26	..	4
योग ..	109	7	9

कानपुर जिले के गौसगंज, प्राइमरी पाठशाला के ट्रांसफर सर्टीफिकेट पुस्तिका से पन्ने का गायब होना और कर्मचारियों के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

26—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 सितम्बर, 1974 को जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राइमरी पाठशाला, गौसगंज ब्लाक अमरोधा, जनपद कानपुर का निरीक्षण किया था और जांच के समय 11 प्रमाण-पत्र फर्जी पकड़े थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, निरीक्षण किया गया था किन्तु फर्जी प्रमाण-पत्र नहीं पकड़े गये थे। परन्तु ट्रांसफर सर्टिफिकेट पुस्तिका संख्या 831 में आठ पन्नों के सादे प्रतिपर्ण पाये गये लेकिन उनके पर्ण गायब थे। इसकी जांच की जा रही है।

27—श्री केशरी लाल—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 सितम्बर, 1974 को उपरोक्त विद्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र भी मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ?

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई प्रखण्ड गाजीपुर एवं रिग्स प्रखण्ड गाजीपुर के अन्तर्गत विभिन्न ट्रकों एवं जीपों के स्पेयर पार्ट्स् की खरीद

28—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई प्रखंड, गाजीपुर एवं रिग्स प्रखण्ड, गाजीपुर में जनवरी, 1973 से अक्टूबर, 1974 तक विभिन्न ट्रकों एवं जीपों

के स्पेयर पार्ट्स का कितने रुपये का भुगतान किन-किन फर्मों को किया गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त भुगतान 15 लाख रुपये का जीप एवं ट्रकों के सामान का जनवरी, 1974 से जून, 1974 तक किया गया और उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदित नहीं कराया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सिचाई प्रखण्ड, गाजीपुर के अन्तर्गत जनवरी, 1973 से अक्तूबर, 1974 तक विभिन्न ट्रकों एवं जीपों के स्पेयर पार्ट्स का रु० 22,48,935.85 का भुगतान 10 फर्मों को किया गया। जिनकी सूची "क" संलग्न है ।

रिग्स प्रखण्ड गाजीपुर में जनवरी, 1973 से अक्तूबर, 1974 तक विभिन्न ट्रकों एवं जीपों के स्पेयर पार्ट्स का भुगतान रु० 30,636.42 का 9 फर्मों को किया गया जिसकी सूची "ख" संलग्न है ।

सिचाई प्रखंड, गाजीपुर एवं रिग्स प्रखंड, गाजीपुर में जनवरी, 1974 से जून, 1974 तक जीप एवं ट्रकों के सामान का भुगतान 15 लाख रुपये का नहीं बल्कि इससे ज्यादा का किया गया है ।

सिचाई प्रखंड, गाजीपुर के समस्त भुगतान उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की मंजूरी के बाद किये गये हैं लेकिन रिग्स प्रखण्ड, गाजीपुर के जीप एवं ट्रकों के सामान के बिलों के रु० 21,441.27 के भुगतान में उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की मंजूरी का लिया जाना आवश्यक नहीं था।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 480 पर।)

राजकीय सेन्ट्रल पैडागोगिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद के फर्नीचर आदि का गायब होना

29—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सेन्ट्रल पैडागोगिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद की अप्रैल, 1970 से मार्च, 1974 की आडिट रिपोर्ट में 45,300 रुपये का फर्नीचर व अन्य सामान गायब बताया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

इन्स्टीट्यूट के प्रधान लिपिक और लेखा लिपिक को स्थानान्तरित कर दिया गया है। अत : भूतपूर्व प्रधान लिपिक से स्टाक रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक सामान सत्यापित कराये जाने का आदेश दिया गया है। अभी सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ है। सत्यापन के उपरान्त जो सामान कम पाये जायेंगे अथवा गायब मिलेंगे उनको उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा और आवश्यकतानुसार अन्य कार्यवाही की जायेगी।

लखीमपुर खीरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

30—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं तथा उनका वेतन सन् 1973-74 का बकाया है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अध्यापकों का वर्ष 1973-74 के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75 का अनुपूरक) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मार्च, 1975 को पारित किया गया था श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1975 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक ने एक विशेषाधिकार का सवाल उठाया है ...

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

सब को मौका दिया जायेगा पहले यह हो जाय।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जो चीज मैं कह रहा हूं वह बड़े अहम का सवाल है। एक नौजवान गिरफ्तार हुआ और 11 बजे माननीय मुख्य मन्त्री को जानकारी मिली किन्तु उस बात को सदन में नहीं बताया गया। सदन में उनका बयान होना चाहिये .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद आप उठायें।

श्री कौशिक ने कहा है कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में राजस्व मन्त्री ने पडरौना तथा बिशुनपुरा विकास खंडों मे हुई जन-धन की क्षति की गलत सूचना देकर सहायता व राहत कार्यों की भ्रामक सूचना देकर सदन को गुमराह किया है। यह आपका कहना है। यह आपने विलम्ब से उठाया है। इसका जो कायदा है, वह समय से उठाया जाना चाहिये था। इसलिये यह अग्राह्य है। (व्यवधान)

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष--

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

अगर व्यवस्था नहीं होगी तो एक दूसरे की बात नहीं सुनी जा सकेगी। एक-एक करके बोलें। मैंने पहले माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को बुलाया है .....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जान-बूझकर मिनिस्टर ने गलत बयान दिया है। उन्होंने सारी बातें झूठ बोली हैं। सैकड़ों व्यक्ति बाढ़ से मरे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपने इसे विलम्ब से उठाया है ।

सदन की कार्यवाही सही न लिखने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने है। आज तक सरकार की क्रेडिबिलिटी ही सन्देह में थी लेकिन अब मुझे शंका हो गई है कि यहां की कार्यवाही भी बदली जाती है और सच्चाई में सन्देह हो गया है। मैंने कल एक प्रिविलेज का मोशन दिया था और उसको मैंने वापस ले लिया। वापस इसलिये ले लिया कि यहां पर परम्परा थी कि चाहे किसी व्यक्ति ने कहा भी हो, कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल किया भी हो, वह अवमान का केस बनता है लेकिन इस पर भी जब उन्होंने कह दिया तो हमने कहा हम उसे वापस ले लेते हैं। हमने उसके बाद जाकर प्रोसीडिंग को पढ़ा। मान्यवर, बड़ा क्लेश होता है अगर यह स्थिति रही .....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विधान सभा की कार्यवाही पर क्या माननीय सदस्य किसी प्रकार का आक्षेप इस सदन में कर सकते हैं? हाउस आफ कामन्स का रूल है कि जो कार्यवाही अंकित होती है वह सही मानी जाती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं नहीं मानता, मैं सदन में लाऊंगा। आप जो कार्यवाही करना चाहें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वह तो सही है .....

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था साफ हो जाय कि क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि कार्यवाही बदली जाती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही का कोई सवाल बहुमत या अल्पमत के सिद्धान्त से मतलब नहीं रखता। इसलिये कार्यवाही का सवाल नहीं उठाया जाता है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी स्वयं कहते रहे हैं कि मैंने वापस ले लिया है। तो अब वह क्या कहना चाहते हैं, मुझे पता नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अभी उन्होंने कहा कि कार्यवाही बदली जाती है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको शिकायत है, यह जो बात माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कही, उनको अगर शिकायत है कार्यवाही के प्रति तो वह बेशक मुझसे मेरे कक्ष में कह सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कक्ष में नहीं। वह सही है या गलत है आप उस पर निर्णय देंगे।

श्री अध्यक्ष --

आप मेरे कक्ष में ....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप पहले सुन लें उसके बाद व्यवस्था दें। अगर काशीनाथ जी कहते हैं कि नियम तो रहे हैं तो उसके लिये जो चाहें मुझे सजा दें और जो मेरे साथी पीछे बैठे हैं उनको सजा दें। यह आपका अधिकार है। हमारा सिर नीचे होगा, हमें शिरोधार्य होगा।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही के बारे में कहना है तो अलग से मेरे कक्ष में ...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अलग से नहीं कह सकता हूं। यह सब लोग समझें कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

इसका एक सिद्धान्त है उसे आप स्वीकार करेंगे। जैसे मान लीजिये कार्यवाही की शुद्धि और अशुद्धि के बारे में कह रहे हैं तो वह बहुमत से और अल्पमत का प्रश्न नहीं होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कार्यवाही कैसे लिखवाई, पोरशन को निकाला गया था या नहीं उस पर आपसे यहां पर कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

निश्चय ही आप कह सकते हैं। लेकिन मुझ से कह सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं कक्ष में नहीं कहूंगा। आज प्रजातन्त्र की अर्थी यह सदन के सामने कैसे निकाल रहे है .....

श्री अध्यक्ष--

आप स्वयं इस सवाल के निर्णय पर पहुंच गये हैं। आप मुझ से कह सकते हैं कि क्या गड़बड़ी देखने में आई। लेकिन मेरे सचिवालय की आलोचना का यह स्थान नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे कह लेने दें। यह सब को लगा है कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने कल कहा कि अमुक शब्द मैंने नहीं कहे थे बल्कि "यों" कहा था कि तो हम सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं अपने मन में खुद महसूस कर रहा था कि कल भी कहा कि जो छाया मेरे मन में पड़ी वह इससे विपरीत थी। लेकिन एक बात सेक्रेट मानी जाती है कि जो यहां पर कहा जायेगा वह तब्दील नहीं किया जायेगा इसलिये मैं खामोश रहा और मान लिया कि जो कुछ आपने कहा, यही कहा होगा। लेकिन जो बात माननीय नेता जनसंघ आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं उनको इस वक्त कह लेने दीजिये। उसके बाद कक्ष में बुलाकर देख लें।

श्री अध्यक्ष--

शिकायत तो कह सकते हैं, लेकिन....

चौधरी चरण सिंह--

मेरी इत्तिला तो यह है कि गवर्नमेन्ट सेक्रेटेरियट के आफिस में फाइल बदली जाती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बिलकुल बदली जाती है, बिलकुल बदली जाती है।

(जनसंघ दल के अनेक सदस्यों द्वारा 'बदली जाती है', 'बदली जाती है' का मिलाजुला स्वर तथा मेजें थपथपाई गईं।)

चौधरी चरण सिंह--

इसलिये जिस प्रकार गवर्नमेन्ट चल रही है, जैसी बातें उसमें हो रही हैं, बावजूद आपके लाइल्म ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो किसी गवर्नमेन्ट में होता नहीं है। इसलिये जो वह (श्री त्रिपाठी) कहना चाहते हैं, वह आप सुन तो लें, फिर फैसला दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मान लीजिये उन्होंने विधान सभा सचिवालय के बारे में कोई इल्जाम लगाया और उसे उन्हें मेरे कक्ष में वापस लेना पड़ा? हो सकता है कोई, कोई बात कहे और...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं यहां माफी मागूंगा, यदि मैं समझूंगा कि सरासर मैंने झूठ बोला। मैं सब निपट लूंगा, लेकिन आपके कक्ष में नहीं, मैं यहीं सबके सामने कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

पर यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं इसे ठीक समझता हूं और चाहता हूं कि दुनिया समझे कि इस शासन काल में क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष --

आप पहले आश्वस्त हो जायें, उसके बाद कुछ कहें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे आप अपनी बात कह लेने दें। बात बहुत छोटी है, बात बहुत जल्द हो जायेगी और मैं समझता हूं कदाचित मेरे खिलाफ रूलिंग हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--

शासन का सचिवालय भिन्न है, उसके बारे में कहने के तो आप हकदार हैं, विधान सभा सचिवालय के बारे में नहीं। हो सकता है कुछ बात आपने सुनी हो, कुछ बात सही भी हो .....(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)-

मेरा श्रीमन्, एक व्यवस्था का सवाल है। आप मुझे मौका दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं निश्चित रूप से कहूंगा, आपके कमरे में नहीं कहूंगा। मेरे साथ न्याय नहीं होगा और आप सुनेंगे भी नहीं।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन के प्रति, सचिवालय के प्रति और मन्त्रियों के प्रति आप आरोप लगा देते हैं और जब लगा देते हैं मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन विधान सभा सचिवालय के बारे में कोई कुछ आरोप लगाता है तो पहले मुझसे बात कर लें, फिर लगायें। लेकिन इस तरह से बिना नोटिस दिये आप नहीं कर सकते हैं। आपने नोटिस नहीं दिया। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और यही मर्यादा का तकाजा है कि आप मुझको पहले नोटिस दें, मुझसे कहें और यदि उससे सन्तोष न हो तो कह सकते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये और 'यहीं होगा, यहीं होगा' कहने लगे।)

चौधरी चरण सिंह--

हाउस में कल प्रोसीडिंग्स में से यहां पढ़ा गया, आपका (श्री त्रिपाठी) कहना है कि वह ठीक नहीं लिखा गया। यह हाउस में हुआ, इसलिये इस पर आपत्ति भी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

वह कह सकते हैं, लेकिन यह कहना कि बदल दी गई--आक्षेप लगाना है तो क्या आप यहां सीधा आक्षेप लगायेंगे। आक्षेप लगाना है तो पहले नोटिस दें। यह एक प्रक्रिया हो सकती है। हो सकता है माननीय नेता जनसंघ दल अपनी जगह पर सही हों, हो सकता है एक सैकड़ा जैसा वह चाहते हैं वैसा हो। लेकिन सदन में विधान सभा सचिवालय और अध्यक्ष के खिलाफ नहीं।

चौधरी चरण सिंह--

जब वह इसके लिये तैयार हैं कि जो भी सजा आप दें, वह भुगतने के लिये तैयार हैं, वह सारा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष---

मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन आपके विरोध पक्ष को आपत्ति होगी। ऐसे शब्द और अशुद्ध करने का जो निर्णय है, वह सीधे सदन ले या अध्यक्ष ले, उसमें अध्यक्ष के अधिकार को बहुमत के लिये नहीं छोड़ने जा रहा हूं। उसमें अन्ततोगत्वा विरोध पक्ष को नुकसान होता है, क्योंकि बहुमत तो इन्हीं का है। फैसला वही होगा जो वह चाहते हैं। इसलिये जो निर्णय मुझे करना है, मैं करूंगा। मैं वैसी स्थिति नहीं चाहता, जैसी आप चाहते हैं।

चौधरी चरण सिंह---

फैसला तो आप ही कीजियेगा, लेकिन आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

उसकी एक प्रक्रिया है। मेरी प्रक्रिया यह है विधान सभा सचिवालय के बारे में, विधान सभा में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। विधान सभा कार्यवाही के बारे में आपको कोई बात कहनी हो तो पहले अध्यक्ष से कहिए। सब मामला समझ लीजिये। मैं सारी चीजें आपके समक्ष रखूंगा। अगर बात सही हो तो बेशक मैं उस मामले को यहां आने दूंगा और जो इसका अपराधी होगा उसको दण्ड भी दूंगा। लेकिन.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हम सुन लें। यह बात आपकी सही है कि जो बात विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित हो उसकी यहां चर्चा नहीं होती। यह बात सही है। मैं मान गया। लेकिन यह एक ऐसा निर्णय है जो हम लोगों से सबसे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष---

मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज तय कर लीजिये, नियम बदल दीजिये, नियम संशोधित कर दीजिये, विधान सभा सचिवालय के बारे में और स्पीकर के बारे में आप चर्चा करने के अधिकारी हो जायं, सिवा अविश्वास के प्रस्ताव और दूसरे तरीके हैं, तो हम करने को तैयार हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के साथ श्री काशीनाथ मिश्र बोलते रहे)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं इस विषय पर जरूर चर्चा कर सकता हूं। अगर अविश्वास व्यक्त करने (व्यवधान और शोर) उसके बारे में समझ तो लें यह कौन सी चीज है। प्रजातन्त्र का गला घुट गया यों ही।

श्री अध्यक्ष---

शासन के बारे में कह सकते हैं। इसको हम रोकते नहीं। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि प्रजातन्त्र का गला घोट रहा है विधान सभा का सचिवालय? मैं यही पूछना चाहता हूं। आपका क्या कहना है? शासन के विरुद्ध आप कह सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग में जो बात आप कह रहे हैं.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर यह बात सही हो या सम्भव हो कि यहां की प्रोसीडिंग्स बदली जायं तो जरूर प्रजातन्त्र का गला घुटता है। हम आज चलने नहीं देंगे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आपने स्वयं "अगर" के साथ कहा है। अगर बदली हैं। आप को देना चाहिये। अगर बदली हैं, तब।

(शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमारी बात गलत भी साबित हो। मैंने शंका व्यक्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात सही हो जाय तो मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं होगी। आप संतुष्ट न हों, आप समझें यह बात गलत है, तो मैं भी उसका जो निराकरण करना चाहिये वह मैं करूंगा। इसके अलावा में आपको भी मौका दूंगा। लेकिन शासन के विरुद्ध लांछन लगा देते हैं, शासन से लिखित प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन विधान सभा के स्पीकर से सीधे सवाल कैसे कर सकते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अभी नहीं। मैं बिलकुल इजाजत नहीं देता हूं। मैं उनसे खुद कह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र और इस सदन की मर्यादा का तकाजा है। माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी बेशक इस सवाल को उठा सकते हैं मेरे कक्ष में। अगर मेरे सचिवालय के किसी कर्मचारी के जरिये.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं किसी कर्मचारी का नाम नहीं लेता हूं। मैं प्रोसीड्योर की बात कहता हूं।

श्री अध्यक्ष --

मैं बहुत मजबूर हूं, इसमें। मैं बहुत विवश हूं क्योंकि यह नीति का सवाल है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एक बात आप सुन लें। हर बात में मैं कक्ष में नहीं जाता हूं। यह एक विषय हमारे सामने इस वक्त उपस्थित है। मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं और जानकारी देते समय इसके संदर्भ में ऐसे विशेष व्यक्ति इसमें आएंगे जो यहां बैठे हैं, हम आपके कक्ष में जा कर कुछ कह नहीं सकते। हम आपके कक्ष में बात करके उसका निराकरण करा नहीं सकते, न हम उन अखबारों का उद्धरण दे सकते हैं और न उन व्यक्तियों का जो समय-समय पर विचार व्यक्त किया है, उल्लेख कर सकते हैं। आखिर कैसे हम समझायें। हमारे साथ अन्याय हुआ है लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं। मैंने अखबारों में भी देखा है। एक भी मुख्य मंत्री के बचाव के लिये नहीं है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान) (एक सदस्य--आक्षेप वाली बात हो गई)।

श्री अध्यक्ष--

हां, तो आप कह सकते हैं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आक्षेप वाली बात मैंने वापस ले ली। आपने इतनी बात कह दी। मैं एज ए लाइयर संक्षेप में शुरू करूंगा। मान्यवर, दो प्रश्न हमारे सामने हैं। कल एक प्रश्न आपके सामने आया था। मैं दिल मसोस कर बैठ गया कि मुख्य मंत्री ने कहा कि मैंने नहीं कहा कि आर0 एस0 एस0 और जनसंघ को कुचल दूंगा। ठीक है। यहां यह परम्परा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहे और फिर कह दे कि मैंने नहीं कहा तो माना जाता है कि उसने नहीं कहा। इसलिये मैंने भी मान लिया। अगर कोई व्यक्ति यह कह दे कि हमारा यह मतलब नहीं था तो उसको मान लिया जाता है। मैंने इसी परम्परा को निभाया और मैं कल बैठ गया और मैंने अपना मोशन वापस ले लिया। लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने पता लगाया और प्रोसीडिंग्स को पढ़ा। ऐसी स्थिति चल रही है कि यह कहा गया या नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही के बारे में आप कह सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आर0 एस0 एस0 और जनसंघ को कुचल दूंगा। यह मेरा कहना था। कहीं लिखा हुआ नहीं है। और लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि मैं आर0 एस0 एस0 और जनसंघ को कुचल दूंगा बल्कि मैंने कहा कि मैं इस प्रवृत्ति को कुचल दूंगा। मंत्रि मंडल झूठ का अवतार है, मैं झूठ कहता हूं तो इसमें क्या बात है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसमें कृपया चुप रहिये। सदन के समक्ष (व्यवधान) (शोर) व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं चौधरी साहब का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ठीक कह रहे थे लेकिन एक बात की तरफ उनका ध्यान नहीं है?

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैंने गाली नहीं दी। लेकिन अगर आप गाली समझते हैं तो मेरी लाचारी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आज कोई भी स्थिति पैदा हो जाये। मैं तैयार हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

नहले पर दहला यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं एक स्थिति बता रहा हूं। मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बता दिया है। जो कार्यवाही यहां पर लिखी गई थी, उसमें आप यह नहीं कह सकते हैं कि बदल दी गई है। उस कार्यवाही में लिखा है--"श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा -- मैं स्वयं देखूंगा, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गड़बड़ी कराना चाहते हैं और मैं देखूंगा कि कैसे गड़बड़ी होती है.....डाट-डाट करके छोड़ दिया। इसलिये सवाल नहीं उठता है, जो आप कह रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने क्या कहा और आपने क्या सुना। यह तो विवाद का सवाल हो गया, लेकिन यह आप नहीं कह सकते हैं कि कार्यवाही को बदल दिया गया या कार्यवाही में गड़बड़ी की गई। अब एक शक हो जाता है, जैसे चारों तरफ हल्ला हो जाता है, जैसे किसी ने कहा कि आप झूंठ बोल रहे हैं, जैसे सत्य से परे बात आप कह रहे हैं। अगर सीधे कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उससे उस व्यक्ति पर आक्षेप हो जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं तो यह कह रहा हूं कि जो सदन में कहा गया, वह लिखा नहीं गया। मैंने यह नहीं कहा कि बदल दी गई।

श्री अध्यक्ष--

आपने जब कह दिया कि बदल दी गई. . . . . .

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, इन्होंने बदल दी का वाक्य प्रयोग किया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, ठीक है जो आप कह रहे हैं, वह मान लिया गया, हो सकता है कि हमारा ही ख्याल गलत हो।

श्री अध्यक्ष--

आपकी प्रार्थना क्या है यही हम समझ नहीं पाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में ही खत्म कर दूंगा और मान्यवर, केवल दो प्वाइन्ट्स मैं कहूंगा। मान्यवर, आपने बात सही कही कि डाट-डाट. . . . . लिख दिया गया है। मान्यवर, दो ही विषय पर मुझे दुःख है। इन्होंने कहा था कि आर0 एस0 एस0 और जनसंघ को कुचल दूंगा। इन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा, मान गया मैं, लेकिन अगर जनसंघ को कुचल देंगे, या इन्होंने कहा कि मैं उनकी प्रवृत्ति को कुचल दूंगा। अगर इन्होंने यह नहीं कहा तो मैं बताता हूं जो इन्होंने कहा। मान्यवर, इन्होंने जो वाक्य कहा मैं कह देता हूं। मान्यवर, बहुगुणा जी ने कहा कि मैं देखूंगा कि कैसे गड़बड़ी होती है, इसके बाद कुचलने की बात नहीं कहा तो क्या कहा? क्या प्रवृत्ति को कुचलने की बात कही? तो वह चीज नहीं लिखी गई।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, अभी आप को हमें भी सुनना होगा।

श्री अध्यक्ष--

सुनूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

दूसरी बात कि उन्होंने कुचलने की बात नहीं कही। तो ओम प्रकाश जी ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया कि यह धमकी देना चाहते हैं? अगर इन्होंने धमकी की बात नहीं कही या कुचलने की बात नहीं कही तो सत्यपाल मलिक ने क्यों कहा कि इनको वापस लिया जाये। मान्यवर, आप कार्यवाही को निकाल कर देख लें जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है उन्हें कार्यवाही से निकलवा दिया गया है। वह कौन से शब्द थे जिन्हें निकालने की बात कही गयी है। इससे भी पता चलता है कि कोई ऐसा गंभीर शब्द था जो वहां नहीं लिखा गया। मैं त्याग पत्र देने के लिये तैयार हूं कि मैंने एक भी आवेश का शब्द कहा हो। दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री ने आवेश की कही। कहा कि ऊट पटांग कहेंगे तो जरूर कहूंगा। मैंने ऊट पटांग क्या कहा?

श्री अध्यक्ष--

आप कुचल देने पर ही सीमित रखें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं कहता हूं कि सही प्रोसीडिंग नहीं लिखी गयी।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे कहता हूं कि चौधरी साहब भी थे और सभी थे, मैंने 3 मर्तबा मुख्य मंत्री के बयान को पढ़ा और उस वक्त आपने फरमायश नहीं की कि यह ठीक नहीं है। इसमें डाट डाट डाट है। आपने क्यों नहीं कल उठाया कि शुद्ध किया जाये। कार्यवाही सम्बन्धी बात जब अपके संज्ञान में आयी तो सबसे पहले जो अवसर हो तो उसको शुद्ध कराने की कोशिश करते। मैंने माननीय मुख्य मंत्री का यही वाक्य पढ़ा। तब भी आपने नहीं कहा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपका कहना ठीक है। आप से बात करने के बाद मैंने उसको पढ़ा।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

इससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। उनका क्या मुकाबला है? उनके पास ताकत है। गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो क्या बिगड़ता है?

(हंसी)

ये लोग खामखा सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय बांके लाल जी का कहना है कि समय को नष्ट न किया जाय तो मैं उनके साथ हूं, लेकिन करूं क्या?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं यह कहना चाहता हूं कि आवेश का कौन कारण था आप ने कहा कि ऊट पटांग कहेंगे तो हम भी जरूर कहेंगे।

श्री अध्यक्ष --

कार्य-स्थगन पर माननीय मोती लाल देहलवी ने एक दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिस्टल रखने के आरोप में गिरफ्तारी का है। तो उन्होंने इससे सम्बन्धित सवाल उठाया है।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

मेरी एक आपत्ति है. . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में क्या आपत्ति है।

श्री सत्यपाल मलिक--

जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान न हो जाये कुछ कहना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

56 की नोटिस है।

श्री सत्यपाल मलिक--

माननीय मुख्य मंत्री जी अफसोस जाहिर करें।

श्री अध्यक्ष---

इसी प्रश्न पर, प्रधान मंत्री की जान के ऊपर खतरे के सम्बन्ध में माननीय मोती लाल देहलवी, जनार्द्रन प्रसाद ओझा, हरि केवल प्रसाद और जमुना प्रसाद बोस की कई सूचनायें हैं। . . . .

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है . . .

(व्यवधान)

(जन संघ दल के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई जाती रहीं)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में. . . . . .

(घोर-व्यवधान) . . (जन संघ दल की ओर से बराबर मेजें थपथपाई जाती रहीं)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि आपकी ही ओर से बात हुई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं 5 मिनट में अपनी बात ही खत्म कर देता।

श्री अध्यक्ष---

जब कोई माननीय सदस्य किसी चीज को कहते हैं, जैसा कि माननीय बांके लाल जी ने कहा, तो संकेत होना चाहिये क्योंकि माननीय बांके लाल जी हमेशा यह बात नहीं कहते हैं। (व्यवधान) उनकी बात में भी तो तथ्य है कि सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। किसी की ओर से भी यह प्रश्न आये, या अच्छी बात कहीं से भी आये, सवाल यह है कि मैंने पहले ही कहा था कि माननीय त्रिपाठी जी सब बातें हमसे कक्ष में कर लेते, हम सारी पक्ष और विपक्ष की बातें कर लेते, तब वे उस प्रश्न को यहां पर उठाते। इसलिये अब उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह नहीं समझता कि मैं कोई नई परम्परा यहां पर डालूं कि कार्यवाही के सम्बन्ध में जो बातें यहां कहीं जायं, उसी हिसाब से हम कार्यवाही को ठीक करें। कार्यवाही लिखने वाले के द्वारा हो सकता है, कि बहुत सी बातें छूट जायं लेकिन जब हल्ला होने लगता है तो यह हो सकता है और आप उचित ढंग से कह सकते हैं कि यह बात छूट गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर यह सवाल उठा तब आपने कोई एतराज नहीं किया और आप मान गये, आपने अपना विशेषाधिकार का प्रश्न भी वापस ले लिया। आपने "कुचलने" शब्द के प्रयोग पर एतराज नहीं किया। रिपोर्टर जो हमारा है, उसकी रिपोर्टिंग से स्पष्ट है कि सदन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और मुख्य मंत्री जी का कहना है कि उनकी ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो इतने स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि हम ओर सब यह समझ लें कि कहा ही गया है। हो सकता है कि कहा गया हो और हो सकता है कि न भी कहा गया हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

अब सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको समय दे दिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मेरे बोलने के बीच में इतना जो व्यवधान हुआ है कि मैं बोल भी नहीं पाया हूं।

श्री अध्यक्ष--

इतना कह देने के बाद तो आपको अब संतुष्ट हो जाना चाहिये कि मेरे कक्ष में आकर आप सारी स्थिति को समझ लें और फिर बाद में बतायें. . . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, जो मैं कहना चाहता हूं, उसको आप सुन तो लें और फिर शुद्ध कर दें।

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा प्रश्न है।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा मेजों का थपथपाना)

(गुंडागर्दी नहीं चलेगी का नारा)

आप वहां से क्या कर लेंगे जब हमारा कहना नहीं मानते? जो सार्वजनिक विवाद का प्रश्न हो जाय चाहे सारी दुनियां में बहस हो, अब इस हद तक मैं जाने को तैयार हूं इस मुद्दे पर, यह बुनियादी सवाल है।

चौधरी चरण सिंह--

आपके मोटिव पर तो कोई उनका आक्षेप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब तो केवल बात इस पर अटक रही है कि वह पूरी बात कह नहीं सके। तो इतनी देर में, 5 मिनट में कह देते। उनको सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष --

आपके कहने से मैंने इजाजत भी दे दी लेकिन फिर भी उन्होंने लांछन लगा दिया। आरोप लगाना है, बेशक लगायें लेकिन मुझसे पहले मिल लें, तब।

श्री बांके लाल--

जितना समय आप नष्ट कर रहे हैं इतने समय में माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी अपनी बात कह लेते और बात खत्म हो जाती। उनको कहने की इजाजत दे दीजिये।

चौधरी चरण सिंह--

आप मेरी बात नहीं मानते तो बांकेलाल जी की मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय बांकेलाल जी ने कहा है, आप 2 मिनट में क्यों नहीं खत्म कर सकते? लेकिन आरोप नहीं लगायेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह मैं जानता हूं टाइम विपक्ष का है, बर्बाद नहीं होना चाहिये। मैं आरोप नहीं लगाता हूं। कुछ आपके सामने तथ्य तो रख दूं। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि चौधरी साहब को यह कहने की क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने कह दिया कि कुछ ऐसा कहा। अब आपने कह दिया इसलिय बाकी आपके कक्ष में बात करूंगा। जो चीजें यहां कही गयीं वह सब लिखी नहीं जा सकेंगी। दूसरा मुद्दा यह था, सब जानते हैं, एक दैनिक अखबार 'जागरण' है। (व्यवधान) इन लोगों

के लिये कुछ नहीं ये तो हमको झूटा इल्जाम लगा कर फांस सकते हैं। मुख्य मंत्री ने मुझे कुछ कह दिया, वह अब मैं वर्षों सोचूंगा। दैनिक 'जागरण' में निकला है "माधव बाबू के दिमाग का तो दिवाला निकल चुका है और साथ ही उस पूरी बस्ती का दिवाला निकल चुका है जहां से यह चुन कर आये।" 'स्वतंत्र भारत' ने लिखा है: 'बस्ती ने उनको चुन कर.....'

श्री त्रिवेनी---

यह तो बिलकुल सही बात है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उन्होंने कहा कि सही कहा है। लेकिन प्रोसीडिंग में क्यों नहीं है। यही तो मेरा आर्ग्यूमेंट है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

प्रोसीडिंग में छूट गया है, उसको जोड़ दिया जाय। (हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

बहुगुणा जी मन में जो आये कह दें वह सब लिख लें। मैं मुस्कराता रहूंगा। हमारे पंडित रामसमझ तिवारी जी मुझे जानते होंगे। अगर माधव को गुंडा कहा गया तो गुंडा लिखा जाय। अगर नहीं लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सी बातें कही जाती हैं लिखी नहीं जातीं। इसलिये मैं कहता हूं, मेरी प्रार्थना है, इसके लिये एक समिति गठित की जाय। बाकी बात तो मैं आपके कक्ष में करूंगा। इस सदन की एक समिति गठित की जाय जिसमें यही लोग अधिकांश में रह, मगर दूसरी जांच हो। जिसने यह किया हो उसको दंड दिया जाय। एक चीज कही जाय, वह न लिखी जाय ऐसा जब से यह गवर्नमेंट आयी ह, हुआ है। अगर मैं इलजाम गलत लगाता हूं तो मुझे सजा मिले, नहीं तो जो भी दोषी पाया जाय उसे दंड मिलना चाहिये। यह इसलिये कहा कि यह सारा सदन समझ ले।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रधान मंत्री के आगमन पर पिस्तौल सहित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तथा अन्य कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

कल इलाहाबाद वाली घटना के बारे में हमने दिया था.. ....

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

एक प्रार्थना करना चाहता था, मेरा भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव था, बड़े महत्व का था, पता नहीं उसका क्या हुआ..... (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

इलाहाबाद की घटना पर एक हमारा भी काम रोको प्रस्ताव था.....

श्री अध्यक्ष---

कामरोको प्रस्ताव है, मगर आपको आपत्ति क्या है? क्या यह आपत्ति है कि वह व्यक्ति क्यों पकड़ा गया..... (व्यवधान)

श्री मोवी लाल देहलवी---

'पकड़ा गया इसमें आपत्ति नहीं है, इसमें विरोधी दलों को बदनाम करने की साजिश है..... .... (शोर)

एक सदस्य--

जो पकड़ा गया है वह माननीय मोतीलाल देहलवी का दोस्त है .....

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय राजनारायण जी को मरवाने की साजिश है. .....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न अदालत को भेज दिया जाय, वहां अदालत में आप अपने कथन को साबित करें कि राजनारायण जी को मरवाने के लिये यह किया गया। यह विधान सभा क्या कर सकती है. .....

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप अध्यक्ष हैं, हमारे हितों की रक्षा आपके हाथ में है,. .....

श्री अध्यक्ष--

ऐसे प्रश्नों पर हम कैसे फैसला करेंगे ? यह प्रश्न बहुमत या अल्पमत से कैसे तय होंगे ? मैं यह कहता हूं कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसको उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कहना चाहिये। मैं इस मामले को अदालत में भेज दूं और आपको गवाही में. .....

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मेरा एक निवेदन है । कल 11 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी को इलाहाबाद वाली घटना की सूचना मिल गयी। कल ही लोक सभा में बहस भी हो गयी। मगर इस सदन को उसकी सूचना नहीं दी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी का वहां का 3 दिन का प्रोग्राम भी था, वे अचानक लौट आये। तो वह कौन सी बात थी जो यह प्रोग्राम काट दिया गया और क्यों नही ऐसी गम्भीर घटना की सूचना यहां दी जब देश की प्रधान मंत्री वहां मौजूद हैं, जब विरोधी दल के व अन्य दूसरे ब े-ब े नेता वहां मौजूद हैं, जब देश के बड़े-बड़े वकील वहां पर मौजूद हैं तो उस घटना का सदन में जिक्र क्यों नहीं किया गया और क्यों मुख्य मंत्री जी लौट आये ? जब हमारे सूबे में सारे विरोधी दल के नेता और प्रधान मंत्री मेहमान हैं तो उनको वहां जाने में क्या रुकावट थी, वे क्यों लौट आये, इसे बतला दें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह सब की चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में हम लोगों को कुछ नहीं बतलाया गया और न कोई सूचना दी गयी। हम कही विचारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, कहीं आइडिअल की लड़ाई लड़ सकते हैं लेकिन इस तरह की घटना जो घटी है यह गम्भीर है और किसी दल की कोई भी नीति हो कोई भी इसे पसन्द नहीं करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे हम लोगों को बतलाने की कृपा क्यों नहीं की ?

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

इस तरह से विरोधी दल को बदनाम करने की कोशिश की गयी है। म आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तब प्रधान मंत्री वहां पर मौजूद नहीं थीं। वहां पर सबसे पहले राजनारायण जी मौजूद थे। तो प्रधान मंत्री को मारने का कोई प्रश्न नही था। ....

(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष---

अगर यह मामला अदालत में जाय तो उसकी तरफ से गवाही देने के लिये आप बेशक जा सकते हैं, रुकावट नहीं डालूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, प्रधान मंत्री के आनेके पूर्व ही वहां विरोधी दल के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है । कल भी वहां 12 आदमी गिरफ्तार किये गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री सत्यपाल मलिक और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो प्रश्न उठाया है उसको काटने के लिये आप खड़े हुए हैं ? उनका खतम हो जाय और आपका लिखा जाय ?

(व्यवधान)

माननीय मोतीलाल देहलवी जी, यदि प्रधान मंत्री की हत्या की साजिश की बात झूठी हो, चाहे श्री राजनारायण की हत्या की बात हो, आप इस मामले को लेकर कोर्ट में बेशक जा सकते हैं ।

एक दूसरा सवाल उठाया है माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने और श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने । (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

आल इंडिया रेडियो ने प्रधान मंत्री की हत्या का एक तरह से बिलकुल झूठा समाचार प्रसारित किया है । ..... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं, मान्यवर । आप उनसे वक्तव्य दिलवा दें । .... (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, आप ऐसी जिम्मेदारी की कुर्सी पर हैं । फिर आप ऐसी जल्दबाजी क्यों करें ? आप बयान करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

पहले आप श्री मोतीलाल देहलवी और श्री सत्य प्रकाश मालवीय को अनुशासित करें।

मुख्यमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, एक छोटा सा निवेदन उस प्रकरण में उठा था, क्षमा करेंगे । जो कुछ कहा गया वह यह कि इस सदन में परसों जो कार्यवाही हुई थी, उससे कार्यवाही में कम है । लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वह उसमें लिखा है ऐसी मरी आशा है । न तो मैंने कुचलने की बात कही थी और न कुचलने का प्रश्न है । यह नीतियों का झगड़ा है और नीतियों के झगड़े को जनता खुद अपने मन से तय करेगी । जहां तक कल की दुर्घटना का संबंध ह एक बात जरूर है,जिसका मुझे खेद है कि कल इस माननीय सदन को, माननीय विधान सभा को या विधान परिषद् को हमने सूचना नहीं दी । माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका क्या कारण है, क्यों नहीं दी गयी ? जाहिर है कि हम यह चाहते थे हमको सारी बातों का पता चल जाय तब कुछ कहा जाय.....

श्री सत्य पाल मलिक--

मान्यवर, मैं आब्जेक्ट करना चाहूंगा. . . . . .

(आप बैठ जायं, आप बैठ जायं की आवाजें)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मेरी बात गलत है या मेरी बात सही है, सत्यपाल मलिक जी मेरे फालोवर तो हैं नहीं। वह मेरे दल के अन्यायी तो हैं नहीं। कल मैंने किसी बात की सूचना नहीं दी, इसीलिये मुझे निवेदन करना पड़ा।

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा कि इसको प्रशासनिक भूल कह सकते हैं। कल हमने बयान नहीं दिया इसक पीछे दूसरी मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं तीन दिन का प्रोग्राम बनाकर गया था और लौट आया, यह सही नहीं है। मैं असेम्बली का काम पूरा करके रिसीव करने के लिये, जो प्रोटोकाल का तरीका है, गया और कल इस माननीय सदन के बैठने के पहले यहां इसलिये लौट आया क्योंकि माननीय सदन में कई प्रश्न उठे और जैसा माननीय नेता जनसंघ ने मेरे संबंध में प्रश्न उठाया था, और भी इसी संबंध में प्रश्न उठे थे। जाहिर है कि मैं सदन का सेवक हूं। मैंने प्रधान मंत्री से निवेदन किया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी असेंम्बली चल रही है, तुमको वहां रहना चाहिये। इसलिये इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जहां तक इस घटना का संबंध है जिसके बारे में माननीय सदस्य, सदन के सदस्य, सभी दलों के सदस्य एक स्वर से चिंतित होंगे वह घटना इस प्रकार है :-

इलाहाबाद हाई कोट में कमरा नं0 15 के पास कल दिनांक 18 मार्च, 75 को लगभग 9.00 बजे प्रात: काल गोविन्द मिश्र नामक एक व्यक्ति, उम्र लगभग 33 वर्ष, सम्पादक स्थानीय हिंदी पत्र 'श्री विजय' निवासी बांसमंडी, इलाहाबाद को एक ब्रीफ केस में 12 बोर की एक कारतूस से भरी देशी पिस्तौल तथा दो अतिरिक्त कारतूसों को लिये हुये पाया गया तथा पुलिस द्वारा उसे आर्म्स ऐक्ट की धारा 25 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। प्रधान मंत्री के मुकदमें की सुनवायी कमारा नं 24 में होने वाली थी जो उक्त घटनास्थल से लगभग 30-40 गज की दूरी पर था। गोविन्द मिश्र को Accredited Press का सदस्य बतलाया जाता है और उसके बयान के अनुसार वह सूचना निदेशक के पास प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु, पहुंचने का प्रयास कर रहा था ।

उक्त अवैध पिस्तौल की जानकारी प्रधान मंत्री के मुकदमें के कमरे से कुछ दूरी पर कैरीडोर में लगाये गये 'मैटल डिटेक्टर' उपकरण की सहायता से प्राप्त हुयी और उक्त व्यक्ति उसी स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। वह एक काला कोट तथा सफेद पैंट पहने हुये था ।

मामले में प्रारम्भिक जांच से यह पता चला है कि इलाहाबाद के एक हरिओम कृष्ण द्विवेदी नामक व्यक्ति स कुछ सम्पत्ति के झगड़े के सिलसिले मे गोविन्द मिश्र की दुश्मनी है। गोविन्द मिश्र तथा उसके भाई गोपाल मिश्र के विरुद्ध दूसरी पार्टी द्वारा कत्ल का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें सेशन्स न्यायालय द्वारा गोविन्द मिश्र को मौत की सजा तथा गोपाल मिश्र को आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी। वर्ष 1969 में उपरोक्त दोनों व्यक्ति हाई कोर्ट द्वारा रिहा कर दिये गये थे। 16 जनवरी, 1975 को गोविन्द मिश्र ने विरोधी पार्टी के विरुद्ध धारा 307 आई0 पी0सी0 के अन्तर्गत एक रिपोर्ट कोतवाली इलाहाबाद में लिखवाई जिसमें 4 फरवरी, 1975 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी क्योंकि उसम नामांकन गलत पाया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा 107, 116 सी0 आर0पी0 सी0 के अन्तर्गत 20 जनवरी, 1975 को कार्यवाही की गयी जो अभी अनिर्णीत है। गोविन्द मिश्र के अनुसार उक्त दुश्मनी क कारण वह पिछले 2 महीनों से अपने बचाव के लिये अपने साथ आग्नेयास्त्र रखता है। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। अभी तक गोविन्द मिश्र की राजनीतिक संबंध की जानकारी नहीं हो पायी है।

प्रधान मंत्री की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं तथा उन्हीं निर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इन्हीं निदशों के अनुसार इलाहाबाद में प्रधान मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध हाई कोर्ट के परामर्श तथा पूर्ण सहयोग से किया गया है। उच्चाधिकारी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के लिये नियुक्त किये गये हैं और आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगे। इस घटना के बाद से पुलिस महा निरीक्षक को पुनः निर्देश दे दिये गये हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी जाये।

श्री सत्यपाल मलिक––

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि जो जानकारी मुख्य मंत्री जी ने आज दिया है वह कल 6 बजे तक सदन चला है और उसी दौरान दिल्ली में बहस हुई है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने सदन को जानकारी दिया है कि यह प्रदेश सरकार से जानकारी मिली है वह दी गयी ह्। इस-लिये जो जानकारी दी गयी है वह मुख्य मंत्री जी के पास कल मौजूद थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिससे कल जानकारी नहीं दी गयी ? साफ–साफ इस बात को कहें कि गलती हुई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मैंने पहले ही कह दिया कि प्रशासनिक भूल हुई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह बताया कि यह व्यक्ति किसी अखबार का सम्पादक है। अखबार छपा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस अखबार का सम्पादक है क्या उसके लिखने से ऐसा आभास होता है कि यह व्यक्ति किसी विशेष राष्ट्रीय विचारधारा को रखता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना इस वक्त उचित नहीं होगा।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)––

मान्यवर, मैंने जो लिखकर दिया है उसमें मैं जानना चाहूंगा कि हमारी प्रधान मंत्री हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी हैं। तो इतने बड़े व्यक्तित्व की उपस्थिति में वहां पर अपराधी इस तरीके से पहुंच जायं जबकि वह उत्तर प्रदेश के न्याय का सबसे बड़ा केन्द्र है। मैं समझता हूं कि यह न्याय व्यवस्था की सबसे चिन्तनीय बात है। इसलिये मैं चाहूंगा कि क्रिमिनालोजी के किसी इक्सपर्ट द्वारा इसकी जांच करायी जाय। हमारी जानकारी है कि बगैर किसी उच्च अधिकारी के सांठ–गांठ के कितना ही हार्डेन्ड क्रिमिनल क्यों न हो वह नहीं जा सकता है।

"The presence of a highest dignitary of the nation at the highest place of justice of the State must terrorise a criminal howsoever hardened he might be."

क्रिमिनल कितना भी सख्त क्यों न हो उसके ऊपर शासन का आतंक होना चाहिये। इस स्थान और व्यक्तित्व का उस क्रिमिनल के दिमाग पर भय नहीं है तो यह बड़ा गम्भीर विषय है। इसकी जांच किसी सिद्धहस्थ व्यक्ति द्वारा होनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मान्यवर, ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब हम काशीनाथ मिश्र की बात से सहमत हों। जो कुछ उन्होंने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं। प्रधान मंत्री की सुरक्षा का प्रबन्ध एक महीने

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

से हो रहा था। हमारी यह कल्पना थी कि बिना तलाशी कोई आदमी वहां नहीं जा पायेगा। लेकिन यह किस परिस्थिति में वहां तक पहुंच गया। डिटेक्टर तो काफी आगे जहां सीढ़ी चढ़ रहे थे वहां मिला। लेकिन जब इतनी पुलिस वहां सादे वेष में इलाहाबाद हाई कोर्ट को घेरे हुए थी तो इस व्यक्ति का क्यों नहीं पता चल सका। वह ब्रीफ केस लिए हुए था तो क्यों नहीं उसकी तलाशी ली गयी ? क्यों नहीं डी0 आई0 जी0 और जो भी इन्चार्ज था उसका ध्यान गया ? यह मामूली पहलू नहीं है। अगर कोई घटना हो जाती तो यह कह देते कि फलां पार्टी ने करा दी। लेकिन यह सारी जिम्मेदारी शासन की है। इट कम्प्लीटली फेल्ड टु मेक अरेन्जमेन्ट्स।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में था। न कोई वकील और न कोई दूसरा व्यक्ति वगैर इस तरह के पास के वहां जा सकता था। (एक लाल पास दिखलाया) जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने मदन का ध्यान आकृष्ट किया वह सही है। जहां पर गोविन्द मिश्र पकड़े गये वह स्थान हाई कोर्ट के मुख्य द्वार से 150 गज की दूरी पर होगा, दूसरी मंजिल पर। कमरा नं0 24 से पूर्व धातु पदार्थ यंत्र रखा हुआ था। वहां पर पता लगा कि इनक पास पिस्तौल है और गोविन्द मिश्र उस सिलसिले में गिरफ्तार हुए। यह बात वाकई में बड़े आश्चर्य की है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद पिस्तौल को लेकर वह व्यक्ति वहां तक पहुंच गया। जो जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 हैं वह इस मामले में असफल सिद्ध हुए हैं। जहां पर गोविन्द मिश्र पकड़े गये वहां से 150 गज पहले लोगों की तलाशी होती थी और जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पढ़ा। वहां के रजिस्ट्रार और न्यायाधीश से मिलकर व्यवस्था बनायी गयी थी। वहां पर वगैर पास दिखाये कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। यह जो समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है यह बिल्कुल भ्रामक है। इससे एक तो पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश की गयी है और दूसरे काला कोट पहने हुए बताकर वकील और न्यायाधीश समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गयी है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो पास आपके पास है यह कहां मिला था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं तो माननीय राजनारायण.....

श्री अध्यक्ष--

जो पास की व्यवस्था थी तो वह तो कहीं बाहर मिलता रहा होगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो मुख्य न्यायालय का द्वार है वहीं पर रोकना चाहिये था। वह वहां से 150 गज आगे चला गया। अगर डिटेक्टर न होता तो मुमकिन है कि वह आगे भी न रोका जा सकता। वह 150 गज अन्दर तक कैसे चला गया। प्रधान मंत्री के आने के एक घंटा पूर्व वह गिरफ्तार किया गया। केवल प्रधान मंत्री की सुरक्षा से ही इसका मतलब नहीं होना चाहिये। तो इन सारे मामलों की जांच की आवश्यकता है और मेरा निवेदन है कि जो जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक हैं, उनको फौरन मुअत्तल करना चाहिये।

श्री राम मूर्ति (बरेली)--

जो विषय इस समय चल रहा है, उससे मुझे भी इस बात का अफसोस है और यह एक गम्भीर विषय है कि जहां हमारे प्रदेश की प्रधान मंत्री जा रही हों, वहां पर सिक्योरिटी के

इन्तेजाम काफी न किये जायं, यह सरकार की सबसे बड़ी कमी है। 17 तारीख के अखबार में यह जिक्र किया गया था और उसमें लिखा था कि 24 नम्बर के कमरे में और पूरे हाई कोर्ट में सिर्फ वही जाने पायेंगे जिनको बाकायदा पास मिले हैं और उनकी बोना फाइडी देख ली जायेगी। इसके बावजूद भी जहां हमारी इतनी पुलिस हो और एक आदमी घुस जाय, यह कितनी इनएफीसिएन्सी की बात है। मैं आपको जरा सी बात बताना चाहता हूं कि मुझे दिल्ली जाने का मौका एक शादी में मिला जिसमें प्रेसीडेन्ट साहब भी तशरीफ ला रहे थे। मैं दरबार से दूर पर खड़ा था, तो मुझ से वहां पर क्वेश्चन कर लिया गया कि मैं कौन हूं। हालांकि एक साहब ने बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां मुझे खड़ा होने नहीं दिया और कहा कि मेहरबानी करके यहां से हट जायं। जहां पर इतना प्रोटेक्शन का इन्तजाम किया जाय और प्रधान मंत्री जैसी हस्ती हिन्दुस्तान की आ रही हों, वहां पुलिस इतनी बेफिक्री से रहे, तो इससे ज्यादा लापरवाही और क्या हो सकती है। सरकार द्वारा पुलिस अथारिटीज पर सीरियस ऐक्शन लिया जाना चाहिये जो ऐसे लैप्सेस करते हैं।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)––

मान्यवर, मैंने दफा 51 में नोटिस दिया है। उस सन्दर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका एक दूसरा ऐंगिल भी है। यह साधारण सी बात है कि पिस्तौल लेकर एक आदमी गिरफ्तार हो जाय, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं। लेकिन जो मुख्य बात इसमें है, उस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि प्रधान मंत्री ने यह स्वयं कहा है कि उनके जीवन के ऊपर दक्षिणी पन्थी और फासिस्ट शक्तियां और कुछ बाहर की शक्तियां ऐसी हैं जिससे उन्हें खतरा है सी0 आई0 डी0 की भी कुछ गतिविधियां चल रही हैं। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी जांच–पड़ताल हो रही है, उसमें इस ऐंगिल को बराबर ध्यान में रखा जाय क्योंकि उस व्यक्ति का राजनैतिक एन्टीसिडेंट इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता जितना इस बात को जानना कि क्या कोई ऐसी एजेन्सी है जो ऐसा काम कर रही है। अभी हाल में ललित नारायण की जो हत्या की गई है वह किराये के लोगों द्वारा कराई गई है तो क्या इस तरह का कोई षड़यंत्र भी इसके पीछे था, इसको भी जांच के समय अवश्य ध्यान में रखें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी––

मान्यवर, मुझे खुशी है कि पूरे सदन ने इस तमाम प्रश्न पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये। मान्यवर, यह बहुत बड़ी घटना है कि तमाम पुलिस मौजूद हो, तमाम सिक्योरिटी के फोर्स मौजूद हों, पासेस पर एन्ट्री रेगुलेट हो रही है और एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर चला जाय और उसकी तलाशी न हो। यह तो इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यह सही है कि पूरे राजनैतिक पृष्ठभूमि में इसकी जांच होनी चाहिये। आज देश पर किस ढंग का संकट है, किस ढंग से विदेशी ताकतें हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, यह भी सही है। अमेरिका में इस बात को स्वीकार किया जा चुका है कि सी0 आई0 ए0 ने राजनैतिक कतल करवाये हैं। फैड्ल कास्ट्रो की हत्या के सम्बन्ध में एक षड़यंत्र नियोजित था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये और यह जांच केवल स्थानीय अधिकारियों पर ही न छोड़कर विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सी0 बी0 आई0 द्वारा करायें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है, उस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय. . . . . माननीय अध्यक्ष महोदय. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अब आपने एक चिन्ता व्यक्त की है. . . . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इसी विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी है। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सुनाने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर जितने माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है. . . . . .

श्री मोती लाल देहलवी--

व्यवस्था का प्रश्न है . . . . . .

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न आपका नहीं है। उसे मैंने खारिज कर दिया। आपकी बात सही हो तो आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। इलाहाबाद में जो घटना हुई है उससे सभी को चिन्ता है और माननीय नेता विरोधी दल तथा नेता सदन को इस पर जो कहना हो, कह दें।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मैंने सुना नहीं आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा हूं कि जो घटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद में हुई है उस पर सभी ने चिन्ता व्यक्त की है। इस पर राज्य सभा तथा लोक सभा में भी चर्चा हुई। मैंने अनुभव किया कि सभी इस चिन्ता में सम्मलित हैं। मैंने सोचा कि माननीय नेता विरोधी दल नहीं बोले इस पर तो उनको भी कुछ कहना है ?

चौधरी चरण सिंह--

मैं भी इस चिन्ता में शामिल हूं इतना ही काफी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं. . . . . .

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

यह बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर सभी लोगों ने एक राय जाहिर की। ओम प्रकाश जी ने इस पूरी घटना को एक राजनीतिक कलर देने की कोशिश की है। बिहार में ललित नारायण मिश्र की पूरे सिक्योरिटी आफिसर्स तथा सेक्योरिटी मेजर्स के होते हुये भी हत्या हो जाती है। इसी तरह से इलाहाबाद में एक आदमी पिस्तौल ले कर हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। मद्रास में स्वयं प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि कांग्रेस दल में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी ने जो आरोप लगाया है, वह गलत है और उसे वह वापस लें।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मेरी बात सुनी नहीं जायगी और फिर डाट डाट डाट हो जायगा और फिर यहां कहा जायगा कि कुछ और लिख दिया गया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मेरा कहना यह है कि यह बहुत गंभीर विषय है। ऐसे लोगों को इस सम्बन्ध में बोलने का अवसर मिला जो इतने निम्न स्तर पर उतर आये कि उन्होंने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की. . . . . .

श्री अध्यक्ष––

आप स्वयं वही कह रहे हैं.. . . . . (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

यह अपने स्तर की बात कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मैं कह रहा था कि इसे राजनीतिक शक्ल कुछ सदस्य देना चाहते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यह बहुत अहम सवाल है। इस तरह की राजनीतिक घटनायें होती चली जा रही हैं। ललित नारायण मिश्र की हत्या किसने कराई? ओम प्रकाश जी जैसा कहते हैं उनके मुताबिक दक्षिणपंथी शक्तियां इस देश में पनप रही हैं और ये हत्यायें करवा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कौन दक्षिणपंथी है और कौन वामपंथी, यह कहना जरा मुश्किल हो गया है। इसमें बैठे हुए 90 प्रतिशत दक्षिणपंथी हैं और इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा वामपंथी विचारधारा के हैं। मेरा कहना है कि दलगत राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ कर मुख्य मंत्री सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से और जो इलाहाबाद के कर्मचारी हैं उनकी अकर्मण्यता को दृष्टि में रखते हुए ऐसा बक्तव्य दें ताकि ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतों को पनपने न दिया जाय और उनको तोड़ा जा सके।

श्री मोती लाल देहलवी––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय क्या है? आप एक बार बोल चुके हैं। आपका भाषण कुछ भिन्न है। सदन की राय से माननीय मोतीलाल जी देहलवी की राय भिन्न है। हो सकता है सही न हो. . . . . .

श्री मोती लाल देहलवी––

मेरी बात सुनकर आप फैसला दें।

श्री अध्यक्ष–

क्या उस पर मैं फैसला करूंगा? मैंने आपका कार्य–स्थगन खारिज कर दिया।

श्री मोती लाल देहलवी––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। . . . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपका मैंने खारिज कर दिया। उसका मुझे अधिकार है। मैं किसी प्रस्ताव को अपने कक्ष में ही खारिज कर सकता हूं। यहां आपको बोलने का मौका भी दे दिया. . . . . (व्यवधान)। मैं आपको व्यवस्थित होने का आदेश देता हूं कि आप व्यवस्थित हो जायं . . . (व्यवधान)

आप सोच लें। सम्पूर्ण सदन की राय के आप विपरीत हैं।

एक सदस्य—

इनको माननीय बांकेलाल जी के पास व्यवस्थित होने के लिये भेज दें।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

जो गिरफ्तार हुये, क्या वे मोती लाल देहलवी के दोस्त थे?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको इजाजत ही नहीं दी है और व्यवस्थित होने के लिये कहा है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप अव्यवस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप है। इस पर मैं कार्यवाही करूंगा। मैं आपको कहूंगा कि आप या तो बैठ जायं नहीं तो मैं कार्यवाही करूंगा। यह बहुत गम्भीर चीज है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप बैठ जायं. . . . . अगर माननीय मोती लाल देहलवी दो मिनट के अन्दर नहीं बैठते हैं तो उनके विरुद्ध मैं कार्यवाही करूंगा.. . . . . (व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा और कुछ सुनाई नहीं दिया।)

(श्री राम अधार ने जाकर श्री मोती लाल देहलवी को बिठाया।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, यह सदन माननीय राम अधार का अनुग्रहीत है कि उन्होंने सदन में व्यवस्था लाने में सहायता दी. . . . . .

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं वाक आउट करता हूं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप फिर खड़े हो गये, इसलिये मैं आपको एक दिन के लिये निकाल देता हूं। मैंने कहा था कि वे बैठ जायं। फिर खड़े हो गये और जाना चाहते हैं। यह मुझे अधिकार है, एक दिन के लिये मैंने उनको निकाल दिया। वे स्वयं क्यों निकलें।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता था कि जब आपने उनको हुकुम दिया कि वह बैठ जायं तो वह बैठ गये, अच्छा किया। फिर बात खतम हो गई। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे और वह बैठ गये थे. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

नहीं ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

उनको छेड़ा, इन लोगों की तरफ से छेड़ने की प्रक्रिया हुई और आप रैश में आ गये।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से अध्यक्ष के निर्णय के विपरीत सदन त्याग कर जाना सारे सदन का घोर अपमान है और उस स्थिति को बचाने के लिये मैंने कहा कि ऐसे लोगों को निकाल देते हैं, ताकि फिर यह वहस न हो कि सदन का अपमान हुआ या नहीं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है इसलिये यह माननीय देहलवी की बात नहीं है, श्री शिवकुमार पाण्डेय के केस में हुआ और बहुत से केसेज में हुआ। तो जो हमारे निर्णय के विरुद्ध जाते हैं, उनको कहता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

मैं आपके अधिकार को क्वैश्चन नहीं कर रहा हूं। वह तो आपका अधिकार था ही अगर वह बैठते नहीं तो आपको निकालने का अधिकार था और उनको निकलना पड़ता।

श्री अध्यक्ष --

उन्होंने जब कह दिया कि मैं निर्णय के विरुद्ध जा रहा हूं तो फिर आपकी राय हो तो मैं अवमान का केस लाता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

नहीं वह तो बैठ गये थे।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, वह खड़े हुए उन्होंने कहा कि मैं आपके निर्णय के विरुद्ध सदन का त्याग करता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

जब वह त्याग ही कर रहे थे तो फिर निकालने का क्या सवाल है ?

श्री अध्यक्ष--

इसलिये कि अगर अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध यह कह कर कि मैं निर्णय के विरुद्ध त्याग करता हूं तो वह सदन का अवमान हो जाता है। तो सदन को इस स्थिति से बचाने के लिये कि जो खुद जा रहा है उसके लिए कह दिया कि मैं निकालता हूं तो उसमें क्या एतराज है ?

चौधरी चरण सिंह--

स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर माननीय सदस्य रोज आते जाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

निर्णय के विरुद्ध नहीं।

चौधरी चरण सिंह--

आपने जब बैठने के लिये कहा तो मेरे कहने पर, राम अधार जी के कहने पर वह बैठ गये। फिर जब वह जा रहे थे तो जाने देते। (व्यवधान) जब मैं कालेज में पढ़ता था, स्टूडेन्ट था तो एक यूनियन हमारे बोर्डिंग में कायम हुई। हमने हाउस के नियम पढ़ने चाहे तो जो उसमें जितने फंकशनरीज हैं उनका जिक्र आया उसमें स्पीकर के लिए लिखा था कि 'स्पीकर इज दि परसन हू स्पीक्स लीस्ट इन दि हाउस आफ कामन्स'।

श्री अध्यक्ष--

अगर मैं न बोलूं तो पता नहीं सदन कहां जाय।

चौधरी चरण सिंह--

सदन ज्यादा अच्छा जायेगा, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसलिये असर कम होता है।

श्री अध्यक्ष--

ज्यादा बोलने पर भी कठिनाई पड़ती है। आप तो बार-बार कहते हैं कि सख्ती की जाय।

अब माननीय मोतीलाल देहलवी स्वयं बैठ गये हैं और मेरे निर्णय के विरुद्ध जाने की उनकी मंशा नहीं है इसलिये उनको न निकाला जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में जो चिन्ता व्यक्त की गई है.....

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

[* * * * * *]

श्री अध्यक्ष --

माननीय शिवकुमार पाण्डेय ने जो नेता विरोधी दल के बारे में कहा उसे कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं उनकी तरफ से खेद प्रकट करता हूं। यह नहीं कहना चाहिये।

श्री मुहम्मद अमरार अहमद (जिला बदायूं)--

खेद है तो उधर से है तो इधर से भी है, तो दोनों ओर से खेद है और इस तरह से दोनों बराबर हैं। दोनों के लिये एक होना चाहिये। दोनों का स्टैन्डर्ड एक है। आप दोनों को बराबरी पर रखें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जो चिन्ता इस सदन में व्यक्त की गई कल की घटना के सम्बन्ध में, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हुआ इस बात के लिये भगवान को धन्यवाद देता हूं कि यह व्यक्ति ठीक स्थान पर नहीं पहुंच पाया जहां उसकी पहुंचने की मंशा थी, तथा न्याय और व्यवस्था उसे रोक पाई। माननीय सदन को एक गलतफहमी शायद यह हो कि हाई कोर्ट के अन्दर जाने के वास्ते कोई पास की प्रक्रिया थी, तो वैसी बात नहीं है। मेरे पास, रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट ने जो आदेश निकाले हैं, वे हैं। श्री बी0 सी0 जौहरी, रजिस्ट्रार ने 17-3-75 को जो आदेश निकाले हैं, उसमें हाई कोर्ट की एन्ट्री के सम्बन्ध में और कमरा नम्बर 24, जहां प्रधान मंत्री जी की गवाही होने वाली थी, उनके सम्बन्ध में अलग-अलग बात थी। पास कमरा नम्बर 24 में जाने के लिये था। हाई कोर्ट के अन्दर जाने के लिये, जो एडवोकेट्स थे, लिटीगेन्ट जनता है, उनके मुंशी हैं, इन तमाम लोगों के लिये हाई कोर्ट के अन्दर आना मना नहीं था। इसलिये हाई कोर्ट .....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

कृपया आप उसे पूरा पढ़ देने की कृपा करें।

[****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

"Entry to the High Court buildings will be open only to advocates in robes, their registered clerks bearing identity cards, bonafide litigants, who have business in the High Court and who are accompanied by either their advocates or registered clerks."

हमारे लिए यह देखना बड़ा मुश्किल था कि इतने जो इतनी बड़ी संख्या में लिटीगेंट आए हैं, उनमें कौन ठीक हैं या नहीं, इसलिये यह थोड़ी सी रोकथाम जरूरी थी। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने इस सदन में अपनी आशंका व्यक्त की थी कि वहां इतनी-इतनी ज्यादती की जा रही है—कोई वहां अपना मुकदमा फाइल करने जाना चाहता हैं तो वह कैसे जाएगा, आदि तमाम प्रकार की उन्होंने बातें कही थीं। तो मैंने इस डर मे, क्योंकि इस माननीय सदन का और इसके अन्दर जो विरोधी दल है, उसकी इच्छा और भावना का मैं बड़ा आदर करता हूं, यह जरूर कहा कि हाई कोर्ट जैसा चाहे करे, जो व्यवस्था चाहे करे, हमारा हाई कोर्ट में कोई हक नहीं है। जिस मार्ग से प्रधान मंत्री को आना था, उससे केवल जज ही गुजरते हैं और उसे जजों की सीढ़ी कहते हैं, उससे पब्लिक का कोई आदमी या वकील नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि यह जरूरी है, उनकी सुरक्षा के लिये जरूरी है, आप कृपा करके इस रास्ते से गवाह (प्रधान मन्त्री) को आने की इजाजत दे दें। इसलिये क्योंकि वह एक गवाह की हैसियत से ही वहां पहुंच रही थीं। तो वहां की अथारिटी ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें इतनी इजाजत दे दी। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। तो ऐडवोकेट्स और लिटीगेंट्स पब्लिक के लिये न कोई पास की व्यवस्था थी और न मर्च ही हो रही थी, केवल यही था कि लिटीगेंट या तो अपने एडवोकेट या फिर रजिस्टर्ड क्लर्क्स के साथ हों। अब यह कहा गया कि वहां के अधिकारियों ने चुस्ती नहीं दिखाई। चुस्ती न दिखाते तो उन्होंने मेटेल डिटेक्टिव की कैसे व्यवस्था कर ली। माननीय सदन ने तो इसके लिये कोई सुझाव या अनुमति दी नहीं थी। मैं बिना भेदभाव के कह सकता हूं कि जितनी सतर्कता और कठिन स्थिति में, आप मुझे कहने के लिये क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ कहने मे रोष भी पैदा हो जाता है, यह बन्दोवस्त हो पाया, वह सम्भव न हो पाता, यदि वह एक किनारे पर सुनवाई न करते, और अन्य जगह या दूसरे किनारे पर करते। अगर बार एसोशियेशन हम पर, कृपा न करता, और सहमति न देता, कि वहां के वकील लोग भी अपनी बार एसोशियेशन के रेगुलेशन में जायेंगे तो मुश्किल बात हो जाती। मुझे यह कहा गया कि कर्मचारियों को दन्डित करना चाहिये। हम तो जिन कर्मचारियों ने सारा वहां काम किया है, सारे कर्मचारियों ने जो सतर्कता बरती है, उनको साधु धन्यवाद दे रहे हैं और इनाम भी दे रहे हैं कि इस किस्म के खतरनाक व्यक्ति को चालीस गज से पहल पक भी लिया गया। राममूर्ति जी ने कहा कि थैला क्यों नहीं देखा, अगर हाई कोर्ट के वकीलों का ब्रीफ केस और लिटिगेंट पब्लिक के थैले पुलिस देखने लगे, तो इस सदन में न मालूम कितनी हमको गालियां और लांछन सुनने पड़ते। हमें दोनों तरफ मुश्किल है। खंदक एक तरफ, खाई एक तरफ। उसमें से निकले हैं। यह सारा सदन मेरे साथ इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करेगा कि इस तरह के खतरनाक व्यक्ति जो पहले एक कत्ल का मुलिजम रह चुका हैं, उसको समय के अन्दर पक लिया। जिन प्राणों का कत्ल हो सकता था मैं किसी की तरफ राय नहीं देना चाहता। (व्यवधान)।

श्री मोती लाल देहलवी—

प्रधान मन्त्री वहां मौजूद नहीं थीं। वहां पर सिर्फ राज नारायण मौजूद थे पहले से।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं जब तक बोल रहा हूं, मैं बैठ नहीं रहा हूं। किसी भी प्राण की हत्या का उसके मन में शकशुबहा था वह चीज चिन्ता की बात है और उस बात को इस तरह से

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—]

ले लेना कि फलां के लिये था, उस वक्त कौन था कौन नहीं था, नौ बजे वहां फलां था, फलां नहीं था। जाहिर है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन जो सारे देश में असर पड़ा है। वह सब के सामने है। मुझे नम्र निवेदन करना है कि माननीय लोक सभा और राज्य सभा ने जिस तरह से इस प्रकरण को लिया है, उसी उदारता के साथ और उसी तरह से हम भी लेते तो उससे पार्लियामेन्टरी सिस्टम की मर्यादा ही कुछ बढ़ती। जिन माननीय सदस्यों ने उधर से यह बात मुझ से कही कि यह बात आपने पहले क्यों नहीं सुनायी, मैं उनकी चिन्ता की कद्र करता हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि यह भूल हुई। यह बात हमें कल इस सदन में कहनी चाहिये थी। लेकिन मैं आज इस सम्बन्ध में यह नहीं कहूंगा कि उसका क्या इरादा था, न यह कहूंगा कि किसकी तरफ से कौनसी शक्ति काम कर रही थी और किस के ऊपर थी। यह जरूर कहूंगा कि इसकी तह में जाने के लिये हमने पूर्ण रूप से व्यवस्था कर दी है। हमें भरोसा है कि हम पूरी तह तक पहुंच सकेंगे, सारी जनता के सामने वह प्रश्न उभर कर सामने आ जायगा।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम अधार के खड़े होने पर) वह खत्म हो गया।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ठहर-ठहर करके वक्तव्य पढ़ा। मैं सिर्फ यह पूछता हूं कि आया उस व्यक्ति को पास दिया गया था या नहीं? और अगर दिया गया था तो पास किसने दिया था?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

सारी रामायण पढ़ कर सुना दी आपने सुना नहीं। वहां जाने के लिये किसी को पास की जरूरत नहीं थी। उसको उस कमरे में जाने का पास किसी अधिकारी ने नहीं दिया। पास की ही कोशिश में वह घूम रहा था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रधान मन्त्री के जीवन के प्रति आशंका की स्थिति के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, अन्य दल के नेताओं और हमारे सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि प्रधान मन्त्री के जीवन की रक्षा के लिये अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा –

मान्यवर, मैं सदन को एक सूचना दे दूं। माननीय प्रधान मन्त्री जी की की गवाही खत्म हो गई है और वह लौट कर अपने निवास स्थान पर आ गई हैं। आज सायंकाल दिल्ली जाने वाली हैं।

विश्व कप विजेता भारतीय हाकी टीम को बधाई तथा पुरस्कार में स्कूटर देने की घोषणा

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

भारतवर्ष में बहुत दिनों बाद जो भारतवर्ष ने विश्व में सम्मान प्राप्त किया है, उस हाकी टीम में हमारे प्रदेश का एक खिलाड़ी अशोक है। प्रदेशीय सरकार ने निश्चय किया है कि इन सब खिलाड़ियों को, मैनेजर तथा कोच को हमारी तरफ से दिल्ली में, जब मदरास से वे आयेंगे या आ गये होंगे तो हमारा जो कमिश्नर है, उनके सम्मान के लिये हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिये आदेश दिये गये हैं और एक भोज देने के लिये दिल्ली में हमने व्यवस्था की है और साथ ही

निर्णय लिया है कि उन्हें दावत दें वह लखनऊ आयें और प्रदेशीय सरकार ने निश्चय किया है कि कि एक-एक स्कूटर हम खिलाड़ियों को प्रदेश की तरफ से देंगे। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने कोटे से बाहर स्कूटर देने के लिये मंजूरी दे दी है। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही हम चेष्टा कर रहे हैं कि यदि सम्भव हो सके तो जो टीम जीत कर आई है उनका एक शो-मैच लखनऊ में कराया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी टिकट लेकर उसको देखने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

राष्ट्रीय हर्षोल्लास के प्रतीक हमारे हाकी के खिलाड़ियों के प्रति माननीय नेता सदन ने जो बधाई दी है, उससे मैं अपने को और सदन को सम्बद्ध करता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) --

पहले हमारी सहमति ले लेते फिर आप अपनी सहमति देते।

श्री अध्यक्ष--

आप खड़ नहीं हुये थे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

श्रीमन्,हम खड़े हुये हैं। माननीय नेता सदन ने जो हाकी की विजय के सम्बन्ध में बधाई दी है उससे हम और हमारा दल सहमत ह।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

माननीय नेता सदन ने जो हाकी टीम के विजय के उपलक्ष में बधाई दी है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और वास्तव में हमारी हाकी टीम ने देश के खोये हुये गौरव को प्राप्त किया है और उनको जितना पुरस्कृत किया जाये उतना थोड़ा है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से कप्तान, कोच तथा टीम को बधाई देता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, सदन ने जो हाकी के खिलाड़ियों की प्रशस्ति की है और हर एक खिलाड़ी को स्कूटर देने के लिये कहा है, उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और बधाई देता हूं।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

मैं अपने दल की ओर से हिन्दुस्तान की हाकी टीम को मुबारकबाद देता हूं और मुख्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि शो-मैच बिना टिकट दिखाना चाहिय।

श्री अध्यक्ष--

अब राष्ट्रीय हर्षोल्लास के प्रतीक हाकी के खिलाड़ियों ने जो विजय प्राप्त की है, मैं उससे अपने को तथा सदन को सम्बद्ध करता हूं और उनके सम्मान में, उनकी विजय के उपलक्ष में जो नेता सदन ने घोषणा की है, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनन्दन करते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

अध्यक्ष जी, एक प्रार्थना मेरी है कि इस सदन की प्रशंसा और बधाई आप सारे सदन की तरफ के इस टीम को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रधान मंत्री के आगमन पर पिस्तौल सहित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तथा अन्य कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य लोगों ने इलाहाबाद की घटना पर चिन्ता व्यक्त की। नेता सदन ने इस तरह का कोई इशारा नहीं किया कि किसी जान को खतरा था, लेकिन आपने इस सदन की चिन्ता में शरीक होते हुये प्रधान मन्त्री के जीवन के खतरे की चर्चा की, या तो आप उसमें विरोधी दल के जो नेता वहां मौजूद थे, उनके भी जीवन के खतरे की बात चलायें या इ सको निकालें ।

श्री अध्यक्ष--

आपने तो स्वयं खड़े होकर प्रधान मन्त्री का जिक्र किया।

श्री सत्यपाल मलिक--

अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग निकलवा लीजिये, मैंने तो कहा कि विरोधी दल के नेता वहां आने वाले थे, ब ड़े-ब ड़े वकील वहां आने वाले थे। किसी की भी जान को खतरा हो सकता था। अध्यक्ष जी, जो गलती नेता सदन ने नहीं की, वह गलती आपने की।

श्री अध्यक्ष --

उसको मैं कल्पनातीत मानता हूं। (व्यवधान)

श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, एक बहुत आवश्यक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष --

कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत है । (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने एक दिया था।

श्री अध्यक्ष--

वह अस्वीकृत है । (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मेरा बहुत आवश्यक था । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

51 में आप दें, 56 में बहुत सोच समझ कर देना चाहिये था। बजट के समय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं स्वीकार होते हे। जब बजट चलता रहता है, तो कार्य-स्थगन का कोई औचित्य नहीं होता है। बजट चल रहा है, उसमें आपको बोलने का अवसर है। जब बजट चलता है, तो सामान्यतया कार्य-स्थगन का कोई अवसर नहीं है।

श्री जगदीश नरायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मैंने एक दिया था? सिंचाई, पी० डब्ल्यू० डी० और स्वायत्त शासन विभाग के मजदूर आज अपनी छटनी और जो दूसरी मांगें हैं, उनके लिये भूख हड़ताल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिये असेम्बली के सामने बैठे हुये हैं। इस पर हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। मान्यवर, इस पर बोलने और सदन का ध्यान आकर्षित करने का अवसर दें। मजदूर आज पूरे हमारे समाज की रीढ़ हैं। अगर उनकी जिन्दगी बेहतर बनाने की तरफ और उनकी समस्याओं को हल करने की तरफ कदम सरकार ने न उठाया तो यह भारी संकट उत्पन्न हो जायगा। मान्यवर, इस पर कार्य-स्थगन स्वीकार किया जाय। इनकी जो समस्यायें हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार की तरफ के तत्काल बयान दिलाया जाय।

1975-76 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी सरकार ने अभी यह नया बजट रखा है सदन के सामने इसमें विशेषकर बिजली, सिंचाई और कृषि पर 75-76 में 302.80 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश में अब तक के जितनी भी बजट रखे गये हैं उसमें इतने पैसे, जितने बिजली, सिंचाई और कृषि के के लिये रखे गये हैं कभी नहीं रखे थे। इससे देहातों की हालत में परिवर्तन आवेगा। किसानों की हालत में परिवर्तन आवेगा, हालांकि एक बात यह है कि इस समय हमारा किसान जो है बिजली की दर से, विकास-कर की दर से काफी पीड़ित है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिस उद्देश्य के यह 302.80 करोड़ रुपया जब बजट में रखा गया है इससे किसानों के देहाती जीवन में तबदीली आवेगी। लेकन मान्यवर, इस सदन में कई बार इस बात को कहा है, आज भी चर्चा हुई। मुझे खेद है कि करोड़ों रुपया सरकारी कर्मचारियों ने गबन किया है। सरकार को बड़ी सख्ती से जो आर्थिक अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। मैने पिछली बार बजट में अपने विचार व्यक्त किये थे, आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब तक वह आर्थिक अपराधियों के साथ सख्ती नहीं करती है तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। आज करोड़ों रुपया इन सफेद पोश हाथियों के कारण बरबाद हुआ जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दे और सख्ती के साथ कदम उठावे।

मान्यवर, एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही कि टैक्सेज तो नहीं लगाये गये, लेकिन किसानों को धोखा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सख्ती से काम कराये और जो किसानों से पैसा लिया गया है उसका सही ढंग से खर्चा किया जाये तो उनको लाभ पहुंच सकता है। किसानों को और बिजली मिले तो उसका उत्पादन बढ़ सकता है। जैसा कहा गया कि 700 मैगावट बिलली की कमी है। इस बजट में जो इतना पैसा रखा गया है, उससे 500 मैगावाट बिजली की कमी पूरी हो जायेगी और जो 200 मैगावाट की रह जायेगी वह अगले वर्ष पूरी हो जायेगी। मैं यह भी कहता हूं कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने कदम उठाया है, जिसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं।

अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से छात्रों के साथ इस सरकार का दमनकारी रवैया कहा गया है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी श्री बहुगुणा जी ने बराबर यह कहा है कि 90 फीसदी छात्र शान्ति और व्यवस्था को कायम रखना चाहता है और वह पढ़ना चाहता है, उसको बरगलाया जाता है। मैं आपको अपने गोन्डा जिले की एक बात बताना चाहता हूं कि जब छात्र संघर्ष समिति वालों ने आम हड़ताल का नारा

---

†17 मार्च, 1975 की कार्यवाही से।

[श्री दीपनारायण पाण्डेय]

दिया और वहां पर एक डिग्री कालेज है, वहां पर हड़ताल कराने के लिये घुस गये। तो उस कालेज के विद्यार्थियों ने संघर्ष समिति के सचेतक को मारा और कहा कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, आन्दोलन नहीं करना चाहते हैं। शान्तिपूर्वक आन्दोलन हो सकते हैं। कांग्रेस ने शान्तिपूर्वक आन्दोलन करके सत्ता हासिल की है, लेकिन आज जो आन्दोलन हो रहे हैं उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। उधर के बहुत से भाई छात्रों के हमदर्द बन रहे हैं। मुझे याद है कि जब बनारस के छात्रों पर गोलियां चलायी गयीं थी तो उस समय चौधरी चरण सिंह, मुख्य मन्त्री थे। 1968 की जनवरी में लखनऊ में दफा 144 लगायी गयी थी। और लड़कों को पकड़ कर 11 बजे रात्रि में हजरतगंज के थाने पर लाया गया था तो तमाम विद्यार्थियों के सिर फूटे हुये थे। मैंने भी 144 तोड़ा था आज वही छात्रों के साथ हमदर्द बन रहे हैं। उधर के ही लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे तो उसी समय छात्र यूनियन का विघटन किया गया था।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आज छात्रों की रहनुमाई इस तरह से कर रहे हैं वे यह भी समझ लें कि उन्होंने कितने छात्रों को पिटवाया है। आज छात्रों को गुमराह करने के लिये ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया। यह आज के इतिहास में लिखा हुआ है। तो मैं विरोधी दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे हमारे नवयुवकों को भड़काने की कोशिश न करें। वे पढ़ना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो हरिजन ग्रान्ट रखी जाती है वह हरिजनों को ठीक तरह से मिल नहीं पाती है। बीच में उसका बहुत सा पैसा बरबाद हो जाता है। मेरा यह सुझाव है कि जो रुपया बांटने का प्राविधान है, उसकी जगह पर उद्योगों की स्थापना की जाये औद हरिजन लोगों को उनमें कार्य करने का अवसर दिया जाये तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। मैंने कहा कि जब हरिजन 500 रुपये पाता है तो उसके बीच में दलाल पड़ जाते हैं तथा अधिकारी और दलाल मिल कर उसका बहुत सा पैसा मार लेते हैं और हरिजन को नाम मात्र के लिये ही रुपया मिल पाता है। इस तरह से सरकार का रुपया भी व्यय हो जाता है और वास्तव में जिस कार्य के लिये रुपया दिया जाता है वह पूरा नहीं हो पाता है, और हरिजनों का हित भी नहीं हो पाता है। जो हम हरिजनों को अनुदान देते हैं उसके स्थान पुर उद्योंगों की स्थापना की जाये और औद्योगिक संस्थान खोले जायें तो अच्छा होगा। आप 90 प्रतिशत का आरक्षण उसमें कर दें कि वही काम करेंगे तो देश का उत्थान होगा और प्रदेश के उत्थान होगा और इसके साथ ही साथ उनको कार्य करने का मौका भी मिलेगा।

अब मैं मान्यवर, गोन्डा जिले के बारे में कहना चाहता हूं। गोन्डा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है और उसके सम्बन्ध में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर गोन्डा जिला उत्तर प्रदेश के नक्शे में है तो उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। वहां पर बहुत सारा-मेटेरियल है जिससे उद्योगों की स्थापना हो सकती है। गन्ना की हालत भी बहुत ही दयनीय है। हजारों टन गन्ना सूखा जा रहा है। उसको पेरने के लिये वहां पर कोई मिल नहीं है। 3-4 मिले जो हैं वह इस दशा में नहीं है कि वहां के सारे गन्ने को पेर सकें। एक फैक्टरी मान्यवर, गोन्डा में दे दें। तो जो गन्ना सूख रहा है वह सूखने से बच जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार गोन्डा जिले के साथ अन्याय कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

आज्ञा से हमारे जिले की जो समस्यायें हैं, उनको सदन के समक्ष रख रहा हूं और सरकार से आशा करता हूं, कि वह हमारे जिले के विकास में भी कुछ योगदान देगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोधी दलों द्वारा कटौती से प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कटौती का प्रस्ताव नहीं है। अभी तो वजट पर सामान्य चर्चा चल रही है।

श्री दीप नारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, इस बजट के सिलसिले में मेरा निश्चित मत है कि इससे किसानों और मजदूरों का भला होगा और प्रदेश के खुशहाली आयेगी।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह सारा का सारा "आशा, कर्ज और निगमों" के ढांचे पर रखा गया है। हमारी ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसमें भी बहुत कम बातें कही गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।

श्री नियाज हसन खां--

इस समय मैं बजट के विवरण में न जाकर में गवर्नमेंट आफ इन्डिया के आडिटर जनरल की वर्ष 1972-73 की जो रिपोर्ट है, उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। वह ही काफी है। पी0ए0सी0 की तो रिपोर्ट अभी आई नहीं है। आडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो लिखा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इससे ज्यादा फिजूलखर्ची, पानी की तरह से रुपये का बहाना, फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज या वित्तीय नियमों का उल्लघंन करने की कोई हद नहीं रह गई है

इस रिपोर्ट में पहली बात जो है कि वह कृषि उत्पादन के बढ़ाने की बात है जिसमें केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को करीब-करीब 36 करोड़ रुपया गल्ले की पैदावार को बढ़ाने के लिये दिया. गया था और यह आज्ञा की थी कि 33 लाख टन गल्ला ज्यादा पैदा किया जायगा, उसको घटा कर बाद में 25 लाख टन कर दिया गया और उस 25 के स्थान पर घट कर 1 लाख 18 हजार टन कर दिया गया। और वह भी यह सरकार पूरा नहीं कर पाई और जितना रुपया जिस चीज के लिये मिला था, उस पर खच नहीं किया। कई लाख रुपये की चीज ले ली गई, कई लाख रुपया यों ही बरबाद कर दिया गया।

आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रैश प्रोग्राम को ले लीजिये। उसके लिये जितना भी रुपया आया, करीव-करीब 22 करोड़, केन्द्र से प्राप्त हुआ। मैं बड़े अदब के साथ अपने माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस क्रैश प्रोग्राम के सिलसिले में कोई भी सड़क मुकम्ल हुई है, पूरी हुई है? मेरी दरख्वास्त है कि जो ऐतराज आडिटर जनरल नें अपनी रिपोर्ट में उठाये हैं, उनके बारे में जवाब देनें की कृपा करें। वह रुपया गटर्स में, नाली में पहुंचा दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि इस क्रेश-प्रोग्राम का मकसद यह भी था कि लोगों को रोजगार मिले, मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि कि उस पर भी रोशनी डालें। न तो काम बना और न लोगों को नौकरी ही मिली, काम बरवाद भी हो गथा।

[श्री नियाज हसन खां]

इसके आगे रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ जिले छांटे गये। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन जिलों में सड़कों पर मिट्टी पड़ी, किन-किन में कंक्रीट पड़ी और किन-किन में इन्टों द्वारा सीलिंग हुई। मौके पर देखने से पता चला कि काम ही नहीं हुआ है, शारदा सहायक। इनके ऊपर भी केन्द्र का रुपया आता है। इसका श्रीगणेश ही गलत हो गया। डिजाइन शुरू में ऐसा बना जिसके ऊपर 6 लाख रुपया खर्च हो गया।..फिर भागना पड़ा और भागने में 6 लाख रुपया और खर्च हो गया।

जो स्थिति इनके ट्यूब-वैल्स की है उसके ऊपर आडिटर जनरल की रिपोर्ट यह है कि लगभग 35 करोड़ रुपया सालाना इनको घाटा आ रहा है। और आगे देखें। इलाहाबाद में गंगा के ऊपर पुल बनाया जा रहा है जिसकी नींव 1968 में रखी गयी। उस पुल का भी श्रीगणेश गलत हुआ। रिपोर्ट कहती है कि 2.25 करोड़ रुपया 68 में ऊपरी खर्च हो गया और यह खर्च करने के बाद पता चला कि डिजाइन ही गलत बन गयी और गलत जगह बुनियाद डाली गयी। उसको बदलने के लिये 1.61 करोड़ रुपया और खर्च हो गया। तो यह सरकार किस घाट इस प्रान्त को ले जा रही है? मेरे हिसाब से पूरा फाइनेन्शियल ब्रेकडाउन है। तनख्वाह आप दे नहीं पा रहे हैं, आपके चेक जो आप ठेकेदारों को देते हैं वह बाउन्स कर के वापस आ रहे हैं। मार्च के महीने में तमाम पेमेन्ट आपने रोक दिया है। तो आपके पास है, क्या? एल0 आई0 सी0 से कर्जा, वर्ल्ड बैंक से कर्जा, और बैंक्स से कर्जा। कर्जे ही कर्जे पर आप चल रहे हैं और नतीजा यह है कि इन्फ्लेशन और रिसेशन, यानी गतिरोध और मुद्रा स्फीति के जाल में फंस गये। और कीमतों की कोई हद नहीं और बजट में अपनी तकरीर में आपने बहुत बड़ा महत्व बिजली पर दिया है और यह कहा है कि इस वक्त लगभग 1674 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। मैं बड़े अदब से इनसे अर्ज करना चाहता हूं कि कमी तो सही बोल दिया करें। इस वक्त 13-14 सौ मेआवाट के बीच में बिजली पैदा हो रही है। और वित्त मन्त्री जी 1674 मेगावाट बिजली की पैदावार बताते हैं। माना कि आप 1674 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन किस को मिल रही है? मेरे जिले में 26-26 घंटे बिजली नहीं आती। मालूम नहीं आप कहां दे रहे हैं? और आती भी है तो कोई उसका निशां नहीं, आयी और गयी।

फिर आपने आगे कहा कि हमने हिंडालको को 2 पैसे से बढ़ा कर 10 पैसे में बिजली कर दिया है और कहा है कि ओबरा की पैदावार की कीमत से दे रहे हैं। और किसान से? उसे बिजली मिले या न मिले 150 रुपये महीना उसे देना पड़ता है यह कहां का इन्साफ है। 33 पैसे यूनिट तो आप शहर में ले रहे हैं फिर जब आप 10 पैसे यूनिट हिन्डालको को दे रहे हैं तो किसान को उसी रेट पर क्यों न दें? और उस पर यह सितम चल रहा है कि यदि कोई 10 हार्स पावर को 5 हार्स पावर में तब्दील कराना चाहता है तो आप इजाजत नहीं देते हैं। आपका कहना है कि 400 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा होगी। इससे हम देहात को बिजली देंगें। मैं कहता हूं कि जो ज्यादा बिजली पैदा होगी उससे आप इस बिजली की कमी को ही पूरा नहीं कर सकेंगें, देहात को कहां से देंगें। आपको तो हिंडालको जैसे कारखाने वालों से कहना चाहिये कि तुम स्वयं अपने लिये बिजली पैदा करो। उन्हें तो आप 10 पैसे में बिजली देंगे और जनता को 33 पैसे में, यह ठीक बात नहीं है। वित्त मन्त्री जी ने बताया कि बिजली उत्पादन पर इस साल 181 करोड़ रुपया खर्च होगा, और कर्जा से 102 करोड़ रुपये लिये जायेंगे, इतना होने पर बिजली कहीं पैदा होगी, यह आशा दिलायी गयी है। मैं पूछता हूं कि इस आशा पर कब तक यह प्रान्त चलता रहेगा? अगर कर्जा न मिला तो क्या होगा? आज पीने के पानी के लिये भी आप विश्व बैंक से कर्जा मांग रहे हैं, उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। आशा के विपरीत अगर लोन न मिला तो क्या होगा? इस प्रदेश का भविष्य इस सरकार के हाथों में बिल्कुल काला हो गया है।

सिंचाई पर सरकार ने बहुत जोर दिया है। आडिटर जनरल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं में कितना घोटाला हुआ है। मौजूदा हालत यह है कि जितना पैसा शारदा सहायक योजना को दिया गया है खर्च के लिये उसका आधा पैसा तो लोग लूट कर खा गये हैं। जब आधा पैसा लूट कर खा गये हैं तो नहर बनेगी कहां से? प्रतापगढ़ जिले में तो एक इंच भी काम नहीं हुआ है और रुपया खर्च काफी हो गया है।

मान्यवर, एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ सितम यह है कि लेवी लगा दी गयी है। लेवी से सत्तारूढ़ दल तक के लोग परेशान हैं। हमारे जिले में तो जाड़ों में बरसात भी नहीं हुई है। नहर में भी पानी नहीं दिया गया। बिजली भी नहीं दी गयी। काश्तकार कहां से लेवी देगा? जिन इलाकों में फसल बरबाद हुई है, ओला पड़ा है। बरसात नहीं हुई है, वहां लेवी नहीं लगानी चाहिये। हमारा दल तो लेवी के बिलकुल विरोध में है।

शारदा सहायक योजना की जो प्रगति है उसको देखते हुये बाराबंकी जिले में हमारे जिले तक नहर पहुंचते पहुंचते 5 साल लग जायेंगे। आज भी मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे असलियत बिलकुल दूर है। उपाध्यक्ष महोदय, अब आप देखें कि इस वक्त पैसे की तो इतनी कमी है, सरकार के पास है ही नहीं और बर्ड्स सेंचुअरी के ऊपर 44 लाख रुपया खर्च किया जायेगा। तो मैं बड़े अदब से माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस 44 लाख रुपये से कम से कम 10 पम्प कैनाल तो बना ही सकते थे, इसमें एक दो साल और पिछड़ सकते थे, इसको टाल सकते थे और खास तौर से नवाबगंज तालाब को देखने कौन जायेगा? आप इस 44 लाख रुपये को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कम से कम वही रुपया पम्प कैनाल और ट्यूबवैल्स में लगाते। क्या आवश्यकता थी, इस साल अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये आपके पास पैसे नहीं है फिर क्यों 44 लाख रुपये की बर्ड्स सेंचुअरी में लगा रहे हैं?

इस साल के बजट में सड़कों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मैं बड़े अदब से माननीय वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बजट में सड़कों के निर्माण का कोई जिक्र क्यों नहीं है? दाल में जैसे नमक हो तो बात दूसरी है। अब मैं एक सड़क की चर्चा करना चाहता हूं। आज कल प्रधान मन्त्री की ज्यादा चर्चा है तो उन्हीं के क्षेत्र की एक सड़क है, जो जगतपुर-ऊंचाहार होते हुये इलाहाबाद-उन्नाव रोड को मिलाती है। 4 साल से उसके ऊपर डामर इकट्ठा है। एक तरफ छोटी गिट्टी, बड़ी गिट्टी इकट्ठी है, ईंटों की लाल गिट्टी इकट्ठी है और वे उठती चलीं जा रही हैं। उस सड़क के बन जाने से इलाहाबाद-लखनऊ का फासला 20 मील कम हो जाता है। 7 साल से सामान जमा हुआ है, कभी एकाध फर्लांग या एकाध मील बन गयी, उसके बाद सड़क बनने का नाम ही नहीं है। इस साल तो आपके बजट में सड़क निर्माण का कोई नाम ही नहीं है। इस तरह से हमारे जिले में—दुर्भाग्य की बात यह है कि कुंडा तहसील जो प्रतापगढ़ जिले की है, 27 साल के बाद भी यह महत्वपूर्ण सड़क जो कि सदर से यानी जिले से तहसील को मिलाती है आज तक उसको बनाने का नाम नहीं लिया गया है। लोगों के घरों की सड़कें वहां बन गयीं लेकिन जो जिले से तहसील को मिलाने वाली सड़क है। उसका कोई नाम नहीं है। हो क्या रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, जितना भी खर्च उस सड़क के बनाने में लगेगा उतना ही टी० ए० में सरकारी कर्मचारियों ने लिया है। वे सब इलाहाबाद हो कर आते हैं और एक साल में जितना खर्चा इनके टी० ए० वगैरह पर होता है उतने ही में वह सड़क बन सकती है। लेकिन माननीय मन्त्री जी माफ करेंगे, उनका तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है। न मालूम किस जाल में वे फंसे रह गये हैं कि नौबत यहां तक आ गयी है कि यह सरकार प्रेस्टीज सरकार बैंकरप्ट हो गयी है और इसमें कोई क्षमता ही नहीं रह गयी है काम करने की।

[श्री नियाज हसन खां]

आगे चल कर बेरोजगारी को दूर करने की बात कही गयी है। इनका कहना है कि क्रैश प्रोग्राम के जरिये रोजगार को बढ़ाना चाहते थे। अभी उस दिन इस सदन में चर्चा हुई थी कि पी० डब्ल्यू० डी० के 10 हजार आदमियों को निकाल दिया गया है, उनमें से अब तक एक व्यक्ति को भी फिर से मुलाजिमत में आपने नहीं लिया। इसी तरह से सिंचाई विभाग की बात है। इस सिलसिले में बाराबंकी में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है, लोग जेलों में बन्द हैं। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 साल से सर्विस में थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 साल से सर्विस में थे। आपने सबको एक ही डन्डे से हांक दिया। इससे तो बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। कारण यह है कि जो लोग सरकार के साथ लगे हुये थे उनको भी सरकार ने निकालना शुरू कर दिया है तो नये आदमियों के लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी इशारा किया था कि 30 करोड़ रुपये वित्त मन्त्री जी ने गांवों में पानी पीने के लिये, इन्तजाम करने के लिये रखा है और उसके साथ यह भी कह दिया है कि अगर वर्ल्ड बैंक से लोन मिला तो यह काम होगा। तो यह काम तो होगा नहीं, किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। इसी तरह से आप देखें, बुनकर बेचारे आजकल बहुत परेशान हैं। उनकी चर्चा इसमें नहीं की गयी है। उनको सूत नहीं मिलता, उनको बिजली नहीं मिलती है, इस तरह से उनमें रोज बेकारी बढ़ती जा रही है।

हमारे वित्त मन्त्री जी ने बताया कि उद्योगों के सिलसिले में ....

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स वाला चैप्टर आप पढ़ लें। संस्थागत वित्त जो है, उसमें देखें।

श्री नियाज हसन खां--

वह तो मैं पढ़ ही रहा हूं पर जो आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़कर सुना रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के सिलसिले में कहा गया है कि 68 लाइसेंस दिये गये और 60 लेटर आफ इटेंट्स दिये गये। 180 करोड़ रुपयों की लागत के कारखाने खोलेंगे। मैं आपसे अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि कितने कारखाने लगेंगे। कहां-कहां लगेंगे। कहना तो आसान है कि इतने लाइसेंस दिये गये और 180 करोड़ के कारखाने लगे। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में एक भी कारखाना आज 27 साल से नहीं लगा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि 68 लाइसेन्स जो दिये गये और जो 60 लेटर आफ इन्टेन्ट्स दिये गये वह कहां गये? हाल यह है कि बिजली न मिलने की वजह से आज हमारे प्रदेश के कारखाने दूसरे प्रान्तों को चले जा रहे हैं।

अब आप देखें, उपाध्यक्ष महोदय, इन्फ्लेशन और रिसेसन है, मुद्रा की दिक्कत है, मन्त्री जी ने यह बात खुद कही कि दुनिया भर के सामने आज आर्थिक संकट है। केन्द्र सरकार भी यही कहती है। मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि, इस सिलसिले में भारत के इकोनोमिस्टों ने एक मेमोरेन्डम प्रधान मन्त्री को दिया था। उसमें बताया गया है कि देश में इन्फ्लेशन और रिसेसन को कैसे रोका जा सकता है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि वह मेमोरेन्डम जिसको 'सेमी बाम्बला' कहते हैं अगर माननीय वित्त मन्त्री जी देखने की कृपा करेंगे और इस पर 25 फीसदी भी अमल करेंगे तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन और रिसेसन में काफी कमी आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप देखें ला-एन्ड-आर्डर की क्या हालत है, ...

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप मान्यवर, क्या सेमी बाम्बला के मेजर्स का समर्थन करते हैं?

श्री नियाज हसन खां––

मैंने यह नहीं कहा कि आप उस पूरे नुस्खे को पी जायं। जो अच्छी बातें हैं उन पर अमल करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेमी बाम्बला के महत्व की बात कही है। यह बात सही है। अगर वह सेमी बाम्बला के ऊपर सुझाव दें और यह बतायें कि यह-यह प्वाइन्ट्स महत्वपूर्ण हैं तो कृपा होगी।

श्री नियाज हसन खां––

अगर आप बुलायेंगे तो जरूर राय देंगे। सदन में इतनी बड़ी रिपोर्ट तो मैं दे नहीं सकता।

तो मैं ला-एन्ड-आर्डर के सिलसिले में कह रहा था। और इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोबेशन, नशाबन्दी की बात की जाती है। मेरठ को ले लें। अगर 80 लाख रुपये की पिछले साल दूकानों की नीलामी हुयी थी तो उपाध्यक्ष महोदय, अबकी 1 करोड़ 20 लाख की नीलामी हुयी है। इस तरीके से आप देखें कि हर जिले में शराब की चीजों की जो नीलाम किया गया है उससे सरकार ने कितने जरायम बढ़ा दिये हैं। नया थाना इसलिये खोला जाता है कि उस हल्के में जरायम कम हों। लेकिन नये थाने खुलने के बावजूद जरायम बढ़ गये और एक-एक रात में 7-7- डकैती और दो-दो कत्ल हो। तो ला-ऐन्ड-आर्डर की व्यवस्था मान्यवर, नहीं रह गयी है। ऐसी हालत में, सुरक्षा का प्रश्न नहीं उठता है। हमारा जिला पिछड़ा है, वहां पैदावार कम होती है। रायबरेली से प्रतापगढ़ गल्ला जाता है। सरहद के ऊपर थाना है ऊंचाहार लेकिन, रायबरेली से प्रतापगढ़ गल्ला जाने की छूट है। यह छूट गेहूं पर है। सरहद के थाने में फी ट्रक दरोगा और पुलिस वाले 5 हजार रुपये लेते हैं। इस प्रकार एक रात में लगभग 7 ट्रकें रोकी जाती हैं और उससे 35 हजार रुपये की आमदनी करते हैं। तो इस प्रकार हम किस घाट लगेंगे, पता नहीं? मैं अरज करना चाहता हूं कि इस प्रकार इस सरकार के सामने तमाम सवाल हैं जैसे ला-ऐन्ड-आर्डर का सवाल, बेरोजगारी, बिजली न मिलना और नहरों में पानी न मिलना आदि।

इसके अलावा अभी तक लेवी की कीमत निर्धारित नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि पहले तो लेवी लगना ही नहीं चाहिये क्योंकि इससे तहसीलों में भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जायेंगे। फिर यह कौन तय करेगा कि एक एकड़ में कितना पैदा हुआ कितना देना है? यदि यह तहसीलों में तय किया जायेगा तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दूसरे यदि लेवी लगी तो 105 रुपये प्रति क्विन्टल गैर मुनासिब है। इसके लिये एक मापदन्ड होना चाहिये। जैसे कि सरकार के फार्म पर कितना खर्च होता है और कितनी पैदावार होती है और उसी पैमाने को ले लें। लेकिन हमारी बात आप मानेंगे नहीं। यदि तहसीलों में तय किया जायेगा तो जहां पैदा नहीं हुआ उस पर भी लेवी लगा देंगे और उससे परेशानियां बढ़ेंगी। यदि लेवी लगावें तो कम से कम 130 रुपये प्रति क्विन्टल रखें। यह बजट जो वित्त मन्त्री जी लाये हैं वह किसानों की कमर तोड़ने वाला है क्योंकि बिजली नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगी बारिस नहीं हुई लेकिन आप लेवी लगायेंगे तो इसके माने हैं कि आप आग को भड़कायेंगे। इसलिये इस पर सरकार ध्यान अवश्य दे।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया)––

मान्यवर मैं वित्त मंत्री जी के भाषण का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं––कुछ शिकायत के साथ। समर्थन करने के लिये आधार है––लेनिन ने कहा था कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र]

इलेक्ट्रिसिटी+सोवियत=सोवियत सोशलिज्म। हमारी कांग्रेस पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है। मैं यह समझता हूं कि जहां विश्व के सामने वित्तीय संकट है हमारे देश के सामने भी वित्तीय संकट है और वही स्थिति हमारे प्रदेश की भी है। इस स्थिति में भी कोई नया कर लगाये बिना जो बजट सामने है उसमें 181.75 करोड़ बिजली, 70.70 करोड़ सिंचाई, पर और 50.38 करोड़ रुपया कृषि के लिये रखा है। इस प्रकार 302 करोड़ रुपया बिजली पानी और कृषि पर खर्च करने का विचार है। इसका मतलब है कि हमारी सरकार इन चीजों को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के विकास के लिये कृषि का महत्व है। 85 फीसदी लोग जहां गांव में रहते हैं और खेती पर जिनका जीवन निर्भर करता है और जहां खेती एक मुख्य उद्योग बन गया है सरकार ने उसमें और मदद पहुंचाने की गरज से इतनी बड़ी रकम इस क्षेत्र में दी है, यह एक सराहनीय चीज है।

इसी प्रकार बिजली भी मुख्य चीज है क्योंकि बिजली के द्वारा खेती को फायदा पहुंचाया जा सकता है और उद्योगों को बिजली देकर उनका उत्पादन बढ़ाकर हम अपना विकास कर सकते हैं। इसलिये बिजली की अहमियत भी अपनी जगह पर है। लेकिन इसी के साथ आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बिजली विभाग में जितना करप्शन, बेईमानी और लूट है उसकी सभी को जानकारी है। उस लूट को रोकने के लिये हमारी सरकार कोशिश कर रही है लेकिन उसे कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है। यह पैसा जो हम उनको दे रहे हैं इसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक खाली पैसा देने मात्र से ही विकास नहीं हो जायगा। मुझे निश्चित सूचना है कि हमारे जिले में जो बिजली के तांबे के तार लगे हुये थे चूंकि चोरी काफी बढ़ गयी थी इसलिये उसको हटाकर एलमोनियम के तार लगाये गये। लेकिन तांबे के तार हटाने और उनकी जगह एलमोनियम के तार लगाने में बहुत घपला हुआ। इसमें यह हुआ कि मान लीजिये ए से बी की दूरी का तार निकाला। अब अगर ए और बी के बीच में एक्स है तो जब दुबारा तार लगाया और बिल बनाया तो पहले तो एक बिल ए से बी की दूरी का बना और दूसरा बिल एक्स से बी की दूरी का बना दिया। मतलब यह कि अगर 1 हजार मील की दूरी है तो डेढ़ हजार मील की दूरी का बिल बना जो कि कागजों की जांच करने से साफ हो जायगा। इसी प्रकार से अगर चार नम्बर का तार उतारा तो आठ नम्बर का तार घोषित किया। चार नम्बर का तार मोटा होता है और आठ नम्बर का तार पतला होता है। चार नम्बर का तार उतार कर आठ नम्बर का तार घोषित करना, इसका मतलब है कि आधा तार बेच दिया। इस प्रकार लाखों रुपये का गबन है। इस पर नियन्त्रण रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

जहां तक सिंचाई का सवाल है ? मैं बजट के पृष्ठ 6 पर आपका ध्यान आकृष्ट करुंगा। यह देखकर मुझे निराशा हुई और खेद भी। आपको याद होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो कि बहुत पिछड़े हुये थे, उनके विकास के लिये पटेल आयोग बना था और उसने जांच करके अपनी रिपोर्ट भी दी थी। माननीय चौधरी चरण सिंह उस समय मुख्य मन्त्री थे, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं किया। पता नहीं क्यों ? चौधरी साहब को पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रेम नहीं है जितना कि होना चाहिये। यह आरोप मैं इसलिये लगा रहा हूं क्योंकि पटेल आयोग की रिकमेन्डेशन को क्रियान्वित करने का समय जब आया तो माननीय चौधरी साहब ही मुख्य मन्त्री थे।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

चौधरी साहब से पहले तो कमलापति त्रिपाठी की सरकार रही, उसने क्यों नहीं उसको पूर्वी जिलों के लिये लागू किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात आप अपने भाषण के समय कहें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि देवरिया जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी प्रगति हो गई है कि आज देवरिया जिले को उस लिस्ट में नहीं रखा जा रहा है। बजट भाषण के पृष्ठ 6 पर जहां लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 जिलों को लिया गया है उनमें गोरखपुर डिवीजन के और जिले जैसे गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ साथ ही बलिया और जौनपुर आदि और जिले शामिल किये गये हैं, तो देवरिया जिला क्यों छोड़ दिया गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह सवाल अपनी जगह पर है। इसका उत्तर यह आ सकता है कि वहां पर गन्डक नहर है। लेकिन गन्डक नहर तो आजमगढ़ और गोरखपुर में भी है या अन्य जिलों में भी है जहां उससे सिंचाई होती है, फिर देवरिया को क्यों छोड़ दिया गया। देवरिया जिला दो भागो में बंटा हुआ है--एक उत्तर क्षेत्र जो नहर के अन्तर्गत आता है और दूसरी दक्षिणी क्षेत्र जो नहर में नहीं है। मान्यवर, पिछले साल 10 ट्यूबवेल हमारे जिले के लिये स्वीकृत हुये थे। लेकिन बाद में कटौती करके 5 ही कर दिये, लेकिन उन ट्यूववेलों में से केवल 3 ट्यूबवेल ही गड़े और वह भी किसी व्यक्ति विशेष के क्षेत्र में और ब्लाक में, जहां नहर से भी पानी मिल सकता था।

एक सदस्य--

कृपया नाम बता दें.

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न न करें। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के क्षेत्र के लिये ही सिंचाई की बात है तो मैं सूचित करता हूं कि आधा जिला देवरिया का पानी के लिये परेशान है।

इसके बाद मान्यवर, आप देखें कि इस बजट को देखने के बाद चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात आती है जो सरकार के विचाराधीन था, तो यह मालूम होता है कि सरकार की नियत इसके राष्ट्रीयकरण की नहीं है। इसका अफसोस है। लेकिन मान्यवर, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ओर जहां सूखाग्रस्त जिलों के लिये निश्चित रकम का प्राविधान किया गया है, वहां दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो हर साल बाढ़ की वजह से परेशान होते हैं, उनको छोड़ दिया गया है। करोड़ों लोग हर साल तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति प्रभावित होती है, लेकिन इस बजट में कोई उनके लिये व्यवस्था नहीं की गई है कि उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बचाने के लिये क्या कोई योजना सरकार बनाने जा रही है कि नहीं। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये था। सूखे का प्रश्न है और बाढ़ का प्रश्न भी हमारे सामने है। लोक सभा के सदस्य यह महसूस करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बाढग्रस्त है। उसके लिये स्थायी व्यवस्था की जाय, इस पर सरकार को सोचना चाहिये। खेद है कि उसके लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

खाद्य विभाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि किसान गन्ना पैदा करता है लेकिन जहां तक चीनी के वितरण का सवाल है किसान को चीनी नहीं मिल पाती है। शहर के लोगों को ही चीनी मिलती है। शहर में राशन की दूकानों पर फर्जी यूनिट इतने बढ़ा दिये गये हैं जिससे दूकानदार को ब्लैक करने का मौका होता है। बरहज क्षेत्र में 2800 यूनिट पहले थे लेकिन तहसीलदार ने जब जांच कराई तो कर्मचारियों ने दो रुपये

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र]

पर यूनिट नाजायज पैसा ले कर उन 2800 यूनिट्स को 3200 यूनिट बना दिया। अक्तूबर के महीने में जब सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने जांच कराई और सरकारी कर्मचारियों ने उसे वेरिफाई किया तब 10 हजार यूनिट फर्जी पाये गये। इसका मतलब यह हुआ कि 10 हजार यूनिट्स पर जो चीनी कानूनी ढंग से दी जाती थी, वह सब इस छोटे से कस्बे में ब्लैक में चली जाती थी। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि वितरण व्यवस्था पर उचित कन्ट्रोल रखा जाय तो लाखों बोरी चीनी जो ब्लैक में चली जाती है वह बच जायेगी और किसान जो गन्ना पैदा करने वाला है उसे चीनी नहीं मिल पाती है उसे भी सरकार चीनी दे सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

चौधरी मुलतान सिंह यादव (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि प्रस्तुत बजट पर मैं जो भी अपने विचार प्रकट करूंगा उनको न तो कोई सुनेगा ही और न उन पर कोई कार्यवाही ही होगी। लेकिन यह एक परम्परा सी चली आ रही है कि बजट पर कुछ कहना पड़ता है। इस देश में आज 27 साल हो गये यह कहते हुए कि बिजली आयेगी, पानी आयेगा लेकिन सही बात यह है कि इस देश के कर्णधार कुछ नहीं ला सके। उनको न तो कोई जानकारी थी और फिर वे किसान विरोधी भी थे। उनकी नीति हमेशा किसान विरोधी रही। किसान को हमेशा नीचे गिराने की उन्होंने कोशिश की।

जहां तक खेती का सम्बन्ध है दोनों तरफ के आदमी यह कहते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकार ने खेती की उन्नति के लिये कोई कदम नहीं उठाया और यह देश भूखा मर रहा है। देश में 89 परसेंट आदमी जो सर्विस में है वह शहर का रहने वाला है और 11 परसेंट आदमी केवल ऐसा है जो देहात का है। सही बात यह है कि कृषि, सिंचाई जैसे महकमे में भी शहरी आदमी भरे हुये हैं और देहात का आदमी नहीं रखा जाता है। आज प्रदेश में 90 प्रतिशत आदमी नौकरी में ऐसा है जो खेती के बारे में जानता तक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार कहती है कि वह लेवी लगायेगी। वैसे तो यह ठीक है लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया यह किसान विरोधी सरकार है लिहाजा यह अमेरिका का गेहूं तो पौने दो सौ रुपये कुन्टल पर लेती है लेकिन प्रदेश के किसान का गेहूं केवल 105 रुपये कुन्टल पर लिया जाता है। खेती हम करें, पैदा हम करें और भाव जगजीवन राम, दिल्ली में बैठकर करें। देश में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका भाव पैदा करने वाला न करता हो। लेकिन बदकिस्मती है किसान की, कि उसकी उपज का भाव तय करने वाला दिल्ली में बैठा है या शायद रूस में होगा कम्युनिज्म वाला। जिनके बापदादों ने खेती नहीं की, वे आज भाव तय करें जिनको यह भी मालूम नहीं कि बाजरे की बाल कैसी होती है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि खाद के दाम बढ़ गये, सिंचाई के दाम दूने हो गये और भाव पांच के पांच ही है। मजदूरी की भी कीमत बढ़ गई तो भाव 105 रुपये ही रखने का क्या सवाल आता है? सीधे यह कहो कि इनको मारना है और सस्ता खिलाना है। 105 रुपये में लेकर 131 और बल्कि 206 रुपये बेच रहे हैं। तो क्या आपने यह प्राफिट कमाने का काम ले रखा है। आप कहते हैं कि इतना खर्च बढ़ गया है और 31 रुपये क्विन्टल का खर्च बढ़ गया है। जब आपका ही 31 रुपये क्विन्टल का खर्च आ रहा है, तो किसान का कितना आ रहा होगा? उपाध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि यह सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। 27 वर्षों में बेकारी, भुखमरी बेरोजगारी इस देश में फैलती ही रही। आपने क्या किया? जहां तक आंकड़ों का सवाल है 60 अरब रुपये का गल्ला अब तक आप बाहर से मंगा चुके है, 21 अरब रुपये की रुई मंगा चुके है, 4 अरब रुपये की खाद मंगा चुके हैं। यही रुपया अगर देश के किसानों को उपज बढ़ाने के लिये पानी, बिजली आदि के लिये, उन्हें दिया गया होता तो आज देश की

यह दुर्दशा न होती और यह देश भिखमंगा न होता। लेकिन आपको तो इन्हें मारना ही है। बाहर हम दो सौ रुपये क्विन्टल देते हैं किन्तु यहां 105 रुपये ही देंगे। मैं समझता हूं और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग दुर्योधन की सभा में जैसे भीष्म पितामह चुप बैठे रहते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे ऐसे ही ये कांग्रेस के सदस्य, वैसे चुप बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, भीष्म पितामह पर उसका कलंक लगा था उसी तरह आप सब कांग्रेसी कलंकी होंगे, सरकार द्वारा जनता के ऊपर लेवी लगाकर, उसके जूठे टुकड़ों पर टिके हुये हैं। आप खड़े होकर अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते हैं। क्या आप ईमान से यह बात कह सकते हैं कि यही आपके दिल में है, कि 105 रुपये ही किसान को मिलने चाहिये ? यदि नहीं, तो सामने क्यों नहीं आते ?

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

आप इस सरकार के पिछले साल के कार्य देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप व्यवधान न पैदा करें। बोलने दें।

चौधरी मुलतान सिंह यादव—

दुर्योधन की सभा में जब चीर-हरण हो रहा था तो भीष्म पितामह गर्दन नीची किये देखते रहे और बाद में उनके ऊपर कलंक लगा। यही दशा आपकी भी रहेगी यदि आपने किसानों से लेवी ली तो।

दूसरी बात यह है कि बिजली मन्त्री तो उठ गये। 15 रुपये हार्स पावर तो आपने किसान पर फिक्स चार्ज कर ही दिया है जो कि एक साल का 1800 रुपये होता है और फिर लाइन का खर्च और ले रहें हैं, बत्ती के 6 रुपये अलग से ले रहे हैं तो आप यह बतायें कि क्या सहूलियत आपने किसान को दी और दो हजार अलग से देना पड़ेगा चाहे उसे बिजली साल भर तक मिले या न मिले। यह सरकार सरमायेदारों की है और किसान विरोधी है। एलमूनियम की फैक्टरी को दो पैसा यूनिट के हिसाब से देने का एग्रीमेंट किया और उसे अब थोड़ा बढ़ा दिया है और 10 पैसा कर दिया है। शर्म नहीं आती है कि बिरला को 10 पैसे यूनिट बिजली दें और किसानों को 27 पैसा यूनिट।

श्री उपाध्यक्ष —

आपका समय समाप्त हो रहा है। आप (श्री मुलायम सिंह) उनकी वकालत न करें।

चौधरी मुलतान सिंह यादव—

तो मैं कह रहा था कि बिरला को 10 पैसे और किसान को 27 पैसा। जहां तक सिंचाई का सवाल है जब आपके बम्बे में पानी नहीं आता है और नहर से या गूल से पानी ले लेते हैं उसी तरह अगर किसान पानी ले लेता है तो उस पर आप सिंचाई लगा रहे हैं। 30 साल से रो रहे हैं कि गूल खत्म कर दो तो क्यों नहीं करते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक किस्सा याद आ गया एक गांव का लड़का मथुरा का बूरा खाने के लिये ससुराल चला गया। तो उसको वहां साली मिली उसने कहा चलो जमुना नहा आयें जीजा कमजोर था और साली तगड़ी थी। उसने कहा कि पीठ पर बैठकर गोता लगाते हैं और वह उसकी पीठ पर बैठ गई क्योंकि वह भारी थी तो वह दब गया और उसके पेट में पानी भर गया और मर गया। तो साली कहती है जीजा हंसता तो है, क्योंकि उसका मुंह खुला था, लेकिन बोल नहीं रहा है। आज, मैं आपके मारफत कहना चाहता हूं कि यही हालत किसान की है, किसान जो है वह जीजा हैं और सरकार साली। यह सही बात है उसी तरह से सरकार भी आज कह रही है। एक अरब रुपया का टैक्स सरकार ने लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें ।

चौधरी मुलतान सिंह यादव—

सरकार ने 24 करोड़ रुपय का लगान बढ़ाया, 22 करोड़ बिजली में बढ़ाया और 4 करोड़ गन्ने में बढ़ाया और 50 करोड़ खाद में बढ़ाया तो इस प्रकार से एक अरब रुपये के टैक्स लगा दिये । फिर भाषण दे रहे हैं कि टैक्स नही लगा रहे हैं । यह सारे के सारे टैक्स जो हैं वही किसान दे रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, समय हो गया है ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरट)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिना कर लगाये ऐसे महान संसाधनों को जुटा कर 77 करोड़ 35 लाख के घाटे को पूरा करने की कोशिश की है और उसमें वह पूरा करने के बाद जो 19 करोड़ 35 लाख का रह गया है और उसे भी उन्हीं संसाधनों के द्वारा पूरा करने की बात कही है । यह एक महान व अच्छा प्रयास है ।

दूसरा मैं वित्त मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जितना भी कुल खर्च होना है वर्ष 1975-76 में उसमें से 3/4 के लगभग खर्च कृषि, बिजली और सिंचाई पर करने का व्रत लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है । (व्यवधान) मुलायम सिंह जी जरा दिल थाम कर सुनें, आप मुलायम ही हो कर बैठे रहें ।

जहां तक गेहूं की कीमत की बात है, वाकई बहुत कम है । इस बात का मैं समर्थन करता हूं । मैं जब अपने क्षेत्र में गया तो वहां किसानों ने बताया कि या तो सरकार खेती पर होने वाले व्यय के अनुसार कीमत बढ़ाये और यदि कीमत नही बढ़ाती है तो सरकार ऐसा करे कि एक पलड़े में गेहूं रखे और एक पलड़े में खाद रखें और हमसे गेहूं ले खाद के बराबर के वजन का ही । इस तरह से हम गेहूं देने के लिये तैयार हैं । जब सरकार गेहूं के बराबर खाद नहीं दे सकती है तो फिर गेहूं की कीमत बढ़ाये । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले में केन्द्र से लड़ना पड़े तो लड़ने में न हिचकें उसके लिये प्रयास करें और गेहूं की कीमत जरूर बढ़ायें । क्योंकि किसान को बिजली, खाद और सिंचाई में बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है । जिसके कारण किसानों की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है मैंने पिछली बार भी बजट पर बोलते हुये यह कहा था कि यदि सरकार आबकारी कर पर जागरुकता बरते तो इसी आबकारी कर से ही आमदनी काफी बढ़ेगी । परन्तु सरकार ने उसमें थोड़ी जागरुकता दिखाई जरूर पर सरकार ने थोड़ी सी ही जागरुकता दिखाई अगर पूरी जागरुकता दिखाई होती तो दो से ढाई गुना उसकी बोली और बढ़ गई होती । गाजियाबाद का शराब का ठेका इस साल साढ़े 22 लाख में नीलाम हुआ है, यदि यह जल्दी न छोड़ दिया जाता तो वह 40-45 लाख तक पहुंच सकता था, जबकि यह पिछले साल केवल 6 लाख में नीलाम हुआ था । इसी तरह प्रान्त के अन्य अंचलों में बहुत ज्यादा बोलियां पहुंचती अर्थात् जितने में प्रदेश के तमाम ठेके नीलाम हुए हैं, उनमें अगर सावधानी बरती जाती तो इन शराब के ठेकों से ही तीन-चार गुना रकम वसूल हो सकती थी ।

अगर सरकार, सिंचाई, बिजली, उद्योग और निर्माण विभागों में निर्माण कार्य के लिये फर्जी खरीद व फालतू पुर्जों की इंतहा खरीद पर पाबन्दी लगा दें व कमीशन और ठेकेदार के मुनाफे को ही रोके तो कम से कम निर्माण पर व्यय होने वाली मद से 70 फीसदी

पैसा बच सकता है। विभागों के अधिकारियों का कमीशन बढ़ते-बढ़ते आज 50 फीसदी तक पहुंच गया है। हर निर्माण कार्य में जो कल-पुर्जे 100-100 साल तक इस्तेमाल में नहीं आते हैं। वे खरीद लिये जा ते हैं उन पर पूरी रोक लगाई जाय तथा अच्छी व कीमती मशीनें जो खराब कहकर नीलाम कर दी जाती हैं उन पर रोक लगा दें तो बहुत सा धन बच जाये। रद्दी के नाम पर अच्छी मशीनों की नीलामी, निर्माण कार्यों में कमीशन और फालतू पुर्जों की खरीद पर यदि यह सरकार रोक सख्ती से तो लगा दे तो प्रदेश को 100 करोड़ तक की बचत हो सकती है।

इसी तरह बिजली, बिक्री-कर और स्टाम्प-ड्यूटी की चोरी रोकी जाय और करों को ठीक-ठीक लगाया जाय और वसूला जाय तो 100 से 200 करोड़ रुपये तक की आय बढ़ सकती है। जहां-जहां शराब व बीयर बनती है, वहां पर एक तिहाई उत्पादन भी नहीं दिखाया जाता है, दो तिहाई से ज्यादा उत्पादन की चोरी होती है। यदि समस्त शराब व बीयर के उत्पादन को वहां से ठीक से रिकार्ड कराया जाय और सारे उत्पादन पर ठीक से कर वसूल किया जाय तो सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।

इस तरह से सरकारी नलकूप भी हैं जिनसे लगभग 10 करोड़ रुपये का घाटा प्रत्येक वर्ष रहता है। यदि इन नलकूपों को 5-10 साल के पट्टे पर किसानों को दे दिया जाय तो इससे घाटे के 10 करोड़ रुपये की तो बचत होगी ही साथ ही पट्टे पर नलकूपों को बेचने से भी सरकार को 1 से 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है अर्थात् इस तरह से सरकार को 11-12 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

प्रदेश भर में जो बसें चलती हैं, इनके लिये मेरा सुझाव यह है कि इनके रूट्स को नीलाम कर दिया जाया करे, इससे भी काफी आमदनी बढ़ेगी। गाजियाबाद से दिल्ली के बीच रूट की कीमत ढाई लाख रुपया है, गढ़ और दिल्ली के बीच कीमत 2 लाख है। और समस्त प्रदेश में कोई भी रूट या परमिट ऐसा नहीं है, जो 50-60 हजार रुपये से कम कीमती हो। यदि इन रूटों को नीलाम किया जाये तो बड़ी बचत हो सकती है।

सुधार मन्डल, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, भू-संरक्षण, हार्टीकल्चर और परिवार नियोजन आदि तमाम विभागों के निर्माण कार्य व खर्चे को अगर ध्यान से सख्ती के देखा जाय और उसके फलस्वरूप उनमें व्याप्त फिजूलखर्ची पर रोक लगा दी जाय तो इससे भी करोड़ों रुपयें का बचत की जा सकती है।

लखनऊ में विभागों व अधिकारियों की जितनी कारें फिजूल घूमती हैं, चाह सरकार की हो या अन्य, यदि उनके फिजूल घूमने पर रोक लगा दी जाय तो लाखों रुपया अकेले लखनऊ में बचाया जा सकता है और पूरे प्रदेश में कई करोड़ रुपये की बचत हो सकती है?

विरोधी नेताओं ने कहा कि कोई तरक्की नहीं हो रही है। आप देखें जैसा सांख्यकी डायरी, 1974 देखने से विदित है, जिसमें 1971-72 तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जन संख्या में—दोनों में 30-31 प्रतिशत लोग ही केवल आज काम करने के लायक हैं। बाकी सब निठल्ले बैठे हैं। जब तक ये निठल्ले रहेंगे तब तक देश में बेकारी, गरीबी और भुखमरी बनी रहेगी और प्रदेश के जन-जीवन का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। इसके ऊपर किसी विरोधी नेता ने चिन्ता प्रगट नहीं की। यदि इन सबको काम दे दिया जाये—चाहे लघु उद्योग में या बेकार परती पड़ी हुई जमीन को ही तोड़ कर दे दी जाय। अगर प्रत्येक गांव को सड़क और बिजली से जोड़ दिया जाय और खेतों को पानी से जोड़ दिया जाय तो इस प्रदेश में जो 50 प्रतिशत आदमी बेकार हैं उनको काम मिलेगा और बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जायगी। गांवों में जो 82 फीसदी आदमी बसते हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, कच्चे माल की पैदावार बढ़ेगी, जीवनोपयोगी वस्तुओं की पैदावार बढ़ेगी और प्रदेश में बसे जन जीवन का स्तर ऊपर उठेगा और

[श्री प्यारे लाल]

देश में खुशहाली बढ़ेगी। कहने को बहुत था लेकिन समय नहीं है। अब मैं अपने क्षेत्र की दो तीन बातें कह कर खत्म करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

वह पहले कहना चाहिये।

श्री प्यारे लाल--

मेरे यहां सुधार मंडल ने जो भी योजना बनायी वह अमीरों के फायदे के लिये योजना बनीं। प्लाट अमीरों को दिये और मकान बना कर भी धनाढ्य व्यक्तियों को ही दे दिया। जो मकान बनाये उनमें बीस हजार से कम का कोई मकान नहीं है। उनका किराया 70-80 रुपये से कम का नहीं है। वह औद्योगिक नगर है जिसमें आये दिन श्रमिक जा कर बसते हैं। श्रमिकों के रहने केलिये कोई मकान की व्यवस्था नहीं है। न सस्ते प्लाट ही बनाये गये हैं और न ही सस्ते मकान निर्मित किये गये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि गाजियाबाद में सस्ते प्लाट और सस्ते मकानों की व्यवस्था कराएं। गाजियाबाद प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने दस हजार मकानों का डिमालिशन के आदेश दे दिया है जिससे गरीब परेशान हैं। उनको नियमित कराया जाय। इसी तरह से गाजियाबाद के किसानों की जमीन अक्वायर की गयी। उसके लिये एक रुपया 44 पैसे मुआविजा दिया गया और जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दिया उनको 2 रुपये मुआविजा दिया गया। इस तरह से 56 पैसे जो कम दिया गया वह और 15 प्रतिशत जो पुनर्वास सरकार देती है वह सब जोड़कर किसानों को मिलना चाहिये। नैशनल हाईवेज (गाजियाबाद बाई पास) जो 310 फीट चौड़ी सड़क रखी गयी है। उसका दो रुपये प्रति बीघा, प्रति वर्ष के हिसाब से मिट्टी उठाने का मुआविजा रखा है जो बहुत थोड़ा है। यह कम से कम एक हजार पांच सौ रुपये बीघा होना चाहिये। तीन हजार रुपया उस जमीन का होना चाहिये जो सड़क के लिये ली गयी है, और जो मिट्टी ली गयी है उसका डेढ़ हजार रुपया प्रति बीघा होना चाहिये। और वह मुआविजा शीघ्र मिलना चाहिये क्योंकि मुआविजा न मिलने से किसानों की हालत गिरती जा रही है। इसके साथ एक और अपील करना चाहता हूं। गाजियाबाद नगर एक श्रमिक नगर है। उसमें श्रमिकों के रहने के लिये सस्ते मकानों की व्यवस्था नहीं की गयी है। श्रमिकों के लिये बडे पैमाने पर श्रमिक कालोनी बनायी जाय। यदि श्रमिकों के मकान की समस्या नहीं सुलझाई गयी तो गाजियाबाद में मकानों की समस्या को ले कर इतना बड़ा तूफान उठेगा, कि गाजियाबाद शायद जल कर भस्म हो जाय। और ये लपटें लखनऊ तक भी आयेंगी।

श्री उपाध्यक्ष-- - - -

आप समाप्त करें।

श्री प्यारे लाल--

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ विशेष समय में से समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, बजट आपका बहुत सुन्दर देखने में है, इतना सुन्दर है जिसका कोई ठिकाना नहीं लेकिन इस योजना में 27 साल हुए 27 साल से बजट पर बजट आये, केवल कागजी घुड़दौड़ है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप हर साल हरिजन बजट लाते हैं। उसमें इतना रुपये दे देते हैं। लेकिन उसका किस कदर दुरुपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे इलाके में ज्ञाना मजरा में हरिजन कालोनी में दो सौ मकान बना दिया। एक मकान पर दो हजार रुपया खर्च हुआ। मैं वहां जिलाधीश को ले कर गया। हरिजन वहां रहने के लिये तैयार नहीं हैं और मकान बने हुये हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से सरकारी रुपये का दुरुपयोग होता है। कुछ इन्जीनियर्स खा जाते हैं, कुछ दलाल खा जाते हैं और कुछ चमचे खा जाते हैं और सही जगह पर बहुत कम रुपया जाने दिया जाता है। बजट पर कागजी घुड़दौड़ होती है।

एक बात कहना चाहता हूं कि आज किसान और मजदूर करीब 85 परसेंट देहात में रहते हैं। सरकार कहती है कि सिचाई पर इतना रुपया लगा दिया, खाद पर इतना रुपया लगा दिया और बीज पर इतना रुपया लगा दिया लेकिन मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि आज नहरों का काम केवल कागज के ऊपर ही है। जिलेदार और इंजीनियर घर बैठे-बैठे ही सारा काम करते रहते हैं और काश्तकार जिससे जबरिया लगान लिया जाता है अगर वह 100 रुपया भी नहीं देता है तो उसको पकड़कर बन्द कर दिया जाता है।

दूसरा कार्यक्रम देखिये कि बिजली का कितना सुन्दर है। एक तरफ तो सरकार ने 15 रुपया प्रति हार्स पावर की फीस लगा दी है। बिजली की हालत यह है कि 10/15 दिन तक नहीं आती है। अगर आती भी है तो कभी घंटे भर को आई और कभी दो घंटे को आई। किसान का खेत तक नहीं भर पाता है और उसकी खेती सूखती है। वह सिंचाई से महरूम रह जाता है।

लेवी की बात रही है कि 105 रुपये प्रति क्विन्टल लगाई है। लेकिन क्या कभी यह भी देखा है कि किसान को पानी और बीज समय पर ठीक दाम पर मिल सके हैं। उसकी हद दी जा सकी है। हमारे यहां बड़े-बड़े फार्म्स लगे हुये हैं। लेकिन लेवी लगाने के कारण वह बन्द हो गये हैं। मजदूरों की हालत यह है कि वह बच्चों को लेकर इधर-उधर घूमते हैं। 100, 100 मील तक घूमते हैं लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिलता है। मैं सदन का ध्यान पंचायत की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने कहा है कि हमने हरिजनों को पंचायत की जमीन दे दी है।

(सदन में शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बहुत बात कर रहे हैं, गैर मुनासिब बात है।

श्री नन्द राम--

लेकिन अगर देखा जाये तो मालूम होगा कि खाली कागजी घोड़े दौड़ते हैं और एक बिस्वा जमीन हरिजनों को नहीं मिलती है। अगर कुछ जमीन होती भी है तो दूसरी बिरादरी के लोग नहीं लेने देते। मैं जिस जिले से आता हूं उसी जगह से माननीय नारायण सिंह जी आते हैं। एक भदोली गांव है। वहां हमने देखा कि 22 पट्टे हरिजनों के हुये आठ वर्ष हो गये लेकिन आज तक एक बिस्वा जमीन पर भी उनको कब्जा नहीं मिला। वैसे लोग कहते हैं कि हरिजनों को भूमि दी जाती है। आवास की भूमि है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हरिजनों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। जिस भूमि पर किसी हरिजन का कब्जा दस साल से है उस पर पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार रुपया लेकर उसका असलदरामद दूसरे के नाम कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि किसी को जमीन नहीं मिलती। दोनों कचहरी में लड़ते रहते हैं। इसी तरह से आपकी कोआपरेटिव सोसाइटीज में भी बड़ा भारी धोखा है। उसकी कोई इंतिहा नहीं है। लोग फर्जी कर्जा ले लेते हैं। लोग 5/10 हजार रुपया कर्जा ले लेते हैं और उनमें एक पैसे की वसूली नहीं होती है।

लघु उद्योगों की बात यह है कि आजादी को मिले हुये आज 27 साल हो गये हैं। लोग कहते हैं कि लघु उद्योगों के लिये श्रमिक को पैसा मिलता है। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं मिलता है। आज बिचारे श्रमिक त्राहि-त्राहि कर रहे हैं न उसे पढ़ने-लिखने से रोजगार मिलता है। उद्योग-

[श्री नन्द राम]

बंधों की बात तो यह है कि किस मजदूर को आपने कर्जा दिया ? कर्जा भी मिलता है, अगर किसी के पास 10 बीघा–50 बीघा जमीन है, वही ले सकता है, न कहीं आपने ऐसा बैंक खोला है कि वह उससे कर्जा ले ले। एक तो आपने एक अध्यादेश जारी किया है कि जो नान–हरिजन ह उनको माफ नहीं किया जायगा। इतनी बड़ी मुसीबत आज है। अगर एक गरीब कोई हरिजन है, मजदूर है, और उसकी जवान लड़की है, एक पैसा भी उसको उधार शादी के लिये नहीं मिलता है। आज वह तंग और परेशान है।

श्री महावीर सिंह (जिला सहारनपुर)—

अरे नन्दराम जी आप बिलकुल झूठ बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने दीजिये।

श्री नन्दराम—

माननीय, परिवार नियोजन की बात कहते हैं। परिवार नियोजन जिसका होना है असल में उसका नहीं होता है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा चिकित्सा की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, आज अस्पताल जितने खुले हुए हैं आज वहां कोई भी गरीब बेचारा दवाई नहीं पाता है। जो वहां के दलाल हैं, या जो सरकार के कुछ थोड़े बहुत लगाव के लोग हैं, उनको दवा मिलती है। उपाध्यक्ष जी, एक मिनट मैं और लूंगा। ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। सहारनपुर जिले में लक्सर के पास एक सिदड़ गांव है, वहां पर पुलिस को बुलाकर एक लड़के को पत्थर पर रखकर मारा गया। माननीय, सिंचाई की बात का संबंध जहां तक है, सिंचाई के बारे में आप देख ही रहे हैं कि सिंचाई की हालत हमारे सामने क्या हो रही है, न बिजली, न पानी और न खाद ही मिलती है। कहां पर आज का मजदूर जायगा, कहां पर आज छोटे वर्ग का किसान जायगा ? चाहे हरिजन हो, चाहें काश्तकार हो, चाहें जो कोई हो, न बिजली है, न खाद है, न पानी है, आज यहां का मजदूर वर्ग बिलकुल तबाह है। जब सरकार ने 105 रु0 कुंटल गेहूं था और आज वही छोटा वर्ग पेट पर हाथ रखकर 300 रु0 कुंटल गेहूं खाकर जीविका चला रहा है।

श्री विद्याधर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष जी, इस 75 और 76 के बजट पर बोलने के लिये आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यू 75–76 के बजट के अनुसार हमारा व्यय लगभग 411 करोड़ 66 लाख रु0 का है। इसके साथ-साथ कृषि पर, बिजली पर और सिंचाई पर जहां तक हमारा लक्ष्य का सवाल है, समाजवादी समाज की रचना का प्रश्न है, उसे देखते हुये उत्पादन अत्यन्त आवश्यक है। उस उत्पादन को दृष्टि में रखकर हमारे कृषि प्रधान देश में कृषि, सिंचाई, बिजली पर बल देना बिलकुल ही स्वाभाविक है।

इतना ही नहीं हमने और धनराशि अन्य मदों में खर्च की है जैसे सड़क परिवहन वगैरह-वगैरह। इनको ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपने लक्ष्य को इसी दृष्टि में रखकर चला करेंगे और मैं प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जहां तक इसके कार्यान्वयन का प्रश्न है वह हमेशा से ढीला–ढाला रहा है। हमारी पिटी पिटाई लकीर पर चलने की आदत रही है। हमारे मुख्य मंत्री जी एक कमिटेड मुख्य मंत्री हैं। उन्होंने पूंजी और श्रम की थपेड़ों में अपनी ट्रेनिंग पायी है। विरोधी दल की ओर से उनके व्यक्तित्व से सम्बन्धित कुछ सवाल पूछे थे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बड़ी निर्भीकता और तत्परता के साथ उनका उत्तर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे एक कमिटेड मुख्य मंत्री को उत्तर देना चाहिये। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अपने मुख्य मंत्री से और उनकी जो टीम है और हम शासन में हैं और हम अपने विधायकों से कहना चाहते हैं कि अगर हम कमिटेड हैं तो काम आसानी से हो जायेगा।

उपाध्यक्ष जी बार बार कहा गया कि निर्बल और कमजोर वर्ग के बारे में और वीकर सेक्शन की बात की गयी और उनके साथ वादा किया गया है, लेकिन हम देखना चाहत हैं कि वीकर सेक्शन में कौन आता है। बात सही है कि जमाने से मेहनत करने वाले मजदूर जो बिना मेहनत के रह नहीं सकते हैं और मजदूरी ही उनका खजाना है। हमारे समाज के ठेकेदारों ने हरिजन का नाम उसको दिया है। वह छू नहीं सकता है वह उसके काबिल नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कुनबा है। कुछ लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं जैसे बढ़ई, लुहार, नाई आदि। इनके उत्थान की ओर इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। यह पिछड़ा हुआ वर्ग है लेकिन समाज के लिये बहुत उपयोगी है। इनकी हालत उसी तरह से है जिस तरह की पहले थी, शासन ने इस वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। नाई के ललाट में उसका रोजगार लिखा हुआ है। अगर वह आन्दोलन करता है तो समाज में जगह–जगह उस पर मार पड़ती है। जब उसकी आमदनी का जरिया खत्म होता है तो वह उठ नहीं पाता है। इतना ही नहीं जब खेती को उद्योग का रूप दे रहे हैं। खाद, पानी और बिजली के आधार पर उसका विकास किया जा रहा है तो उस पर आधारित रहने वाले लुहार, बढ़ई आदि की दशा खराब होती जाती है। धोबी, कुम्हार तो बिलकुल मिट ही गये हैं। उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। हरिजनों के लिये भूमि देने का प्राविधान है लेकिन हम देखते हैं कि उनको भूमि वास्तव में मिल नहीं पाती है। चकबन्दी में आबादी के लिये स्थान छोड़ा गया है वह भी उनको मिल नहीं पाता है। उनको जमीन मिल नहीं पाती है। आप मल्लाह को ले लीजिए। उसके पास अपना कुछ नहीं है। वह मेहनतकश मजदूर की श्रेणी में आता है जो दरिया के किनारे रहता है जो जमीन बनती है और उससे निकलती है उससे भी वह वंचित रह जाता है। चाहे झूसी का मल्लाह हो या अन्य कहीं का मल्लाह हो उनकी चारों तरफ बस्तियां हैं। हरिजनों और उनमें केवल फर्क इतना ही है कि वे अछूत नहीं हैं। हरिजनों के साथ और भी लोग हैं जो अल्प संख्यक हैं उनकी दशा भी बहुत खराब है। जैसे केवट पाल जाति के लोग हैं, ये लोग अल्प संख्यक हैं। इनकी भी हालत अच्छी नहीं है।

आप यह देखें कि इस वर्ग के 95 फीसदी लोग जो हैं उनकी हालत बहुत खराब है। हम यह चाहते हैं कि हरिजनों की कोटि में इन लोगों को भी रखा जाये और उनको वही सुविधायें दी जायें जिससे कि उनका भी उत्थान हो सके और समाज में उनकी इज्जत हो सके. हरिजनों, अल्प संख्यकों, प्रजा वर्ग और मुसलमानों को पूरा कर पूरा सहयोग देना चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि हमने कुछ कमिटमेंट किए हैं। लेकिन हमारी कमिटेड लोगों की टीम नहीं बन पायी है। आज हम देखते हैं कि अफसर शाही सब पर डामिनेट कर रही है। नेता जो कहते हैं वह होता नहीं है। अफसर और लीडर मिल जाते हैं। मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मिलना चाहिये। लेकिन मेरा कहना है कि गरीब जनता के हित में मिलना चाहिये लेकिन वे अपनी शान शौकत के लिये मिलते हैं। वे जनता को भूल जाते हैं। हमें अपने कमिटमेंट के साथ आगे चलना चाहिये। हमें रोजी-रोटी के सवाल को आगे रखना चाहिये लेकिन धर्म उसमें बाधक बन जाता है। हमारे नेता कहीं कुन्डलियों मे फंस जाते हैं, कहीं हस्तरेखा देखते हैं और वे राशिफल में फंस जाते हैं। इस तरह की चीजें हमारे विकास में बाधक है ऐसे लोग देव मंदिरों में जाते हैं और सरकार का तमाम रुपया खर्च होता है। एक बात मुझे पसन्द लगी कि विरोधी दल की ओर से यह मांग आयी थी कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ ? तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो कहा, वह बहुत सन्तोषजनक उत्तर नहीं था। उनका कहना था कि हम इसको देख रहे हैं। उनके लिये खासतौर से प्राविजन होना चाहिये। समाजवादी समाज की रचना के लिये यह आवश्यक है कि वह नीचे के तबके को सहयोग प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव सम्पत्ति राम]

मान्यवर, प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहीं गई हैं जो पूर्णतया असत्य हैं। इस बजट में जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हरिजन जो सबसे शोषित, पीड़ित, दलित और गरीब हैं, उनकी राहत के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। आज तक इससे भी लम्बी चौड़ी बातें हरिजनों के लिये कही जा चुकी हैं जिनके फलस्वरूप उनकी सरे आम इज्जतें लुटाई जा रही हैं। उन्हें उजाड़ा जा रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं, उनकी बहू बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है। आज कांग्रेस के 28 वर्ष के शासन में हरिजनों की जो दुर्दशा हुई है, वह अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन में भी नहीं हुई थी। यहां तक कि हरिजन विधायकों के साथ भी विधायकों में समानता का दर्जा देने में कांग्रेस पूर्णतः असफल रही है। उदाहरणस्वरूप विधायक निवास में हरिजनों को पाखाने के पास के कमरों का आवंटन किया जाता है। इस सम्बन्ध में श्री श्रीनारायण जी का ज्वलंत उदाहरण है कि इस माननीय सदन में समस्या के उठाने पर तथा माननीय अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद अब तक उनके प्रति न तो न्याय ही किया गया है और न उनकी आवास की व्यवस्था ही की गई है। जिस प्रकार से हरिजनों के घर उजाड़ दिए जाते हैं, और सर्वस्व छीन लिया जाता है, और उन्हें खींचकर बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रकार हरिजन विधायक का सामान निकाल दिया गया और बाहर फेंक दिया गया। जहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी, जो हरिजनों के हृदय सम्राट हैं, गये दावत खाई और खुशियों में भाग लिया यह हमारी सरकार की हरिजन प्रिय नीति है। हम हरिजन लोगों को स्कूटर भी नहीं दिया जाता है। हरिजनों को स्कूटर पर चढ़ना उपयुक्त नहीं समझते हैं क्योंकि पुराने जमाने में कोई भी हरिजन गधे तथा भैंसे पर भी नहीं चढ़ सकता था तो कांग्रेस शासन में वह कैसे स्कूटर पर चढ़ेगा ?

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के हरिजनों की दुःख दर्द की व्यथा की कथा का वर्णन कहां तक करूं, उसके लिये न तो आप मान्यवर, उतना समय दे पावेंगे और मैं कहते-कहते थक भी जाऊंगा और तब भी व्यथाओं की कथा सुनाना असम्भव है। अब मैं उदाहरणस्वरूप अपने जिला निर्जामपुर के दुद्धी चुनाव क्षेत्र के जो हरिजन क्षेत्र है और जिस पर सदैव हमारे कांग्रेस विधायक जो हरिजन प्रिय हैं, हरिजनों की दुर्दशा को फूटी आंख से भी देखने का कभी कष्ट नहीं किया और मेरे बार-बार लिखने पर भी हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कोई ध्यान देने का कष्ट नहीं किया। मैंने जो माननीय मुख्य मंत्री को अपना दिनांक 3 मार्च का पत्र भेजा है, उसे पढ़ कर आपको सुनाये देता हूं।...

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने के बजाय आप उसका हवाला दे दें।

श्री शिव सम्पत्ति राम—

श्रीमन्, मैं उसे 10 मिनट में पढ़ दूंगा।

प्रिय बहुगुणा जी,

मुझे विधान सभा में आए, लगभग एक वर्ष हो रहा है। मैंने सरकार से अपने क्षेत्र की सुविधा हेतु कई बातों की मांग, समय-समय पर सरकार से की और 19-2-75 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर भी, निम्नांकित तथ्यों को रखा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन सब बातों पर ध्यान देकर दूर करना तो दूर रहा, आपने उसको कार्यवाही में भी दर्ज नहीं करने दिया।

अतः विवश होकर आपको पत्र लिख रहा हूं कि यदि सरकार 5-4-75 तक निम्नांकित मांगों को पूरा करने में उदासीन रहती है तो मुझे अपने क्षेत्र की जनता का आवाहन करना होगा, कि 6-4-75 से श्री जय प्रकाश बाबू के आन्दोलन का सहारा लें :—

(1) दुद्धी क्षेत्र में झारी खास, अनपरा, व नेवारी में सरकारी अस्पताल खोलने की,

(2) ओबरा से नेवारी भरहरी, ओबरा से रेणुकूट तक सड़क बनाये जाने की;

(3) ओबरा में रेग नदी पर कलवर्ट या पुल बनाने की,

(4) दुद्धी चुनाव क्षेत्र में सभी प्रारम्भिक प्रायमरी पाठशालाओं की इमारतें बनवाने की ,

(5) सम्पूर्ण क्षेत्र में पक्की सड़कों की व्यवस्था करने की,

(6) दुद्धी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने की,

(7) कनहर नदी पर दुद्धी में पुल बनाने की,

(8) सम्पूर्ण क्षेत्र में बंजर व जंगल को कागजात में सही दर्ज कराने की, जो मौके, पर जोते जाते हैं,

(9) दुद्धी राबर्ट्सगंज को मिलाकर जिला बनाने की,

(10) दुद्धी में बालिका इन्टर कालेज की स्थापना करने की,

(11) भूमि संरक्षण विभाग के फार्म 17 को शुद्ध कराने और शुद्ध न होने तक वसूली रोकने की,

(12) नेवारी, मेवरपुर ब्लाक, व बमनी ब्लाक में हाई स्कूल खोलने की,

(13) दुद्धी जनाना अस्पताल में लेडी डाक्टर भेजने की,

(14) जनपद मिर्जापुर के जंगल अधिकारी, गरीब जनता के घरों में प्लान्टेशन (वृक्षारोपण) करा रहे हैं, जिससे उनको निकलने में कष्ट है, उसे रोकने की,

(15) दुद्धी क्षेत्र के बमनी, जरहा, भरहरी, नेवारी, बिल्हमगंज इत्यादि सड़कों पर राजकीय बसों को चालू करने की,

(16) दुद्धी क्षेत्र में खराब राजकीय बसों को बंद कर नई बसों को चलाने की,

(17) दुद्धी में मंसिफ मैजिस्ट्रेट तथा परगना मैजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने की,

(18) दुद्धी क्षेत्र में सिचाई की समुचित व्यवस्था करने की,

(19) दुद्धी क्षेत्र के अशिक्षित, जनियर हाई स्कूल पास तक आदिवासी हरिजन बच्चों को दीक्षा दिलाने की,

(20) दुद्धी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने की,

(21) दुद्धी क्षेत्र के डूब से तथा अन्य प्रकार से उजड़े व्यक्तियों को बसाने तथा उन्हें मुआविजा देने की,

(22) बीना प्रोजेक्ट, कनहर प्रोजेक्ट तथा अन्य बंधियों म डूब में आने क कारण उनके पुनर्वास की,

(23) प्रदेश की तरह दुद्धी को ट्राइबल ब्लाक बनान की,

(24) क्षेत्रीय विकास समितियों द्वारा दुद्धी क्षेत्र के लिए पूर्ण विकास करने की,

(25) दुद्धी क्षेत्र के मूल निवासियों के मूल व्यवसाय पत्ती की मजदूरी को बढ़ाने की,

(26) दुद्धी क्षेत्र में मजदूरों को निर्धारित मजदूरी दिलाने की,

(27) सुरक्षित वनों की निगरानी, ठीक से न करने के बावजद, जोत की जमीन को सुरक्षित वनों में लिया जा रहा है जिससे लाखों जनता पीड़ित है, उसे बचाने की,

[श्री शिव सम्पत्ति राम]

(28) हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लिये निर्धारित सरकारी तथा अर्द्धसरकारी नौकरियों में स्थान दिलाने की,

(29) मिर्जापुर के दक्षिणांचल को सूखा क्षेत्र घोषित करने की,

(30) मिर्जापुर के दक्षिणांचल के आदिवासी हरिजनों की सरकारी कर्जे की सूद से मुक्त कर किस्तों में वसूल कराने की.

(31) दुद्धी की जमीनें खराब हैं, सिचाई का कोई प्रबन्ध नहीं और पैदा भी नहीं होता है, भुखमरी व्याप्त रहती है, जिससे वहां के किसानों पर से विकास-कर समाप्त करने की।

दूसरा उदाहरण बांदा जिले का है जहां शासन की कृपा से हरिजनों की लड़कियां बेंची जाती हैं और उनकी मौज का सामान बनाया जाता है। मान्यवर, मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि आपको जो गौरव और गरिमा का पद मिला है उसका प्रयोग हरिजनों की दुर्दशा को सुधारने में करिये ताकि उनका बेड़ा गर्क न हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य नये हैं इसलिये थोड़ी असुविधा हो रही है। मदद ले रहे हैं, वह पढ़ नहीं रहे हैं।

श्री शिव सम्पत्ति राम--

एक गरीब आदमी ने लिखा है, उसको खाना नहीं मिलता। उसने एक पत्र लिखा था उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं :--

"लखि के भारत की महंगाई हमें रुलाई आवेला।
अंग्रेजी शासन में सोरह सेर के चाउर पइलन,
दस आना के धोती, घिउवा डेढ़ सेर के खइलन।
हमसे कहलन बाबूभाई, हमे रुलाई आवेला।
आजादी के बाद आजादी मिलल घूसखोरन के,
भ्रष्टाचारी, जमाखोर, तस्करीबाज, चोरन के।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था पढ़ने की नहीं है। आप अपनी बात कहें नहीं तो सारा समय आप पढ़ने में लगा देंगे।

श्री शिव सम्पत्ति राम--

रक्षक बन गये भक्षक भाई हमें रुलाई आवेला,
भइल विकास देश में अइसन मिले न कपड़ा दाना।
बजट फेल हो गइल देश के खाली भइल खजाना,
वसूली जनता पर चढ़ि आई, हमें रुलाई आवेला।
पैसा, अन्न नहीं बा घर में लइकन मांगें बासी,
कांप करेजा जभी देखें बाबू चपरासी।
आखिर खेतवै अब वेचाई हम रुलाई आवेला,
नया-नया कर रोज लगत बा कितना करूं बयान।
भूखे नंगे जनता रोवै मंत्री चढ़ विमान,
आगे हमसे नहीं गवाई, हमें रुलाई आवेला।

(व्यवधान)

जरा दःख दर्द तो सुनें। आप में कुछ दुख दर्द तो है नहीं, तो सुनेंगे क्या। जितना मैंने कहा अगर गलत हो, तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। आप देखें तो कि आपने 28 साल के शासन में आपने क्या किया।

श्री उपाध्यक्ष––

आप अपनी बात कहें, उलझें मत। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री शिव सम्पत्ति राम––

मान्यवर, ऐसी दुर्दशा है हमारे दुग्ध क्षेत्र की कि वहां सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया। आप कृपया सरकार को बता दीजिये कि वह दुग्ध को भी समझें और वहां के लोगों को राहत दें।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)––

हां, विरोधी के भाषण पर आप हंसते हैं। ऐसे ही रावण भी हंसा करता था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपकी बुद्धि का तो दिवाला ही निकल गया है। आपका नाश नजदीक है। रावण भी यही समझता था कि जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है पर उसका विनाश हो ही गया।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय शिवचरन जी के भाषण का रसास्वादन कीजिये।

श्री शिवचरन लाल––

खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती,
गरेबां फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है।

आपका अन्त नजदीक है। किसान पर लेवी लगाना और उसकी फसल का गेहूं का भाव 105 रुपये क्विन्टल तय करना, यह किसान के साथ घोर अन्याय है और उसके घर पर डाका डालना मात्र है। आप किसान को किस कदर नेस्तनाबूद करना चाहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस राज्य में अराजकता का बोलबाला हो उस राज्य का अन्त नजदीक है। लेवी का गेहूं शहर में जाकर ढाई रुपये किलो बिकता है, मगर किसान को कितना कम दिया जाता है। मैं यह मांग करता हूं कि लेवी का जो गेहूं आप लें उसका कुछ हिस्सा ग्रामों में भूमिहीन किसानों और भूमिहीन हरिजन मजदूरों के लिये भी छोड़ दें और वह गेहूं उनको भी दिलवाया जाय।

वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में सड़कों का जिकर नहीं है हमारे यहां की मुख्य–मुख्य सड़कों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। जिला आगरा में तहसील एतमादपुर में कई ऐतिहासिक सड़कें हैं जिनके बारे में मैं समय–समय पर लोक सभा में तथा विधान सभा में भी चर्चा उठाता रहा हूं, लेकिन सरकार के कानों पर आज तक जू नहीं रेंगी है। एक सड़क आगरा-जलेसर मार्ग टेड़ी बगीची से केवल 10 किलोमीटर की है, यह स्वीकार हो चुकी है, मगर अभी तक बन नहीं पायी है। यहां मेरे एक सवाल के जवाब में आश्वासन भी मुझे दिया गया था कि सन् 75 मार्च तक बन जायेगी, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। इस सड़क को भैंस खाड़ा गांव तक ही शीघ्र बनवाया जाय, यह बहुत आवश्यक सड़क है। दूसरी सड़क एतमादपुर तहसील के दरवाजे से बलदेव जिला मथुरा को जाने वाली सड़क भी ऐतिहासिक सड़क है। मथुरा जिले में इस सड़क का जो हिस्सा है उस पर तो कार्य हो रहा है, लेकिन आगरा में एतमादपुर से खदौली तक यह सड़क नहीं बन रही है। यह बहुत आवश्यक है, इसको बनवाया जाय।

[श्री शिव चरन लाल]

समाई से चावली तक जो सड़क है उसके बारे में सन् 68 में तत्कालीन मंत्री श्री मंगलदेव विशारद ने एक सर्वे भी कराया था और अब एस्टीमेंट भी 7 लाख 56 हजार का बनकर आ गया है। 9 किलोमीटर का यह सड़क का टूकड़ा बनना है। उक्त गांव की आबादी भी लगभग आठ हजार है। इसको भी अविलम्ब बनवाया जाय। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी मुझे बराबर आश्वासन देते आ रहे हैं।

मान्यवर, किसान पर लैवी लगाना और उसकी फसल का भाव 105 रुपये कुन्तल तय करना किसान के साथ घोर अन्याय है। यह किसान के घर पर डाका डालना है। उसको खाद तक ब्लैक में लेना पड़ता है, पानी भी मिलता नहीं, बिजली भी नहीं मिलती, लेकिन 18 सौ रुपये प्रति साल देना पड़ता है चाहे सिचाई चार दिन भी नहीं उसके साथ यह कितना बड़ा अन्याय है। यह सरकार किसान विरोधी है और किसान को बरबाद करने पर तुली हुई है।

"किसान हैं सींधो समझ कर तुम टेढ़ बतराउ,
जो किसान टेढ़ो पड़े तो तुम सौधे हवै जाऊ।
टेढ़ो चन्द्रमा देखि कभी परै न घैन,
कलयुग के तुम राहु केत, किसान को लेन न दोगे चैन।
जौ, गेहूं, कपास गुण माखन अनेक खेल,
किसान के खून पसीने से रहे हैं सभी खेल,
अफसोस कि आज किसान ही भूखा मरि रहा है,
निकम्मे लुटेरों का यह गोल मौज कर रहा है।"

त्योहारों के दिन आप के यहां तो रंडी और भंड़वे मटकते हैं और उस दिन किसानों के घर बच्चे भूखे रहते हुए भटकते हैं। "किसानों की बहन-बेटियों की लज्जा ढकना भी दुश्वार हुआ, सच माने में सूख के पतझार हुआ। किसान का हरियाला बाग है, प्रदेश का किसान अब तो सोवत है जाग।" सड़कों के सम्बन्ध में तो मैंने आपसे चर्चा कर दी। मैं आगरा जिले के एतमादपुर क्षेत्र से जनता द्वारा चुन कर यहां आया हूं। मुझे यहां आने से रोकने के लिये कांग्रेस द्वारा बड़ी कोशिश की जाती है मैं रुका नहीं जनता द्वारा चुनकर आया हूं। मेरे क्षेत्र की आज क्या हालत है? वहां किसानों की खेती की सिचाई के लिये नलकूपों की बहुत मांग करता हूं। एतमादपुर तहसील के सौरई-पैतखेरा भूतपुर कुबेरपुर पर वास सौना व मान पर अहारन क्षेत्र में एक एक ट्यूब वेल लगाना चाहिये। वहां पानी बहुत नीचे है और सिचाई का कोई साधन न होने से वहां के किसान बहुत परेशान है। नलकूप बनने चाहिये जिससे किसानों को सिचाई की सुविधा हो सके।

हमारे यहां एक लाइन इन्सपेक्टर गौड़ साहब हैं जो लाइन लगाने के नाम पर किसानों से हजार, बारह सौ और पन्द्रह सौ रुपये तक लेते हैं। उनका तुरन्त वहां से तबादला किया जाय जिससे किसानों की परेशानी दूर हो सके। आगरा जिले की शान्ति और व्यवस्था की स्थिति भी बहुत चिन्तनीय है। महाराजा बधावर के पास तार आया है और यह बड़े दुख की बात है कि वहां शान्ति-व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। पिनहट के प्रमुख श्री रामस्वरूप को गोली मार दी गयी और आगरा पचक इहरौ पर बटेश्वर के प्रधान ज्ञान सिंह का कत्ल कर दिया गया है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि पुलिस और सरकारी अधिकारियों को इतना सतर्क कर दिया जाय कि वहां शान्ति-व्यवस्था रखने के लिये कड़ाई से वे काम लें। वहां चोरी डकैती कितनी है, वहां कत्ल कितने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ प्रार्थना करता हूं कि

"हमें नफरत न थी अंग्रेज की कौम सूरत से,
हमें जो कुछ नफरत थी अंदाजे हुकूमत से।
आज अपनों की हुकूमत रहमत हो नहीं सकती,
तो अपनों की भी सूरत से मुहब्बत हो नहीं सकती।"

श्री भारत सिंह (जिला पौड़ी गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बजट किसानों का बजट है। पहली बार इस बजट में किसानों से सम्बन्धित चीजों को प्राथमिकता दी गयी है। किसानों के लिये, कृषि कार्य के लिये, सिंचाई प्रमुख हैऔर उसके लिये बिजली आवश्यक है। बिजली और सिंचाई के लिये इस बजट में काफी प्राविधान किया गया है। और इसलिये अगर हम यह कहें कि यह कृषि का बजट है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये पानी आवश्यक है और पानी जमीन से निकालने के लिये बिजली का होना आवश्यक है। इस प्रकार से यह बजट इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार सारे प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाना चाहती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में पहली बार शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रयास किया गया है और उसकी ओर इशारा किया गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कांग्रेस के घोषणा-पत्र में है और हमें बार-बार आश्वासन भी दिया गया है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। मैं मानता हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, जब तक यह राजनीतिक दलदल में फंसी रहेगी, तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। इसलिये मान्यवर, निवेदन है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अवश्य होना चाहिये।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों के बारे में यह बजट परम्परागत है यह मैं मानता हूं। पर मान्यवर, दूसरों को इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इस सारे हिस्से का भाग्य इस प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। मान्यवर, आज कशमीर से लेकर असम तक के पहाड़ी भाग अलग-अलग राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस बड़े प्रदेश के रूप में संगठित हो चुके हैं। जब कभी इसके विकास की बात कही जाती है तो यहां यह बात उठती है कि पहाड़ों के ऊपर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पहाड़ों के साथ किसी को उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिये। आज आप देखें, पहाड़ों में, हिमालय में, अमूल्य खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल सम्पदा भरी पड़ी है। जो कि उत्तर प्रदेश के लिए वरदान है। मान्यवर, इसका उपयोग इस प्रदेश के हित के लिये किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाय तो इस प्रदेश को काफी आमदनी हो सकती है। डा० के० एल० राव, भूतपूर्व केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री ने कहा था कि सारे देश के अन्दर 8 करोड़ मेगावाट में से 5 करोड़ मेगावाट बिजली केवल उत्तराखंड से पैदा की जा सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज हम इस शक्ति का दोहन करें तो हमारी बिजली की कमी जो है उसमें हम आत्म निर्भर हो सकते हैं।

मान्यवर, कालागढ़ डैम गढ़वाल जनपद में बना है। कालागढ़ डैम राष्ट्र की सम्पत्ति है। गढ़वाल जिले में इससे 200 मेंगावाट बिजली बनेगी और इसके जल से 16 लाख एकड़ भूमि की, जो पश्चिमी जिलों की भूमि है उसकी सिंचाई होगी। पहाड़ों की एक इंच जमीन की सिंचाई इससे नहीं होगी। 128 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया है वह पहाड़ के लिये नहीं बल्कि मैदानी भाग के लिए है, और वहां 4 करोड़ रुपये की लागत के बड़े-बड़े भवन बने हुये हैं। अब काम समाप्त होने वाला है। यहां के लाखों कर्मचारी अन्यत्र भेजे जायेंगे। और यह 12 हजार मजदूर, इंजीनियर और ओवरसियर सब चले जायेंगे। और कालागढ़ कालोनी को उजाड़ दिया जायगा। मान्यवर, तो मेरा निवेदन है कि वहां पर कोई कागज का या अन्य कोई भारी उद्योग होना चाहिये जिससे यह नगर जो बस गया है वह उजड़ने न पाये और बस जाये। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। इसी तरह से गढ़वाल ऋषिकेश चीला परियोजना है इससे भी 108 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। इसके अलावा इस योजना से पश्चिमी जिलों की लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई इससे होगी। मान्यवर, इससे जो विद्युत पैदा हो गढ़वाल जनपद का भी उससे कल्याण होना चाहिये। मान्यवर, वहां पर नदियों में अथाह पानी है

[श्री भारत सिंह]

अगर वहां पर माइक्रो हाइडिल स्कीमें बनें तो बिजली का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। जिससे प्रदेश की जो आवश्यकता है वह पूरी की जा सकती है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की जनता में आज आक्रोश है। वहां का जन-जीवन कठिन होता जा रहा है। जन-जीवन के जो साधन होने चाहिये आज वहां नहीं है। एक जिले के दूसरे छोर पर जाने के लिये 4-4 जिलों में से जाना पड़ता है। आज वहां 50-50 मील आदमी को पैदल जाना पड़ता है। थोड़े से सामान के लिये बहुत अधिक किराया देना पड़ता है। इस तरह से आज वहां काफी महंगाई है, इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है। औरतें आज भी 5-6 मील से सर पर पानी रख कर लाती हैं। वहां पर कोई पेय जल की व्यवस्था नहीं है। पेय जल की योजना वहां पर होनी चाहिये। सड़कों का जाल बिछना चाहिये। जब भी कोई विकास काम वहां पर होता है लोग चौंकते हैं और कहते हैं कि वहां पर सड़कें बनने लगीं हैं, सारा पैसा वहीं खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, इस तरह की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। मैं कहता हूं पूरे प्रदेश में रेलों की लाइनों का जाल बिछा हुआ है। मान्यवर, मेरा कहना है कि उस तरफ भी ध्यान दिलाकर वहां भी रेलों की लाइनों का जाल बिछाया जा सकता है। जनता को सुविधा दी जा सकती है। ऐसा होने से, जो आक्रोश और पृथक राज्य की भावना है वह लोगों में नहीं होगी। हमारा भाग्य इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ उपेक्षा न बरती जाय यदि उत्तर प्रदेश के लोगों की हमारे प्रति यही भावना रही, हमसे ईर्ष्या रही, तो पहाड़ के लोगो को हिमाचल प्रदेश, आसाम और नागालैण्ड की तरह बात करनी होंगी। मान्यवर, आप जानते हैं कि आज पहाड़ उजड़ रहे हैं, वहां लोग जंगलों को बड़ी निर्दयता से काट रहे हैं। कटान से पानी की कमी की बात आती है। तो इस प्रदेश ने यदि इन पहाड़ों को न बचाया और जंगल कटते ही रहे और, वहां भूमि के कटान को नहीं रोका गया तो गंगा और यमुना का हराभरा मैदान रेगिस्तान हो जायगा। जहां-जहां पेड़ कट रहे हैं वहां-वहां पानी के स्रोत कम हो रहे हैं और इससे भू-स्खलन हो कर बाढ़ आ रही है। सन् 1970 की बेला कूची की बाढ़ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जिससे प्रदेश की करोड़ों रुपये की क्षति हुई। आज आवश्यकता है कि पहाड़ों के लोगों को तराई क्षेत्र में मैदान में बसाया जाय ताकि पहाड़ के ऊपरी हिस्से का खेती के कारण कटान न हो, न वन कटें क्योंकि भू-स्खलन का कारण है जंगलों का नष्ट हो जाना।

मान्यवर, दूसरा निवेदन है कि पहाड़ों के विकास के नाम पर एक विकास परिषद् बना हुआ है। 1967 में जिस समय चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे उस समय बना था और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और आवश्यकता समझी थी कि यह परिषद् पहाड़ों के कल्याण के लिये काम करेगा। लेकिन तब से अब तक उसकी स्थिति वैसी ही है। निगम का कोई कार्यकलाप नहीं है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि विकास परिषद् को सशक्त बनावें और निगम को भी उसके अधिकार में रखें जिससे लोगों की जो अलगाव की भावना है वह न हो सके। अंत में मैं बजट का स्वागत करता हूं।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा जो भाषण प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में मेरी निश्चित राय है कि यह पूंजीवादी बजट है। समाजवाद का झूठा नारा लगाते हैं, समाजवादी तो है ही नहीं। गांधीवाद को बजट ने तो छुआ ही नहीं। मुझको मालूम है कि चाहे अमीर हो या गरीब, जितने चुनकर आये हैं वह चाहे हम लोगों के परिवार के हों या वोट देने वाले हों इन सब आदमियों को 5 चीजों की आवश्यकता होती है। हम सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिये कि यह पांच चीजें 27 वर्षों में पूरी हुई कि नहीं। यदि नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरी हुयीं तो यह मालूम करना चाहिये कि कहां पर कमियां हैं। हर आदमी को भोजन की सबसे पहले जरूरत है, कपड़ा, रहने के लिये मकान, बीमारी पर दवा और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई जरूरी हैं। फिर प्रश्न पैदा होता है कि जो पांच जरूरत की चीजें हैं वह पूरी कैसे होंगी ? इसके लिये आमदनी की जरूरत होती है कि आमदनी कैसे होती है ? सबसे पहला जरिया आमदनी का हमारे देश और प्रदेश में खेती का है। दूसरा जरिया नौकरी है। तीसरा जरिया उद्योग धंधे हैं। यह हर आदमी को मालूम होना चाहिये कि 27 वर्षों में इन आमदनी के जरिये में क्या इन्कलाब हुआ, क्या सुधार हुआ। अगर नहीं तो सबको मिलकर सोचना चाहिये। जमींदारी टूटी, चकबंदी हुई, हदबन्दी हुई लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि ज्यादा जमीन रखने वाले लोग आज भी भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान का हक मारे हुए बैठे हैं। आज भी हरिजन और हलवाहे लोग जिनमें अधिकांश संख्या हरिजनों की है उनके पास आमदनी के लिये जमीन का कोई जरिया नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को शर्म आनी चाहिये कि अगर हरिजन तबके को ही लें तो उसके लिये इन 27 वर्षों में इस सरकार ने क्या किया ? मैं साफ कहना चाहता हूं कि न तो डा० लोहिया की नीति का पालन हुआ और मैं क्या कहूं चौधरी साहब के बारे में कांग्रेस बेदर्दी लोगों की गोद में रहते हुए भी उन्होंने जो कानून बनाया उससे थोड़ी सी जमीन हरिजन या छोटे किसानों को मिली। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने शिकमी से सीरदारी का अधिकार दिया। सन् 59 में कैफियत में जिनका इंदराज था उनको सीरदार बनाया। ऐक्ट 31 सन् 52 के कानून के तहत में जिनका कब्जा सन् 59 में था उनकी जांच कराकर सीरदारी का हक दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जबसे स्वराज्य मिला तब से जमीन का ऐसा कानून नहीं बना जिससे हरिजनों को जमीन मिलती। मैं इस विधान सभा का पुराना सदस्य हूं और इस जमीन के बंटवारे के बारे में बराबर चिल्लाता रहा हूं कि सीमा साढ़े बारह एकड़ रखें और उससे बड़ी जमीन का बंटवारा हो। अगर छोटी जोत एक एकड़ मानते हैं तो एक एकड़ से लेकर या जो भी सीमा बांधते हैं तो हरेक से एक-एक, दो-दो विस्वा जमीन ले लें जिससे कि जमीन निकल सके। लेकिन आज भी 27 वर्षों में ऐसी कहावत न हो जाय कि "दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं खरीदार नहीं हूं"। यह सरकार को नहीं सोचना चाहिये। मैं पूछता हूं कि क्या यह जार्ज पंचम का राज्य है कि "यह रुबे हुस्न था जब सामने गये उनके, कलामे एक तरफ हम सलाम भूल गये"। इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, डरना नहीं चाहिये और जो सही और वास्तविक मांग है उसको रखना चाहिये।

आज भी मैं कहता हूं कि छोटे किसानों का हक बड़े लोग मारे बैठे हुए हैं। बगैर इंदराज के अगर कुछ जमीन पट्टे पर दी गयी तो आज भी उनका उस पर कब्जा नहीं है। (लाल बत्ती होने पर) दो तीन मिनट का समय और दे दें। अब छोटे उद्योग धंधों को ले लें। उनका भी हक बड़े उद्योग वाले मारे बैठे हैं। इन 27 सालों में छोटा उद्योग धंधा वाला मारा गया। मैं जहां से चुनकर आता हूं, वहां पर बुनकरों की बहुत दुर्दशा हो गई है। वह सरकार और पूंजीपति वालों के बीच में पिस रहा है। मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि छोटा कर्मचारी का हक बड़े अधिकारी लिये हुये बैठे हुये हैं। इन 27 सालों की सरकार ने बड़े अफसरों को सारी सुविधायें दी हैं, बड़े अधिकारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की है, लेकिन हाय रे, गांव का चौकीदार, हाय रे, छोटा चपरासी, तुम्हारे लिये इस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जितने भी मंत्रिगण बैठे हुये हैं, अगर अपने कलेजे पर अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि पहले तो अंग्रेजों के जमाने में भ्रष्टाचार शब्द को पढ़े-लिखे लोग ही जानते थे, लेकिन आज बच्चा-बच्चा नाम जानता है, भ्रष्टाचार का। इन 27 सालों में रिश्वतखोरी बढ़ी है, डकैती बढ़ी है, कतल बढ़े हैं और न जाने क्या–क्या दुर्दशा इन गरीब लोगों की हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि जब तक आप नीतियों में परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक उसूल और सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं करोगे, तो इस वजा का सारा पैसा पूंजीपति के हाथों में चला जायेगा, बटकर खायेगा..

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य का अब समय समाप्त हो गया. . . . . .

एक सदस्य---

पीलू मोदी से आपका क्या समझौता हुआ है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष ---

माननीय सदस्य व्यवधान पैदा न करें, बैठ जायं ।

श्री भाभी---

मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि अगर आप हमारे उसूल और सिद्धान्त को मानकर चलोगे तो हम गरीब लोगों को खपा सकते हैं, लेकिन हमारे उसूल और सिद्धान्त को मानकर नहीं चलोगे तो मै उनको अपना दुशमन समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री भाभी---

दो मिनट का समय और दे दें । सरकार की तरफ से चाहे वह सिंचित भूमि हो या असिंचित भूमि हो, चाहे ऊसर भूमि हो, कोई फर्क नहीं है । हमने सवा 6 एकड़ भूमि का लगान माफ किया था, लेकिन उधर से लेवी लगाई जा रही है, विकास कर लगाया जा रहा है, लगान भी बढ़ गया । मैं इन शब्दों को कहते हुये इस पूंजीवादी बजट का घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में समाजवादी और गांधीवादी बजट आना चाहिये ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश और प्रदेश की जो मुख्य समस्याएं हैं--महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी इस सरकार का इस दिशा में कोई प्रयास होता तो बजट में बतलाया जाता कि उस नीति को कैसे वह ठोस तरीके से लागू करेगी लेकिन जब हमने इस बजट को देखा तो पाया कि इन समस्याओं पर बड़े ठोस तरीकेसे, प्रभावकारी तरीके से कोई कदम नहीं उठाया गया है वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि भारत सरकार के निर्देशन मे मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये जो कार्यवाहियां विगत वर्षो में की गयी हैं उनमें राज्य सरकार ने अधिक से अधिक सहयोग दिया है जिसके फलस्वरूप मुद्रा-स्फीति में कुछ कमी आई है और कीमतों में गिरावट आई है । लेकिन वित्त मंत्री जी ने यह कोई संकेत नहीं दिया कि इन समस्याओं के हल करने की तरफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है तो उस पर वह मौन रह गये । उनको साफ तरीके से बतलाना चाहिये था कि हमारे यहां जो अर्थ व्यवस्था है उसपर पूंजीवादी शिकंजा हावी ह और काले धन के कारण चोरबाजारी, महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है । काले धन को निकालने के लिये, जमाखोरी को रोकने के लिये, चोरबाजारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं यह उनको बतलाने चाहिये था । और यह भी बतलाना चाहिये था कि आगे इस स्थिति से कैसे निपटा जायगा । लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया गया क्योंकि कुछ लोग इस विचाराधारा के भी इस सदन में हैं कि पूंजीवाद पर अंकुश नहीं लगना चाहिये, काले धन पर रोक नहीं लगनी चाहिये और खुले व्यापार की छूट होंनी चाहिये । मतलब यह है कि पूंजीपति लूटता रहे और सरकार चुपचाप देखती रहे और इस तरह से जनता हमेशा उनके हाथ में खेलती रहे । इस मिद्धांन्त को जो भी लोग मानते हैं वे सरकार पर दबाव डालते ह और सरकार उनके सामने घुटने टेक देती है । इस घुटने टेकने की नीति को सरकार छोड़े और मजबूत कदम उठाये ताकि महंगाई, भुखमरी तथा बेकारी जैसी गंभीर समस्यायें हल की जा सकें ।

एक सदस्य––

बैसाखी लगाइये।

श्री राम सजीवन––

यह बैसाखी लगाने की बात वही लोग कहते हैं जो काले धन व चोरबाजारी के समर्थक हैं और सरकार उनके सामने झुकती है।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें। इस तरह से माननीय सदस्य का सारा समय दूसरे के जबाब में चला जायगा।

श्री रामसजीवन––

आज देश के सामने खेत में उत्पादन बढ़ाने की समस्या है। इसके लिये बिजली तथा पानी की व्यवस्था का विशेष महत्व है लेकिन बजट में इसके लिये बहुत कम व्यवस्था है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या खेत में उत्पादन बढ़ाने के लिये यह है कि खेत में जो काम करता है खेत उसी का होना चाहिये तभी उत्पादन बढ़ सकेगा, वर्ना चाहे कितनी बिजली, खाद, बीज तथा पानी दे दो खेत का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। 27 साल के बाद जब आज भूमिहीनों को जमीन देने के लिये कमेटी की बात कही जाती है तो चौधरी साहब कहते हैं कि कमेटी से काम नहीं चलेगा। नजर के इशारे से काम हो जायगा लेकिन जब वह 27 साल तक सरकार में बने रहे तो उनकी नजर के इशारे से जमीन नहीं बट सकी। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक साल से हरिजनों के लिये कमेटी बना रहे हो, वह अब जाकर कमेटी बनी है। उसमें भूदान वाले कितने लोग हैं, यह भी आप नहीं बता सके। आप भूदान आन्दोलन को कुंठित कर रहे हो। ईमानदारी के साथ जो कमेटी आप बनाओ, उसमें भूमिहीनों और हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। जिले-जिले में यही होना चाहिये। आप यह फासिस्ट तरीका अपना रहे हैं। नजर के इशारे से आप उसे नहीं कर सकते हैं। चौधरी साहब भी नहीं कर सकें हैं। यह भूमिहीनों की कमेटी हो और उसमें उन्हीं का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, यह उन्हीं के हाथ में दी जानी चाहिये। प्रधानों से भी वह नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा पिछला अनुभव यह बताता है। इसलिये उन्हीं को इसके सारे अधिकार दिये जाने चाहिये। उनके हिस्से की जमीन को उन्हीं के पास बांटने के लिये दी जानी चाहिये कि वे ही उसका आपस में इंतजाम करें। इस तरह से यह समस्या हल हो सकती है। बेरोजगारी की समस्या आप हल नहीं कर पाये हैं बेरोजगारी आप स्वयं पैदा कर रहे हैं। पी0 डब्लू0 डी0 आदि में छंटनी करके लोगों को निकाल रहे हैं। यह नहीं होना चाहिये। बजट में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है बल्कि उल्टे उनको निकाला जा रहा है यह नहीं होना चाहिये।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण तुरन्त किया जाना चाहिये। हिन्डालको को जो बिजली दी जा रही है, उसकी दर थोड़ा अवश्य बढ़ाई गई है, लेकिन उसे और बढ़ाना चाहिये। आवश्यक वस्तुओं का सही बटवारा होना चाहिये। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम होना चाहिये। हरिजनों पर तमाम अत्याचार हो रहा है। इस बात को यह हाउस भी महसूस करता है। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी को न मालूम कौन आकर सलाह देकर उन्हें गुमराह कर देता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी का हरिजनों के प्रति सही दृष्टि-कोण होना चाहिये। इसके अलावा जैसा अन्य लोगों ने कहा है, बांदा जिले में हरिजनों की विकट समस्या है, उसके लिये मुख्य मंत्री जी ठोस प्रभावकारी कदम उठायें। मान्यवर, सदन के बाहर, विधान भवन के सामने पी0 डब्लू0 डी0 और सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कर्मचारी सामूहिक रूप से धरना देने जा रहे हैं। उनकी कुछ समस्यायें हैं जिनको सरकार को देखना चाहिये ताकि यहां पर शांतिपूर्ण वातावरण बना रह सके।

[श्री राम सजीवन]

प्रदेश में पेन्शनर्स की समस्या है। उनको पेंशन के मिलने में बड़ी बाधायें पैदा होती हैं। 5-6 साल तक उनके पेंशन के कागज नहीं बन पाते हैं। एक ही आफिस में कई अड़चनें पड़ जाती हैं और सालों लग जाते हैं। करोड़ों रुपया सूखा ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के बरबाद हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि सही योजनायें नहीं बनती हैं। 50 लाख रुपया 5-6 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर लगा दिये जायं तो, बुन्देलखण्ड जो कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है, का भला हो जायेगा।

श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि आपने.....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

आप विरोध पक्ष को कम समय दे रहे हैं.....

उपाध्यक्ष--

आपको ज्यादा समय दे रहे हैं। आप बैठ जायं।

श्री राजकिशोर तिवारी--

मुझे अपने प्रदेश के 1975-76 के बजट पर हो रही चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने यह जो बजट पेश किया है, यह बहुत ही सुन्दर है और वर्तमान स्थिति में जो बजट का निर्माण हुआ है आप जानते हैं कि जब हमारे प्रदेश में और देश में ही नहीं बल्कि सारे जगत में आर्थिक व्यवस्था डावांडोल हो, मुद्रास्फीति की एक भयानक विभीषिका छाई हुई हो और बढ़ती हुई महंगाई सारे समाज को उद्वेलित कर रही हो, ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का संतुलित बजट देख कर मैं अपने विद्वान वित्त मंत्री जी को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं। वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया है उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि सारे प्रदेश की जनता इस बजट की तरफ देख रही थी कि इस महंगाई में कहीं सरकार और कर भार न बढ़ा दे (व्यवधान) तो जब कोई कर नहीं लगाया गया तो जनता में बड़ी प्रसन्नता हुई। जब बजट का उद्घोष हुआ कि सरकार कोई कर नहीं लगाने वाली है बड़ी आशा सी जनता में पैदा हुई। तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।

दूसरी तरफ इस बजट में जो फैसला लिया कि व्यवसाइयों पर विविध प्रकार के बिक्री-कर बहुपदीय के नाम से उन्हें देने पड़ रहे थे उसे एक पद्धति कर दिया गया। बहुपदीय टैक्स से जो उन्हें हिसाब किताब में परेशानी थी, उसे हल किया। ऐसे संकट के समय में भी उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां उठाईं उससे भी कुछ कमी आयेगी। माननीय वित्त मंत्री जी इन बातों के लिये बधाई के पात्र हैं। (व्यवधान) हमारे विपक्षी भाइयों को जब हम वित्त मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं तो परेशानी हो रही है। मैं बधाई दे रहा हूं और आप निन्दा कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त दूसरी बात आप कर नहीं सकते हैं। मैं बराबर इस बात की चेष्टा करता हूं और मैंने देखा है कि हमारे प्रदेश के इने गिने अर्थशास्त्री जो इस सदन की गरिमा और महिमा को समझते रहे हैं उन्होंने भी तीखी आलोचना की। जैसा मैंने कहा कि निंदा करने की बात ही करते हैं तो मुझे यह देख कर थोड़ी सी तकलीफ हुई। जब वे इधर बैठते थे तब इसी प्रकार से उनके बारे में भी कहा जाता था और उधर के बहुत से लोगों को इस बात का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। जैसा हमारे पुराने नेता, नियाज साहब ने बहुत दिनों तक इन कुर्सियों को सुशोभित किया, वह हमारे नेता रहे और भी हमारे दूसरे साथी हैं तो वे भी उन दिनों में आलोचना सुना करते थे तो आज इधर के लोग सुनते हैं तो कोई नई बात नहीं है। जहां तक विरोधी पक्ष के लोगों की आलोचना का संबंध है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन अब थोड़ा सा कह देना चाहता हूं कि वह हमारे बड़े से बड़े कामों को जो हमारी सरकार

करती है वह उन्हें उसी भांति दिखाई देती है जैसा श्रीमन्, आपको विदित होगा महाराजा जनक के विवाह-यज्ञ में बहुत से बड़े-बड़े जबरदस्त लड़ाका, बहादुर और योद्धा वहां जुटे हुए थे और सबकी चेष्टा थी कि यह धनुष जो एक लक्ष्य है, वे उसका भेदन करें, लेकिन सबके सब पराजित हुए। वे धनुष के निकट आये और उसे उठा नहीं सके। ऐसे धनुष को श्री रामचन्द्र जी ने जब खिलवाड़ में ही तोड़ दिया तो जितने कपटी राजा थे, वे सबके सब राम चन्द्र जी की आलोचना करने लगे। तो ऐसे समय में मुनि श्री विश्वामित्र, जो वहां बठे थे उन्होंने कहा––

"गांधि सुवन कह हृदय हंसि मुनि हरि अरी सूझ।
अजगो खन्डबों ऊख जिमि अजहूं कि बूझ अबूझ॥

यही हालत आज उन लोगों की है, जो उधर विपक्ष में बैठे हैं। ये सच्चाई को पूरी तरह जानते हैं कि इस देश और प्रदेश में कितना बड़ा काम हुआ, लेकिन फिर भी आलोचना किया करते हैं। उनको अधिकार है, वह करें। इसके बाद मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं आपके सम्मुख अपने जिले और चुनाव-क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर दूं। आप जानते हैं कि पार्लियामेन्ट में हमारे स्वनाम धन्य गहमरी जी के जरिए एक कमीशन नियुक्त किया गया था पटेल कमीशन के नाम पर। उसने इस प्रदेश के कुछ जिलों की, जो सबसे निर्धन जिले थे, एक लिस्ट बनाई थी। ये सब पूर्वी जिले थे, जिसमें हमारा जनपद जौनपुर भी शामिल है, जो एक निहायत गरीब तबके के लोगों का जिला है। किन्तु दुर्भाग्य से पटेल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, देश में युद्ध छिड़ जाने के कारण जैसी की तैसी रह गई और उस पर कोई काम नहीं किया जा सका। आज भी मुझे दुःख होता है और संकोच होता है आपके सम्मुख यह कहने में कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में मैं रहता हूं और जहां से चुनकर आया हूं, वहां पर स्वराज्य के 27 वर्ष बाद भी आज तक कोई सड़क नहीं बन पाई है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

एक बात कहना चाहता हूं। परस्पर बड़ी विरोधी इनकी बात है। गरीबी की दुहाई और मंत्री जी को बधाई, दोनों चीजें यह बोल रहे हैं, यह कैसे ?

श्री राजकिशोर तिवारी––

जहां बधाई की बात होगी वहां बधाई दी जाएगी और जहां कहने की बात होगी, कही जाएगी। 16 आने गप कर जाने वाली हमारी बात नहीं रहेगी। तो इससे कोई इंन्कार नहीं कर सकता कि गरीबी दूर करने के संबंध में इतना काम हुआ, फिर भी हमारा देश और प्रदेश पिछड़ा हुआ है। हमारा जिला तो और भी पिछड़ा हुआ है, उसमें सड़कों की बहुत कमी है। आज तक कोई सड़क नहीं बनी है। जहां तक सिंचाई का संबंध है, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक ब्लाक में 13 नलकूप इतने दिनों बाद लगाए गये हैं अब तक। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ; मैं उनके सन्दर्भ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप सोचते हैं कि हमारे प्रदेश का कोई कोना दुखिया न रह जाए, उसी तरह से हमारे जिले पर ध्यान दें क्योंकि हमारा जिला बहुत पिछड़ा जिला है, वहां निर्माण कार्य बहुत थोड़ा हुआ है। वहां पर सिंचाई, सड़कें और नलकूप की तरफ आप ध्यान दें, ताकि हम लोगों को भी राहत मिल सके।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जिले के बारे में कोई शिकायत नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री राजकिशोर तिवारी––

इन शब्दों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

धनुष टूटे या न टूटे गर्दन और कमर जरूर टूट गयी है।

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रौरे बोले का मौका देहलिन वाके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे लिखने वालों को दिक्कत न हो।

श्री श्रीनारायण--

जो बजट सामने रखल गइल बा बाके विरोध मां बोलन खड़ा भइलबा।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आप भाषा इस्तेमाल कर रहे ह उसको लिखने में कठिनाई होगी। अच्छा हो कि आप उनकी मदद करें जिससे आपके भाषण का लाभ उठाया जा सके और लिखा जा सके।

श्री श्रीनारायण--

यह जो बजट रखल गइल बा पूरा ढपोरसंखी बजट बा। इसमें कोई सुझाव नहीं है। इस बजट से न जनता की रोटी रोजी न उसके मकान का, न उसकी दवाई का, न उसके लड़कों की पढ़ाई लिखाई का कोई इन्तजाम हो सकले। इस बजट से न जनता को कोई न्याय मिल सकले। न सड़क का निर्माण हो सकले। न दुखदर्द मिट सकले। इस बजट में खाली झूठ बात रखिल बा। झूठ गीत गाया गया है जनता के दुख दर्द की कहानी का। वोट मांगने के समय यही बात कहते हैं। लेकिन यहां आ कर जनता के दुख-दर्द को भूल जाते हैं। यह जो बजट है जनता के दुख-दर्द को दूर करने के लिये नहीं है। विरोधी दल को दल-बदल के झगड़े में डालने के लिये कि कौन से तरीके से इन लोगों को खत्म कर दिया जाय। जगह-जगह भाषण दिये जाते हैं कि हम जनता का दुख-दर्द मिटाते हैं। यह सरकार हट जाय तो सब ठीक हो जाय। कांग्रेस के मंत्री लोग जो हैं इतनी देर शासन करते रहे, इन के हृदय में जनता के प्रति कोई दुख-दर्द नहीं है। कैसे गरीबी हटे, कैसे समाजवाद आये, यह खाली भाषण की बात है। लेकिन हटाने का इन्तजाम नहीं है। मुझे मालूम है 15 दिसम्बर, 1974 को कांग्रेस की रैली हुई। बहुत बड़ा मजमा लगा। कांग्रेस के लोग उसको देख कर हाथी हो गये। 17 तारीख को परसों वह हाथी पगला गया। वह कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कुचल देंगे, जनसंघ को कुचल देंगे। यह बात समझ में नहीं आयी कि क्यों कुचल देंगे। तो हाथी पगला गया है। पूरे प्रदेश और दश के लड़के इस पगले हाथी के पीछ-पीछे लग जायेंगे। तो या तो विरोधी दल कुत्ता बने, जनता का वफादार कुत्ता बने।

(सदन में शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बातें कर रहे हैं। जरा, शान्ति बनाए रखें।

श्री श्रीनारायण--

जनता समझती ह। जो उन्होंने सुना है उससे सौ गुना ज्यादा संघ बा ऊह तो लोहे के चना हैं, हाथ में उठायेंगे तो मालूम होगा कि क्या चीज है। जनसंघ को कुचल दो। जब हाथी सनके तो बलबन को बुलाया जाये। अब वह उसका हाथ से कान पकड़ कर ठीक करे। सरकार की यह दशा बा, यह हालत बा, लोग परेशान बा लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं बा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया में एक अलम्यूनियम की फैक्टरी है। उसमें तालाबन्दी हो गई। उसमें के मालिक हमारे पांडेय बाबा बन बैठे। न्याय से उनका कोई मलतब नहीं रहा। वहां 84 मजदूर निकाल दिये गये। वह सत्याग्रह कर रहे हैं। वहां बड़ा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह हुआ कि उसको 141 दिन हो गये। उनको जेलों में बन्द कर दिया गया। उनकी कहीं भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। न श्रम मंत्री के यहां सुनवाई हुई और न न्याय मंत्री के यहां सुनवाई हुई। लड़कों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। लड़कों को जमानत पर भी रिहा करने की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई।

बजट में कैसे लोगों को राहत मिली, कैसे गरीबी हटी। कैसे नेता लोगों के यहां से गरीबी हटे। गरीबी कहां से हटती है और कहां जाती है। यह गरीबी ऊंचे से नीचे की ओर जाती है। मंत्री लोगों के यहां से गरीबी हट कर गरीबों के यहां जाती है। मुख्य मंत्री ने यह बात कहली कि माधव बाबू के दिमाग का दिवाला निकल गया बा। मुख्य मंत्री ने अपनी कथा लिख दी बा, प्रधान मंत्री ने अपनी कथा लिख दी बा और माधव बाबू ने अपनी कथा लिख दी बा। अब यह देखना है कि कौन की कथा आदर्श बा। लड़के किस की कथा को पसन्द करते हैं। किस की कथा को मानते हैं और उस पर चलते हैं। जिस कथा को लड़के मानें और उस पर चलें, वही आदर्श कथा है। वही देश को बनाने वाली है। लड़के ही हमारे देश के भविष्य को बनाने वाले हैं लेकिन उनके ऊपर डी0 आई0 आर0 चलाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री श्रीनारायण---

कांग्रेस के शासन को ठीक करने के लिये टैक्स लगाया गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है कि जब भी भोजपुरी भाषा में बोला जाता है तो रिपोर्टिंग में कठिनाई बताई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था नहीं है। आप कृपया बैठिये।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 75-76 का बजट पेश किया है यद्यपि उस बजट में 19 करोड़, 85 लाख का घाटा है तथापि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि यह घाटा बिना किसी नये कर को लगाये हुए पूरा कर लिया जायगा। अगर हमारे वित्त मंत्री जी इस प्रयास में सफल होते हैं तो मैं उन्हें इसके लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि इन दिनों थोक मूल्यों के सूचकांक में स्थिरता आई है और मुद्रास्फीति की भीषणता में आंशिक कमी आई है। मुझे इस सम्बन्ध में यह अनुरोध करना है कि मुद्रास्फीति को स्थिर करने के लिये जैसा कि उन्होंने अपने बजट में अनुत्पादक कार्यों पर रोक लगाने की बात कही है और आयोजनेतर परिव्यय में 12 करोड़ की कटौती भी की है, उनका इस तरह का प्रयास सराहनीय जरूर है लेकिन उसके साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि वर्ष भर निरन्तर हम इस बात का प्रयास करें कि उत्पादक कार्यों में वृद्धि हो, अनुत्पादक कार्यों पर रोक लगाने के लिये हमारे वित्त मंत्री जी ने कागज के, विद्युत् के, मोटर के, टेलीफून आदि के व्ययों में कटौती की है। मैं यह समझता हूं कि अब इन मदों में और भी कटौती की गुंजाइश है और उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के और कटौती करना चाहिये।

[बाबू प्रभाकर सिंह]

योजनागत बजट में उन्होंने 13 करोड़ रु0 की बृद्धि की है और उस वृद्धि में सर्वोपरि स्थान बिजली की योजना को दिया है और चालू वित्तीय वर्ष में जो 20 करोड़ रु0 अधिक खर्च करने की बात कही गई है, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि आज के युग में आर्थिक प्रगति के लिये चाहे कल और कारखाने से उत्पादन हो, चाहे खेती के उत्पादन की बात हो, बिजली का बड़ा महत्व है, लेकिन विजली आज खेती के लिये, कल कारखानों के लिये हमें यथेष्ठ मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है। हम लोग तो यह अनुभव करते हैं कि बिजली विभाग हम लोगों को बिजली देने में मनमानी कटौती करता रहता है। बिजली कब आयेगी और कब चली जायेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जब विद्युत् विभाग पर इतना खर्च किया जा रहा है और मुद्रास्फीति को स्थिर करने में विद्युत् का बहुत बड़ा हाथ है तो

(इस समय 4 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कम से कम विद्युत् विभाग का काम चुस्त रहना चाहिये। विद्युत् की दिक्कत के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। मैं उनको यहां दोहराना नहीं चाहता।

विद्युत् के बाद दूसरा स्थान वित्त मंत्री जी ने विकास की योजना में खेती के लिये दिया है। बिजली से खेती का कितना सम्बन्ध है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। खेती के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि गेहूं के लिये या अनाज के लिये सरकार जो लेवी लगाने जा रही है और उसके लिए 105 रु0 प्रति क्विन्टल जो मूल्य निर्धारित करेगी, वह कम है। सदस्यों की इन भावनाओं से मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि गत वर्ष जब बिजली सस्ती थी खाद का दाम इतना नहीं था, ट्रैक्टर का दाम इतना नहीं था, डीजल का दाम इतना नहीं था तब गेहूं का मूल्य 105 रू0 लगाया गया था, चाहे उसे हमारी सरकार ने लगाया हो, चाहे केन्द्रीय सरकार ने लगाया हो। अतः गेहूं का मूल्य वह नहीं होना चाहिये जो गत वर्ष था। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सरकार यह सोचती है कि गेहूं का मूल्य बढ़ाने से मुद्रास्फीति होगी तो यह सरकार का भ्रम है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको शहरी क्षेत्रों को खिलाने के लिये गेहूं की जरूरत है तो आप गेहूं के अच्छे भाव निर्धारित कीजिये, आपको बिना लेवी लगाये ही काफी मात्रा में गेहूं उपलब्ध हो जायगा। बजट में कहा गया है कि सड़कों और शिक्षा की मदों पर लगभग उतना ही खर्च किया जायगा जितना कि वर्ष 1974-75 में किया गया था। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि बिजली के बाद हमारे ग्रामीण अंचलों के विकास के लिये सड़कों और पुलों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, रामपुर खास से, वहां पर सई नदी पर धुइसर नाथ में एक पुल बनाने की आधारशिला आज से 4 वर्ष पहले रखी गई थी। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक जो भी काम उस पुल पर हुआ है, वह बहुत ही थोड़ा हुआ है और यदि इसी धीमी गति से काम होता रहा तो उस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रहेगा बरसात के दिनों में, उस पुल के न होने से वह क्षेत्र एक टापू के समान बन जाता है।

इस इलाके में सड़कों का तो पहले से ही अभाव है। वहां पर खेती के उत्पादन में चाहे कितनी ही प्रगति हो, पुल के अभाव में वह इलाका बहुत पिछड़ा रहेगा और उसका विकास कभी सम्भव न हो सकेगा। बिजली के बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा है सरकार को सड़कों और पुलों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। आज जिस पुल की मैं बात कह रहा हूं अगर वह बन जाता है तो लालगंज और अठेहा के बीच में आवागमन का मार्ग खुल जायेगा और अपने आप ही उस इलाके में विकास हो जायगा। आज जनतन्त्र समाजवाद—और धर्म निरपेक्षता की बहुत बात कही जाती है। जनतन्त्र और समाजवाद की स्थापना हम तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि उनकी जो रीढ़ है, शिक्षा है, उसका उत्थान नहीं करते। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बजट में चाहे वह केन्द्रीय सरकार का बजट हो या प्रदेशीय सरकार का बजट हो, शिक्षा की ओर वह

ध्यान नहीं दिया जाता है जो कि अपेक्षित है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इस बजट में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छी बातें की हैं, जैसे डिग्री कालेज के अध्यापकों को 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने की बात इसके लिये मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। इस बजट में यह भी दिया हुआ है कि जुलाई, 1975 से लखनऊ में एक स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की जायेगी जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के वे उदीयमान विद्यार्थी भरती किये जायेंगे जिनको खेल-कूद में रुचि है। मैं माननीय खेल-कूद मन्त्री से जो इस समय सदन में मौजूद हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि जिन 320 विद्यार्थियों को लेने की बात कही गई है, उनके लिये यह बड़ा आवश्यक है कि सरकार उनके सम्पूर्ण व्यय की पूरी जिम्मेदारी उठाये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में खेल-कूद में जो हमारा नाम निम्नकोटि के स्थान पर है, वह दूर हो जाय। महज खेल-कूद कालेज खोल देने से वांछित उपलब्धि नहीं हो सकती है।

इसके अलावा बी0 एड0 के प्रशिक्षण में सुधार के लिये सरकार विधायी उपाय करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समय मार्च का महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में बी0 एड0 के जो कालेजेज हैं, उनमें बी0 एड0 की प्रतियोगात्मक परीक्षायें लेने की अभी तक नौबत नहीं आई है। कहने का मतलब यह है कि प्रति वर्ष हमारे बी0 एड0 के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कहीं इस प्रकार की दिक्कत आती जा रही है कि हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। मार्च में अगर हम परीक्षा नहीं ले पाये, तो अप्रैल में बोर्ड की परीक्षायें शुरू होंगी, मई में गृह परीक्षायें शुरू होंगी। क्या हालत होगी? जाहिर है कि इस प्रकार की व्यवस्था से जो अधकचरे प्रशिक्षित स्नातक निकलेंगे वह अगले सेशन में जब नौकरी के लिये जायेंगे तो उनसे हमें वह लाभ नहीं मिलेगा जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। सरकार अगर बी0 एड0 के बारे में कोई विधेयक लाना चाहती है तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहले तो वह बी0 एड0 के प्रवेश के लिये कुछ न्यूनतम अंक निर्धारित करें कि उससे कम अंक पाने वाला कोई भी प्रार्थी बी0 एड0 में न लिया जाय। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि उत्तीर्ण परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाला व्यक्ति ही बी0 एड0 के योग्य समझा जाय। दूसरे, जिस प्रकार मेडिकल कालेजों में प्री-मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था है उसी प्रकार सारे सेन्टर्स पर ठीक ढंग से परीक्षाओं की व्यवस्था की जाय और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो उसे ही बी0 एड0 में लेना ठीक समझा जाय। अध्यापक की जनतन्त्र समाजवाद और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने में बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसलिये उसके चुनाव में हमें नियन्त्रण रखने की जरूरत है। अगर हम इतना नियन्त्रण नहीं रखेंगे तो हमें अपने अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। एक अध्यापक के दो पक्ष होते हैं। एक उसका वैयक्तिक पक्ष होता है और दूसरा उसका बौद्धिक पक्ष होता है। अभी तक मैंने बौद्धिक पक्ष की बात कही। एक अध्यापक व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व की सम्पन्नता भी ट्रेनिंग पीरियड में देखनी होगी कि कितनी उपयोगी है। अगर किसी हद तक हम यह महसूस करें कि उसकी ट्रेनिंग के बाद उसमें उन अपेक्षित गुणों का विकास नहीं हो सका जो हमारे जनतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिये आवश्यक है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि उस ट्रेनिंग के बाद भी उसे हम किसी दूसरे काम में लगायें। इसके लिये अगर जरूरत पड़े तो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को दो वर्ष का कर सकते हैं। आज बी0 एड0 में कम से कम सौ विद्यार्थी लिये जाते हैं। अगर इनका पाठ्यक्रम दो वर्ष का कर दिया जाय तो दो भागों में ये विद्यार्थी बंट जायेंगे और इन दो वर्षों में जो ट्रेनिंग हम देंगे उसका अच्छा लाभ उन्हें मिलेगा और हमें यह भी अनुभव होगा कि वह अध्यापक जिसको आगे चलकर हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं वह कहां तक उसके लिये अपने को तैयार कर सका है।

इसके अतिरिक्त हमारे बजट में प्रदेश में उत्तर प्रदेश युवा आयोग बनाने की बात कही गयी है। मैं यह मानता हूं कि युवा किसी देश की शक्ति और समृद्धि है।

[बाबू प्रभाकर सिंह]

युवा के अन्दर उत्साह होता है, साहस होता है, बल होता है, समर्पण की भावना होती है। लेकिन आज देश में जो युवा की स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। जो बुजुर्ग हैं वे तो यह समझ रहे हैं कि युवा किसी काम के नहीं हैं, अनुभवहीन हैं और युवा यह समझ रहे हैं कि इनका समय जो बीत गया है, हमें आगे आना चाहिये। हम युवा की मानसिकता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि उस युवा शक्ति का जाने अनजाने अपने दलगत या निजी लाभ के लिये प्रयोग कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो इस प्रदेश का भविष्य अन्धकार में ही रहेगा। आप देखें कि जापान जैसे छोटे से देश में जहां पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां पर लोगों ने अपने परिश्रम और अनुशासन के बल पर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इस स्थिति पर अपने देश को ला दिया है कि वह देश व्यापार में अमेरिका जैसे देश का मुकाबला कर रहा है। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा लोगों में एक विश्वास पैदा किया जाय कि उनको वास्तव में एक जिम्मेदारी दी जा रही है जिसको उन्हें ईमानदारी से निभाना है। जिस युवा-वर्ग की कल्पना इस बजट में की गयी है, वास्तव में उसे साकार करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश आयोग में युवा शक्ति को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। जो अनुभवी वृद्ध लोग हैं, उनकी तथा शिक्षाविदों की सहायता से उनके लिये एक रचनात्मक कार्य-क्रम बनाया जाय ताकि अपने यहां जिस समाज की कल्पना हम कर रहे हैं वह साकार हो सके।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

बाबू प्रभाकर सिंह--

शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। हाई स्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 1976 से एक केन्द्रीकृत निरीक्षण योजना लागू की गयी है। इस वर्ष के बजट में बताया गया है कि उसके लिये अब 38 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। गत वर्ष जो उत्तर पुस्तकों का निरीक्षण हुआ। वह इतनी जल्दी हुआ था कि परीक्षार्थियों के साथ न्याय नहीं हो सका था। एक अध्यापक अधिक से अधिक 40-50 कापियां ही ईमानदारी से एक दिन में जांच सकता है, पर उसके ऊपर इससे अधिक कापियों का बोझ प्रतिदिन लाद दिया गया था। इस योजना में सुधार करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 की कई सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक माननीय ओम प्रकाश सिंह जी की है इलाहाबाद की घटना के बारे में। इस पर थोड़ा प्रकाश आज प्रात: पड़ चुका है।

एक ओलावृष्टि के बारे में है, इसे पहले वाले के साथ जोड़ दिया जायेगा।

एक सर्वश्री सत्यपाल सिंह यादव, मुहम्मद असरार अहमद तथा मोहन लाल कपूर की है--सरकार के सम्मुख व्याप्त आर्थिक संकट से तथाकथित प्रशासनिक गतिरोध से उत्पन्न संकट के बारे में--यह महत्वपूर्ण है, इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। (व्यवधान) एक ही स्वीकार हो सकता है। (व्यवधान)। एक दिन में एक ही स्वीकार करेंगे न? (व्यवधान)।

अगर आप अपना स्वीकार करने की बात करते हैं तो आपको यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि कोषागार द्वारा भुगतान वाला जिसमें सरकार के आर्थिक संकट और उसके दिवालियेपन की बात कही गयी है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपका?

(व्यवधान)

एक को हमने स्वीकार कर लिया। (व्यवधान)।

नियमानुसार तो हम एक ही स्वीकार कर सकते हैं। (व्यवधान) सुनिये न। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हमने स्वीकार किया है।

दूसरा जो ओले के सम्बन्ध में है, नाम जोड़ दिया जायगा।

तीसरे में जैसा कि मैंने कहा है, उस पर आज सवेरे रोशनी डाली गयी है—"प्रधान मन्त्री के इलाहाबाद आगमन के अवसर पर गिरफ्तारियां।"

(व्यवधान)

एक दिन में एक ही स्वीकार कर सकता हूं। अगर आप अपना महत्वपूर्ण समझते हैं तो कल दीजिये, परसों दीजिये। यदि आपका नहीं आया तो आप उसको चलाते जाइये। (व्यवधान)।

कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, हमारे यहां पशुओं तक के लिये पानी पीने को नहीं मिल रहा है। इसको तो स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

तो उसको कार्यवाही के लिये भेज दें?

श्री अठई राम—

भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। कार्यवाही के लिए इसे भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह जी, क्या आप रोज-रोज अपना ही स्वीकार कराना चाहते हैं? आप कृपया बैठें। ऐसा नहीं होगा। श्री मुलायम सिंह का स्वीकार किया जाय और दूसरों का स्वीकार न किया जाय, यह नहीं हो सकता।
(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

हमारा सवाल महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए या तो आप अल्प-सूचित प्रश्न करें, नहीं तो इसको दोहराते रहें, तब आपका टर्न आ जायेगा।

(व्यवधान)

बिजनौर जिले में कालागढ़ स्थित राम गंगा परियोजना हेतु क्रय मशीनों की नीलामी के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य सूची के नं0 10—"बिजनौर जिले में कालागढ़ स्थित रामगंगा परियोजना हेतु क्रय की गई मशीनों को अनुपयोगी घोषित करके नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, हिम्मत सिंह तथा श्री श्रीनारायण द्वारा दी गई सूचना पर दो घंटे की चर्चा।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

अध्यक्ष महोदय, पेपर मिल वाले को स्वीकार कर लीजिये, बड़ा महत्वपूर्ण है।

(कई सदस्य साथ-साथ बोलते रहे।)

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

नियम के अनुसार, एक को ही स्वीकार कर सकते हैं। एक मैंने कर दिया है।

(शोर निरन्तर जारी रहा)

माननीय मुहम्मद असरार अहमद, श्री मोहन लाल कपूर, श्री सत्य पाल सिंह यादव का हमने स्वीकार किया है।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, पानी नहीं मिल रहा है .....

श्री अध्यक्ष--

जो मैंने स्वीकार किया है, क्या आप उस पर बहस नहीं चाहते हैं?

श्री अठई राम--

मान्यवर, पानी के बिना जीवन कैसे सम्भव है, इसको स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

हमने कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

(शोर निरन्तर जारी रहा)

अब अगर आप बैठते नहीं हैं तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। एक स्वीकार किया गया है।

श्री अठई राम--

अध्यक्ष महोदय, पानी बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

मैं मानता हूं जरूरी है, इतना जरूरी है कि जब इस पर बहस होती है तो कोरम नहीं रहता है। इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये।

(श्री राम प्रकाश त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

मान्यवर, ला-ऐन्ड-आर्डर का सवाल है पेपर मिल के बारे में जो है, उसको स्वीकार कर लीजिये?

श्री अध्यक्ष--

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, जो सूचना सरकार ने दी है उससे विरोधाभास प्रकट होता है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, इस पर आप अवश्य ध्यान दें....

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

आप बैठ जायं अब नियम 51 नहीं है।

सरकार इस बयान में बहुत बड़े भ्रष्टाचार को तसलीम करती है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो चर्चा 2 घंटे की रखी गयी है। जिसकी नोटिस श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री हिम्मत सिंह तथा श्री श्रीनारायण ने दी है। स्वत: लिख कर दिया है, अपने दस्तखत करके, वह इसको इनीशियेट करें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, 2 घंटे की चर्चा इसके लिये रखी गयी है....

श्री अध्यक्ष--

हम इसको देखते हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह कैसे इनीशियेट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

नियम 54 में है, सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुर:स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मन्त्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी। अब इसमें नियमत : यही है कि वह अधिकृत नहीं किये जाने चाहिये।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, यह कालागढ़ का स्कैन्डल बहुत बड़ा स्कैन्डल है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, 3 आदमियों की नोटिसें हैं और केवल एक आदमी उपस्थित है। इसलिये वह इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं हैं। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और श्री हिम्मत सिंह जी नहीं है केवल श्री श्रीनारायण जी हैं।

(शोर और उसी समय श्री हिम्मत सिंह आ गये और खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष--

मैं अब इसको स्थगित करता हूं और कल 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
19 मार्च, 1975

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 369 पर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 4 मार्च, 1975 को मुख्य मंत्री को प्रस्तुत मांग-पत्र में उल्लिखित मांगें

गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का राष्ट्रीकरण:—समान शिक्षा, समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करने हेतु यह आवश्यक है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का विभेद मिटाकर गैर-सरकारी विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। संघ बहुत पहले से इस मांग को लेकर संघर्षरत है। हर्ष का विषय है कि माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीयकरण उच्चस्तरीय समिति ने प्रबल बहुमत से पूर्ण राष्ट्रीयकरण की संस्तुति की है। अत: हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार उच्चस्तरीय समिति के बहुमत की संस्तुति स्वीकार कर गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण कर उनका राष्ट्रीयकरण करें।

2—राष्ट्रीय वेतन-मान—समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्तानुसार माध्यमिक शिक्षक संघ पूरे देश में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु एक ही वेतन-मान लागू करने की मांग करते हैं। एतदर्थ आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा को केन्द्र की समवर्ती सूची में लाया जाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की जाय तथा राष्ट्रीय वेतन-मान आयोग का गठन किया जाय।

3—जे० टी० सी०, बी० टी० सी० अध्यापक—प्रारम्भ में जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सी० टी० वेतन-मान प्रदान किया जाता था परन्तु सी० टी० के स्थान पर जे० टी० सी० पुन: वी० टी० सी० ट्रेनिंग चलाकर सरकार ने जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिये कई वेतन-मानों का जिसमें घोर असमानता है, प्राविधान कर दिया है। ट्रेनिंग का नाम बदलकर विभिन्न असमान वेतन-मानों को चलाना तथा एक ही कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन-मानों में असमानता पैदा करना घोर अन्याय है। अत: संघ की मांग है कि गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को चाहे वे जे० टी० सी० हों या बी० टी० सी०, सी० टी० वेतन-मान तथा तत्सम्बन्धी सुविधा प्रदान की जाय एवं इन्टर योग्यता 5 वर्ष का अनुभव तथा चयन पद्धति पर प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

4—पेंशन समानता एवं अन्य सुविधायें—अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन रूप में मिलने वाली धनराशि अल्पतम है। अत: माध्यमिक शिक्षक संघ सरकार से यह मांग करता है कि सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को मिलने वाली धनराशि के अनुरूप ही गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेंशन धनराशि बढ़ाकर पेंशन में समानता प्रदान की जाय तथा सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के सभी स्तर के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की चिकित्सा सहायता एवं अन्य सुविधाओं में पूर्ण समानता लाई जाय।

5—भाषा शिक्षकों के नये वेतन-मान सम्बन्धी राजाज्ञा अविलम्ब निर्गत की जाय।

6—माध्यमिक शिक्षा परिषद् की पारिश्रमिक दरों सम्बन्धी राजाज्ञा में परिवर्तन कर 5 रुपये प्रति पाली पारिश्रमिक, कक्ष निरीक्षकों को दिया जाय।

7—वेतन वितरण अधिनियम में परिवर्तन कर के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को माह की पहली तारीख को वेतन देने की व्यवस्था की जाय।

8—जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्वानुमति के बिना अध्यापक को निलम्बित न किया जाय।

9—अप्रैल, 1971 के पूर्व के बकाये वेतन का उत्तरदायित्व सरकार वहन करे।

10--एल0 डी0 ट्रेनिंग कालेज के शिक्षकों को बी0 एड0 कक्षाओं के अध्यापकों के समकक्ष वेतन-मान दिया जाय।

11--अध्यापक के पाल्यों को विश्वविद्यालय स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाय।

12--मार्च 1972 के पश्चात् अनुदान सूची पर आये विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी राज्यादेश को अविलम्ब निर्गत किया जाय।

13--जिला परिषदों द्वारा शिक्षकों पर लगाया जाने वाला कर तुरन्त समाप्त किया जाय।

14--अनिवार्य जमा योजना समाप्त की जाय।

15---चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा नियम शीघ्र निर्गत कर लागू किये जायं।

16--सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि की रसीद शिक्षकों को दी जाय तथा जमा धनराशि को अध्यापकों के खाते में जमा किया जाय।

17--उत्तर प्रदेश डिग्री कालेजों के शिक्षकों के वेतन-मान को ध्यान में रखकर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का राष्ट्रीय वेतन-मान निर्धारित होने का सानुपातिक तदर्थ वेतन वृद्धि उसी तिथि से दी जाय।

18--बोर्ड परीक्षा का पारिश्रमिक कार्य केवल माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ही दिया जाय।

19--पी0 एफ0 एकाउन्ट डाकखाने के बजाय बैंक में रखा जाय। साथ ही शिक्षक के रिटायर होते ही उसे शीघ्र प्राप्त हो जाय।

20--गैर-सरकारी विद्यालयों के वे अध्यापक जो किसी उच्चतर पद हेतु संहिता में निर्धारित योग्यता रखते हैं, का 60 प्रतिशत पदोन्नति का अनिवार्य प्राविधान हो। तदर्थ संहिता के चैप्टर तृतीय, धारा 18 में संशोधन हो। पदोन्नति का प्राविधान प्रबन्ध समिति की दया का विषय न हो।

21--मान्यता प्राप्त सभी गैर-सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन वितरण का उत्तरदायित्व सरकार ले तथा उन्हें समान वेतन-मान की सुविधायें प्रदान की जायं जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समान स्तरीय शिक्षकों को प्रदान की जा रही हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 389 पर)

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीयकरण की मुख्य-मुख्य संस्तुतियां

1--माध्यमिक विद्यालयों की व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था समाप्त की जाय।

2--राष्ट्रीयकरण के स्वरूप के सम्बन्ध में समिति किसी सर्व सम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। वर्तमान प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त करके माध्यमिक विद्यालयों के संचालन की दो वैकल्पिक व्यवस्था में प्रस्तुत की गयी है। प्रथम सरकारी करण और द्वितीय स्वायत्त शासी परिषद् का निर्माण।

3--सरकारीकरण की स्थिति में शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय परामर्षदात्री समिति का गठन किया जाय जिसका मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा के सभी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना, राज्य के शैक्षिक विकास की समीक्षा करना तथा समय -समय पर शैक्षिक कार्य-क्रमों का मूल्यांकन करना।

4--सरकारीकरण की स्थिति में व्यक्तिगत विद्यालयों का संचालन विभाग द्वारा किया जायगा परन्तु कतिपय अन्य कार्यों के करने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन आवश्यक होगा।

5--प्रदेश में विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों व स्तरों की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पाठ्यपुस्तक परिषद् की स्थापना की जाय।

6--राष्ट्रीयकरण के पश्चात् व्यक्तिगत विद्यालयों की स्थापना पर उचित नियन्त्रण लगाना पड़ेगा ताकि, आवांछित स्थानों पर अथवा शैक्षिक आवश्यकता न होने पर विद्यालयों की स्थापना न हो।

7--अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण की परिधि के बाहर रखने तथा एतद्विषयक प्राविधानों से छूट देने की व्यवस्था करनी होगी। इसी में आंग्ल भारतीय विद्यालय तथा पब्लिक स्कूल्स भी राष्ट्रीयकरण की परिषद् से बाहर रखे जायेंगे।

8--राष्ट्रीयकरण के पश्चात् शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों का एक केन्द्रीय संवर्ग बनाना होगा।

9--राष्ट्रीयकरण के पश्चात् विद्यालयों के शिक्षकों के चयनार्थ एक विद्यालय सेवा आयोग की स्थापना की जाय।

10--राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जिलास्तर से लेकर निदेशालय के स्तर तक अतिरिक्त अधिकारिक एवं कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था की जाय।

11--राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के प्रबन्धकों को उनकी अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिये कुछ धनराशि देनी होगी जिसका अनुमान लगाना ही सम्भव नहीं हो सका।

12--राष्ट्रीयकरण पर पांच वर्ष में (प्रतिकर को छोड़कर) विभागीय मतानुसार 127.75 करोड़ तथा अध्यापकों के मतानुसार 52.56 करोड़ रू० का अतिरिक्त व्यय होगा। प्रथम वर्ष में उक्त दोनों मतानुसार क्रमश: 23.66 करोड़ तथा 12.23 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

13--अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु स्थानीय आधार पर आय के अनेक स्रोत विकसित किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ गन्ना विकास परिषदों मन्डी समितियों आदि से सहायत ली जा सकती है। बड़े औद्योगिक संस्थानों आदि पर शिक्षा उपकर लगाया जा सकता है।

14--समिति द्वारा प्रस्तुत दूसरे विकल्प के अनुसार राष्ट्रीयकृत विद्यालयों का प्रबन्ध एवं संचालन करने के लिये एक राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाय। यह परिषद् एक 45 सदस्यीय निकाय होंगी जो सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा का नियन्त्रण करेगी।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 391 पर)

परिशिष्ट

प्रधानाचार्य, शिवपति इन्टर कालेज, बस्ती के अनुमोदन तथा प्रशिक्षण योग्यता से मुक्ति सम्बन्धी शिकायती-पत्रों का विवरण :

क्रम- सं0	शिकायतकर्ता का नाम		दिनांक
1	श्री कल्याण सिंह, एम0 एल0 ए0	..	जून, 1973
2	श्री लालता प्रसाद चतुर्वेदी, जिला मन्त्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, बस्ती		जनवरी, 1975
3	श्री राम पति, एम0 एल0 ए0	..	जनवरी, 1975
4	— तदैव —	..	फरवरी, 1975
5	श्री बाबूलाल वर्मा, एम0 एल0 ए0	..	फरवरी, 1975

———

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 398 पर)

तालिका

क्रम संख्या	जिले का नाम जहां प्राइमरी स्कूल भवनों का निर्माण होना था	निर्माण किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या	निर्मित विद्यालयों की संख्या	भवनों की संख्या जिनके निर्माण होने की संभावना अप्रैल, 1975 के अन्त तक है
1	2	3	4	5
1	सहारनपुर ..	105	108	..
2	मुजफ्फरनगर ..	105	106	..
3	उन्नाव ..	104	104	..
4	आगरा ..	106	106	..
5	देहरादून ..	98	96*	2
6	बिजनौर ..	73	73	..
7	मुरादाबाद ..	90	90	..
8	नैनीताल ..	87	83	4
9	मेरठ ..	102	103	..
10	बुलन्दशहर ..	76	72	4
11	रायबरेली ..	87	87	..
12	लखनऊ ..	85	60	25
13	हरदोई ..	82	76	6
14	कानपुर ..	75	67	8
15	अलीगढ़ ..	78	59	19
16	बलिया ..	93	91	2
17	गाजीपुर ..	84	85	..
18	वाराणसी ..	89	87	2
19	एटा ..	93	89	4
20	बरेली ..	74	70	4
21	रामपुर ..	79	66	13
22	गोरखपुर ..	81	74	7
23	मथुरा ..	87	88	..
24	शाहजहांपुर ..	73	26	47
25	देवरिया ..	72	15	57
26	इलाहाबाद ..	72	44	28
27	बदायूं ..	73	16	57
28	बस्ती ..	73	50	23
29	प्रतापगढ़ ..	73	25	48
30	बाराबंकी ..	72	6	66
	योग:	2541	2122	426

*जिला परिषद् द्वारा 10 बने हुये भवन शामिल हैं।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 401 पर)

मार्गों का नाम		कार्य की स्वीकृत लागत लाख रु0 में
1--डाला कजर हट मार्ग	..	9.67
2--दुद्धी-विन्ढमगंज मार्ग	..	4.54
3--म्योरपुर-वमनी मार्ग	..	15.50
4--डाला-बिल्ली मार्ग	..	4.98
5--दुद्धी म्योरपुर मार्ग	..	21.15
6--दुद्धी-विन्ढमगंज मार्ग (छूटा भाग)	..	3.42
7--चौपन कोटा कोन मार्ग	..	24.04
8--पन्नूगंज-बेनी मार्ग	..	18.83
9--राबर्ट्सगंज-पन्नूगंज मार्ग	..	7.96
10--ओड़ी-बीना मार्ग	..	31.73
11--विन्ढम गंज-कोन मार्ग	..	20.61
12--मुरवा-म्योरपुर मार्ग	..	12.98

उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त बभनी-पोखरा असनडीह मार्ग (लागत 12.43 लाख), बधनी चपकी बीजपुर मार्ग (लागत 30.72 लाख) तथा बेनी खलियारी मार्ग (लागत 13.05 लाख) पर भी इस वर्ष कार्य होने की सम्भावना है ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 402 पर)

1--प्रश्न के समय छितौनी बांध पर नियुक्त इन्जीनियर तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या--

(क) इन्जीनियर	..	17
(ख) अन्य कर्मचारी	..	271
(ग) कार्य प्रभारित कर्मचारी		165

2--इन्जीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर प्रतिमाह व्यय होने वाली धनराशि--रु0 1,05,335।

3--कार्य प्रभारित कर्मचारियों को प्रतिमास वेतन के रूप में दी जाने वाली धनराशि --रु0 36,590।

4--इन्जीनियरों के जीपों में पेट्रोल, आयल व लुबरिकेट्स पर --

(क) जुलाई में होने वाला व्यय--रु 0 5,577;

(ख) समस्त 1974 वर्ष में होने वाले वाला व्यय--रु 0 10 5,887.90 पैसे।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 406 पर)

सूची (क)

1—मेसर्स सुविज आटोमोबाइल्स, लखनऊ	..	1,12,935.00
2— तदैव	..	96,770.61
3—यूनिवर्सल सेल्स कारपोरेशन, वाराणसी	..	4,37,144.48
4—हरिहर आटो मोबाइल्स, वाराणसी	..	4,41,962.31
5—अशोक सर्विस, गोरखपुर	..	2,98,207.92
6—कामर्शियल आटोमोबाइल्स, गोरखपुर	..	77,065.55
7—इन्डियन आटोमोबाइल्स, लखनऊ	..	3,18,581.54
8—मार्डन व ट्रेडर्स, लखनऊ	..	96,029.22
9—इन्टरनेशनल विनियम हाउस, लखनऊ-1	..	48,997.99
10— तदैव	..	3,212,19.23
सम्पूर्ण योग	..	22,48,935.85

सूची (ख)

1—मेसर्स ओरियन्टल इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, वाराणसी		357.15
2—गोरखपुर प्रसाद एन्ड संस कचेहरी रोड, बलिया	..	1,447.50
3—मेसर्स प्रकाश आटोसेन्टर, रोजा, गाजीपुर	..	155.00
4—भारत आटोसेन्टर, लेका गाजीपुर	..	87.00
5—केशरीलाल एन्ड संस कुष्ट आश्रम, वाराणसी	..	17,797.76
6—सावरवाल टायर हाउस पीलीकोठी, वाराणसी	..	3,135.96
7—कृष्णा इन्जीनियरिंग वर्क्स, वाराणसी	..	206.00
8—इन्डिया मोटर्स, वाराणसी	..	36.05
9—गुडइयर इन्डिया लिमिटेड, लखनऊ 1	..	5,330.00
योग	..	30,636.42

पी0एस0यू0पी0—एल0 107 वि0सभा (522)—(1975)—840।